उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट

सन् १९५८--५९

खण्ड २

सामान्य प्रशासन, भूमि प्रशासन, शांति और व्यवस्था

न्याय, वित्त आदि

विषय-सूची

अध्याय १—सामान्य प्रशासन

अध्याय २—भूमि प्रशासन

अध्याय ३—शांति व्यवस्था

अध्याय ४—विधि निर्माण

अध्याय ५—न्याय प्रशासन

अध्याय ६—स्थानीय स्वशासन

अध्याय ७—सार्वजनिक राजस्व और वित्त

अध्याय ८—राजनीतिक

अध्याय ९—समाचार-पत्र

नोट—उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासन रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें दो खण्ड हैं, जिनमें से पहले का जो वर्ण विषय है, उसे मोटे तौर पर उत्पादन, विकास और कल्याणकारी कार्य की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरे खण्ड में सामान्य प्रशासन, विधायन कार्य, भूमि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, शांति व्यवस्था, वित्त आदि हैं। यह रिपोर्ट का द्वितीय खण्ड संशोधित रूप में है।

इस खण्ड में दिये गये विवरण वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबंधित हैं (कुछ आंकड़े जो उपलब्ध थे, वे जून, १९५८ में समाप्त होने वाले कृषि वर्ष से या सितम्बर, १९५८ में समाप्त होने वाले राजस्व वर्ष से संबंधित हैं) जहां पर १९५८ के कैलेण्डर वर्ष के अनुसार विवरण देना आवश्यक हुआ है, वहां नीचे टिप्पणी में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक रिपोर्ट, १९५८—५९

खंड २

अध्याय १

सामान्य प्रशासन

१—उत्तर प्रदेश सरकार

आलोच्य वर्ष में श्री वराहगिरि वेंकटगिरि राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

वर्ष के आरम्भ में राज्य मंत्रिमण्डल के मंत्रियों की संख्या, जिनमें राज्य मंत्री भी सम्मिलित हैं, १४ थी। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में चले जाने के फलस्वरूप श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम १ अप्रैल, १९५८ से राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य न रहे। वित्त, उद्योग और विद्युत् के उनके विभाग क्रमशः राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हस्तांतरित कर दिये गये। ४ नवम्बर, १९५८ को आचार्य जुगुल किशोर ने मंत्रिपद से त्याग-पत्र दे दिया। १० नवम्बर, १९५८ को तीन राज्य मंत्रियों—सर्वश्री मंगला प्रसाद,, मुजफ्फर हसन और राम मूर्ति ने पद त्याग कर दिया और १७ नवम्बर, १९५८ को सर्वश्री जगमोहन सिंह नेगी तथा लक्ष्मी रमण आचार्य राज्य मंत्री नियुक्त किये गये। वर्ष के अन्त में मंत्रिमण्डल के सदस्यों और उनके विभागों की नामावली इस प्रकार थी :

मंत्री का नाम	विभाग
मंत्रि-मण्डल	
(१) डाक्टर सम्पूर्णानन्द ..	.. मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन नियोजन, उद्योग और श्रम।
(२) श्री हुकुम सिंह विसेन ..	.. स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास और न्याय।
(३) श्री गिरधारी लाल ..	.. सार्वजनिक निर्माण।
(४) श्री चरण सिंह ..	.. राजस्व, सिंचाई और विद्युत्।
(५) श्री सैयद अली जहीर ..	.. वित्त और वन।
(६) श्री कमलापति त्रिपाठी ..	.. गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण और सूचना।
(७) श्री विचित्र नारायण शर्मा	.. स्वायत्त शासन।
(८) श्री मोहन लाल गौतम ..	.. सहकारिता और कृषि।
राज्य-मंत्री	
(१) डाक्टर सीताराम ..	.. आबकारी और यातायात।
(२) श्री जगमोहन सिंह नेगी ..	.. खाद्य और रसद।
(३) श्री लक्ष्मी रमण आचार्य	.. सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण।

१ अप्रैल, १९५८ को श्री सुलतान आलम खां उप-मंत्री नियुक्त किये गये। २७ अगस्त, १९५८ को उपमंत्री श्री परमात्मा नन्द सिंह की मृत्यु हो गयी। १० नवम्बर, १९५८ को चार उप मंत्रियों श्री कैलाश प्रकाश, श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री जवाहर लाल और श्रीमती प्रकाशवती सूद ने त्यागपत्र दे दिया। उसी दिन श्री शांति प्रपन्न शर्मा ने सभा सचिव के पद से इस्तीफा दिया। १७ नवम्बर, १९५८ को चार सभा-सचिव—सर्वश्री बलदेव सिंह आर्य, राम स्वरूप यादव, हेमवती नन्दन बहुगुणा और महावीर सिंह उप मंत्री नियुक्त किये गये।

वर्ष की समाप्ति पर उप मंत्रियों और सभा सचिवों की नामावली इस प्रकार थी

नाम	जिस मंत्री के साथ सम्बद्ध थे
१—उप मंत्री	
(१) श्री सुलतान आलम खां	मुख्य मंत्री
(२) श्री बलदेव सिंह आर्य	स्वास्थ्य, तथा न्याय मंत्री
(३) श्री राम स्वरूप यादव	स्वायत्त शासन मंत्री
(४) श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	मुख्य मंत्री
(५) श्री महावीर सिंह	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
२—सभा-सचिव	
(१) श्री कृपा शंकर	मुख्य मंत्री
(२) श्री धर्म सिंह	राजस्व सिंचाई और विद्युत् मंत्री
(३) श्री इस्तफा हुसेन	गृह, शिक्षा और सूचना मंत्री
(४) श्री राज बिहारी सिंह	मुख्य मंत्री

२—प्रशासकीय कार्य

बोर्ड आफ रेवेन्यू के कार्य

इस वर्ष बोर्ड आफ रेवेन्यू के कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह निश्चय किया गया कि मोटर गाड़ियों के कर व रजिस्ट्री से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल सरकार द्वारा ही की जाती रहेगी और उन्हें बोर्ड को हस्तांतरित न किया जायगा। फिर भी यह आवश्यक समझा गया कि मोटर गाड़ियों के कर से सम्बन्धित मामलों में यातायात आयुक्त बोर्ड से परामर्श कर लिया करें और यदि या जब कभी करों के घटाने या बढ़ाने की बात हो तो वे अपने प्रस्ताव, बोर्ड की राय के साथ सरकार के पास भेज दिया करें। इसके अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टरों, जुडीशियल अफसरों और स्पेशल रेलवे मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, बदली, आदि से सम्बन्धित कार्य भी, जो कि बोर्ड को १९५७ में सौंपे गये थे, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से वापस ले लिए गये।

भारतीय प्रशासन सेवा

प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस राज्य में इस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या बढ़ा कर २४१ कर दी गई। श्रेणी की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विशेष भरती योजना के अन्तर्गत

३० उम्मीदवारों की भरती की। नियमित प्रतियोगिताओं के नतीजे के आधार पर की जाने वाली भरती की संख्या भी बढ़ा दी गयी और सन् १९५६ की परीक्षाओं के नतीजे पर सात और सन् १९५७ की परीक्षाओं के आधार पर आठ उम्मीदवारों की भरती की गयी।

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारिणी शाखा)

भारतीय प्रशासन सेवा की ही भांति उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के अधिकारियों की भी मांग बहुत रही। इस श्रेणी के अधिकारियों की ४३२ की संख्या अपर्याप्त समझी गयी। १ सितम्बर, १९५७, से यह संख्या बढ़ा कर ४५५ कर दी गयी और पुनः १ अप्रैल, १९५८ को इसे बढ़ा कर ५१० कर दिया गया। सन् १९५९-६० के वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ाकर ५४० करने का प्रस्ताव था। इस प्रकार इस सेवा में जो कमी आ गयी थी उसे पूरा करने के उद्देश्य से खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों में से २१ डिप्टी कलक्टरों की नियुक्ति की गयी। जुलाई, १९५७ में हुई तात्कालिक भरती की परीक्षा के नतीजे के आधार पर ३६ भरती की गयी और ११ जगहों को कलेक्शन अधिकारियों में से भरा गया।

इस सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के और रास्ते खोलने के लिए १,००० रु०-५०-१,२५० रु० के वेतन-क्रम में एक विशेष ग्रेड आरम्भ किया गया जिसमें इस केडर की कुल संख्या के ३ प्रतिशत अधिकारी रखे जाने थे।

जुडीशियल अफसर

आलोच्य वर्ष में माल और फौजदारी के मुकदमों को निपटाने के लिये जुडीशियल अफसरों की (जिन्हें पहले रेवेन्यू अफसर और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता था) भरती की गयी। सन् १९५१ तक यह लोग बिलकुल अस्थायी आधार पर रहे। सन् १९५१-५५ तक की अवधि में १२० स्थान स्थायी किये गये और इन स्थानों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श कर जुडीशियल अफसरों को स्थायी किया गया। १ सितम्बर, १९५७ से ६० और स्थानों को, स्थायी आधार पर स्वीकृति दी गयी। इन स्थानों पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से अस्थायी जुडीशियल अफसरों को स्थायी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

अवकाश प्राप्ति की अवस्था बढ़ाये जाने के फलस्वरूप भरती की परीक्षा

अवकाश प्राप्ति की अवस्था बढ़ाने के समय सरकार का यह इरादा नहीं था कि विभिन्न सेवाओं में नियमित भरती बन्द कर दी जाय। फलतः सम्बन्धित विभागों से यह कहा गया कि वे अपने प्रशासकीय नियंत्रण की सेवाओं के लिए भरती की परीक्षा की सम्भावनाओं पर विचार करें और जहां कहीं यह सम्भव न हो सके, वहां उस वर्ष भरती की परीक्षा न लिए जाने के फलस्वरूप, उम्मीदवारों को आगामी वर्ष में होने वाली परीक्षा में उमर की कैद से छूट दी जाय।

पेंशन की उमर के बाद सरकारी नौकरों को नौकरी में बनाये रखना

यह अनुभव किया गया कि सरकारी नौकरों के अनिवार्य अवकाश प्राप्त की अवस्था ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर देने के सरकार के निश्चय के बाद बहुत कम ही ऐसे अवसर आयेंगे जब कि उस उमर के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में बने रहने की छूट देनी पड़े। फलतः यह आदेश जारी किये गये कि ६० साल के बाद किसी भी दशा में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में बने रहने की छूट न दी जाय और साथ ही पेन्शन पाये हुए कर्मचारी की पुर्ननियुक्ति भी न की जाय, जब तक कि

यह नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक न हो जाय और वह भी जनहित में। इस दशा में भी ६० वर्ष की अवस्था के बाद पुनर्नियुक्ति न की जानी चाहिए।

पदों और सेवाओं में भरती के लिए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता आदि

१ मई, १९५८ से भारत सरकार के पबलिक इम्प्लायमेंन्ट (रिक्वायरमेन्ट एज़ टू रेजिडेंस) ऐक्ट, १९५७ लागू होने की सम्भावना में, यह विचार किया गया कि राज्यपाल के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों के अधीन जो सेवा और पद हैं उन पर भरती के लिए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, स्थायी निवास (डोमीसाइल) और रहने की जगह आदि के संबंध में सामान्य वर्तमान नियमों का कार्यान्वय उसी तारीख से रोक दिया जाय क्योंकि सम्बन्धित राज्यों और संघीय क्षेत्रों से परामर्श किये बिना भारत सरकार के लिए उक्त अधिनियम को १ मई, १९५८ से लागू करना सम्भव न था। इस स्थिति में सरकार ने यह निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों से नियंत्रित सेवाओं और पदों पर भरती के उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, स्थायी निवास आदि संबंधी वर्तमान नियमों को तब तक लागू रखा जाय जब तक कि भारत सरकार द्वारा पब्लिक इम्प्लायमेंन्ट (रिक्वायरमेंन्ट एज़ टू रेजिडेंस) ऐक्ट, १९५७ को लागू नहीं कर दिया जाता। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि इस बीच स्थायी निवास सम्बन्धी पाबंदियों से छूट देने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने वाले उम्मीदवारों के मामलों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उदारतापूर्वक विचार किया जाय।

लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा हाल

इलाहाबाद में अपना निज का परीक्षा भवन न होने से लोक सेवा आयोग को काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता था। आयोग द्वारा संचालित अधिकांश प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं इलाहबाद में ही होती हैं। फलतः सन् १९५७-५८ के वर्ष में सरकार ने ६ लाख रुपये की लागत से एक बड़े परीक्षा हाल के निर्माण की स्वीकृति दी।

अधिकारियों की बदली

यह निश्चय किया गया कि राज्य के अधिकारियों और अधीनस्थ गजटेड सेवा के कर्मचारियों (सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभागों की विशेष योजनाओं पर कार्य करने वाले अधिकारियों को छोड़कर) का तबादला यथासम्भव जल्दी न किया जाय और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतः अधिकारियों को एक जिले में ३ वर्ष से अधिक न रखा जाय। उन्हें उसी जिले में पुनः न तैनात किया जाय जिसमें वह रह चुके हों और किसी भी दशा में पुरानी तैनाती से ५ वर्ष के पहले नहीं। सचिवालय, विभागाध्यक्षों के मुख्य कार्यालयों के अधिकारियों, अतिरिक्त आयुक्तों, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों, क्षेत्रीय सहायक प्रतिकर आयुक्तों आदि की तैनाती के सम्बन्ध में यह ३ वर्ष का नियम कठोरता से लागू न करने का निश्चय किया गया। इन अधिकारियों को एक स्थान पर ३-४ वर्ष से अधिक न रखा जाय।

मजिस्ट्रेटों के न्याय एवं शासन सम्बन्धी कार्यों का विभाजन

मैजिस्ट्रेटों के न्याय एवं शासन सम्बन्धी कार्यों के विभाजन की जो योजना राज्य के १८ जिलों में चालू की उसे आलोच्य वर्ष में दो और जिलों में लागू किया गया।

नये विभागों का निर्माण

आलोच्य वर्ष में 'भाषा और नियोजन ग' के दो नये विभागों का निर्माण किया गया। राज्य भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाये जाने के सम्बन्ध में सरकारी

में हिन्दी के प्रयोग में तेजी ले आने के उद्देश्य से भाषा विभाग की रचना की गयी। नियोजन 'ग' विभाग का निर्माण राज्य में बढ़ते हुए नियोजन और विकास कार्यों को और अच्छे ढंग से निपटाने और देखभाल करने के लिए किया गया।

तोड़े गये विभागों के कर्मचारियों का खपाया जाना

विस्थापित व्यक्तियों के सहायता एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों में कमी हुई। फलतः इन विषयों को देखने वाले सचिवालय के दो विभाग तोड़ दिये गये। इन विभागों के तोड़े जाने से जो कर्मचारी फालतू हो गये उन्हें सचिवालय के अन्य विभागों में खपा लिया गया।

पुनस्संगठन की योजना

इस वर्ष शिक्षा, वन और सिंचाई विभागों के पुनस्संगठित कार्यों की एक योजना का परीक्षण किया गया। इस प्रयोग का पूरी तौर पर जांच किये जाने के बाद यह योजना आर्थिक एवं कार्य क्षमता की दृष्टि से उपयोगी न सिद्ध हुई। अतः इस योजना को वापस ले लिया गया।

कार्यालयों का निरीक्षण

आलोच्य वर्ष में सरकार के कार्यालय निरीक्षण संघटन ने १,१३५ कार्यालयों की जांच की और ७१ विशेष जांच की। यह कर्मचारिवर्ग सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दन में व्यस्त रहा और कलेक्टरियों की पुनस्संगठन के परिणामस्वरूप उनके कार्य-संचालन में सरलता आ जाने से उनकी कर्मचारिवर्ग की संख्या में कमी करने की सम्भावनाओं की जांच करता रहा। इस संगठन ने अन्य कार्यालयों को भी कार्य-संचालन की सरल प्रणाली अपनाने और कार्य कुशलता बनाये रखते हुए लिपिकों की संख्या में कमी करने के सुझाव भी देना जारी रखा।

सहायकों का चुनाव

सितम्बर, १९५७ में लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सन् १९५८–५९ के वर्ष में ८९ उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर और लोअर श्रेणी के सहायकों के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया।

कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए उपाय

कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए दो उपाय अपनाये गये। पहला यह कि लोअर श्रेणी के सहायकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, जो अभी तक हाई स्कूल थी, बढ़ा कर विश्वविद्यालय की डिग्री तक कर दी गयी। दूसरे यह कि अनुशासन कार्यवाही जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यालयों में प्रशंसा योग्य कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार दिये गये।

समिति की सिफारिशों पर सरकार ने प्रत्येक विभागाध्यक्षों के पास, सराहनीय एवं प्रशंसा योग्य कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों में वितरण के हेतु एक एक कोष रख दिया जो कि ५०० रु० से अधिक का न था।

अल्प काल के लिए रिक्त स्थानों में स्थानापन्न नियुक्तियां

मितव्ययिता की दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि एक महीने तक की अवधि के लिए रिक्त स्थानों में तब तक कोई नियुक्ति न की जाय जब तक कि यह अनिवार्य न हो जाय। इसी प्रकार अन्य दशाओं में या तो स्थान को रिक्त रहने दिया जाय या उक्त पद से सम्बन्धित कार्य को बिना किसी अतिरिक्त व्यय के किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को सौंप दिया जाय।

परिगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सिद्धांत का विस्तार

सरकार ने यह निश्चय किया कि परिगणित जाति के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सिद्धान्त का, जिसे कि उन सेवाओं में अमल में लाया जाता था जहां सीधी भरती होती थी, विस्तार उन सभी श्रेणी की सेवाओं में किया जाय जिनमें प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा पदोन्नति केवल वैज्ञानिक उम्मीदवारों तक ही सीमित रहती थी। इस दशा में भी संरक्षण की सीमा वही रहेगी जो कि सीधी भरती में थी। पहले खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा सीधी भरती से जितने स्थान भरे जाते थे उनका १८ प्रतिशत परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित रहता था, पर उन स्थानों के लिए कोई संरक्षण न था जो केवल विभागीय उम्मीदवारों तक ही सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के बाद पदोन्नति द्वारा भरे जाते थे।

सीधी भरती के संबंध में भी यह निश्चय किया गया कि लोक सेवा आयोग नियुक्ति के लिए परिगणित जाति के एक ऐसे उम्मीदवार के नाम की भी शिफारिश कर सके जिसने परीक्षा में काफी नीचे स्थान प्राप्त किया हो बशर्ते कि वह प्रशासन की कार्यकुशलता बनाये रखने की न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करता हो। यदि अन्तिम रूप से इस प्रकार के उम्मीदवार को चुन लिया जाय तो उसे आवश्यक मापदण्ड तक ले आने के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाय। लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर की जो नियुक्तियां हैं उनके संबंध में भी यही कार्यविधि अपनाई जायगी।

परिगणित जाति और पिछड़ी जाति को प्रमाणपत्र

सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किये कि राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं पर नियुक्ति के संबंध में परिगणित जाति के उम्मीदवारों को केवल जिलाधीश ही, उचित रूप से जांच करने के बाद ही प्रमाण-पत्र दे सकता है तथा जिलाधीश के मातहत मजिस्ट्रेट प्रमाण-पत्र न दे सकेंगे।

प्रादेशिक सेना में सरकारी नौकरों की भरती

सरकारी कर्मचारियों के प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में भरती होने के लिए उन्हें उत्साहित करने की अपनी नीति के अनुसार राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों आदि से यह अनुरोध किया कि वे प्रादेशिक सेना की एक शहरी टुकड़ी—११२ इंडिपेंडेंट सिगनल कम्पनी के लिए अधिकारियों आदि के देने की व्यवस्था करें। प्रादेशिक सेना ने उपर्युक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए राज्य सरकार को लिखा था।

महंगाई भत्ते के एक अंश का वेतन में मिलाया जाना

सन् १९५५ में यह निश्चय किया गया कि १०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आधे अंश को, पेंशन, प्राविडेंट फंड, यात्रा भत्ता आदि का हिसाब करते समय वेतन में सम्मिलित माना जायगा। १ अप्रैल, सन् १९५६ से वेतन की सीमा बढ़ा कर २०० रु० प्रति मास तक कर दी गयी। आलोच्य वर्ष में इस सुविधा को और अधिक व्यापक करने का निश्चय किया गया और फलस्वरूप १ अप्रैल, १९५८ से, उपर्युक्त कार्यों के लिए आधे महंगाई भत्ते को वेतन में गिनने के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ा कर ४०० रु० प्रतिमास कर दी गयी।

सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए चिकित्सा सुविधा

यह देखा गया कि अधिकारीगण अथवा कर्मचारी अकसर अपने या अपने परिवार वालों की मामूली सी बीमारी में भी अस्पताल के घंटों में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों को अपने निवास-स्थान पर बुला लेते हैं, जबकि बिना किसी कठिनाई के वे अस्पताल जाकर परामर्श ले सकते थे। इस प्रथा से अस्पताल के कार्य में बाधा पड़ना और अन्य मरीजों को असुविधा होना स्वाभाविक था। फलस्वरूप सरकार ने इस आशयकी हिदायत जारी की कि सरकारी अधिकारी

अथवा कर्मचारी अपने निवास-स्थान पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी को बुलाने के लिए केवल उसी समय हकदार होंगे जबकि वे चलने फिरने में असमर्थ हों।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा उद्घाटन करना

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रकाश में यह नियम बना दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी समारोह का उद्घाटन करने, सार्वजनिक सभाओं का सभापतित्व करने और शिलान्यास आदि करने का निमन्त्रण स्वीकार करना उचित न होगा। साथ ही नियमों में इस बात की भी व्यवस्था की गयी कि अपनी उपस्थिति से स्थानीय जनता तथा लोकप्रिय कार्यक्रमों को उत्साहित करने के लिए सरकारी कर्मचारी ऐसे समारोहों में सम्मिलित हो सकते हैं बशर्ते कि इनका कोई राजनीतिक महत्व न हो। किन्तु उन्हें यह भी परामर्श दिया गया कि वे इन समारोहों में कोई प्रमुख भूमिका न अदा करें। यदि किसी विशेष मामले में कोई अधिकारी यह समझता है कि जनाग्रह इतना अधिक है कि उसे अपने ऊपर निमन्त्रण अस्वीकार करने की जिम्मेदारी न लेनी चाहिए तो उसे इस मामले को सरकारी आदेश के लिए भेज देना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की कार्य-कुशलता और उनके आचरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों में से कुछ का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। अधिकारियों से विशेष रूप से यह कहा गया कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि नागरिकों के हितों पर काफी अधिक सीमा तक सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी यह स्मरण रखें कि प्रत्येक नागरिक का केवल यह अधिकार ही नहीं है कि वह अपने मामलों के संबंध में शीघ्र और प्रभावपूर्ण कार्रवाई की आशा करें वरन् यह भी कि उसकी व्यक्तिगत भावनाओं का भी उतना ही उचित और सहानुभूति पूर्वक ध्यान रखा जायगा जितना कि उसके अधिकारी का। अधिकारियों को इसका भी स्मरण दिलाया गया कि जनता के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और कर्त्तव्य के साथ-साथ सदा ही उत्तरदायित्व भी संलग्न रहता है। प्रत्येक अधिकारी को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसे अपने आचरण को इस प्रकार का बना लेना चाहिए जिससे कि 'व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित' हो सके जैसा कि संविधान के संकल्प में कहा गया है।

स्थानान्तरण या पदोन्नति के अवसर पर अधिकारियों को पार्टी या उन्हें मानपत्र भेंट करना

इस आशय के निर्देश पहले ही दिये जा चुके थे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अभिनन्दन स्वीकार करने या कोई प्रशंसा-पत्र लेने या अपने सम्मान में की गयी कोई सार्वजनिक सभा अथवा मनोरंजन में भाग लेने के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, १९५५ के नियम ११ और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, १९५६ के नियम १४ के विरुद्ध है। इन नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को विदाई के अवसर पर ऐसे समारोहों में भाग लेने की अनुमति है जो नितान्त व्यक्तिगत और अनौपचारिक रूप से उसके या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में या ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी या किसी व्यक्ति के सरकारी नौकरी छोड़ने या उसके स्वयं के या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति के स्थान्तरण के अवसर पर आयोजित किया जाय। सरकार ने इन निर्देशों की ओर सभी सरकारी कर्मचारियों, विशेष कर ऐसे अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जिनके विदाई के अवसर पर या सम्मान में ऐसे समारोह किये जा सकें।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज लेना

सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से या उसके आश्रितों द्वारा वधू के माता-पिता अथवा किसी अन्य संबंधी से विवाह के अवसर पर नगद या वस्तुओं के रूप में दहेज लेने की सूचना

सरकार को या विभागाध्यक्ष को दी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से दहेज दिया जाय तब भी उसी प्रकार की सूचना दी जानी चाहिए। यह निर्देश भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में जारी किये गये नियम के अनुरूप हैं।

आचरण नियमावली के नियम ७ के उल्लंघन सम्बन्धी कार्रवाई

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई ऐसी पुस्लिका प्रकाशित की जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी और जिस पर अन्य कई सरकारी कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार का काम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम ७ के अन्तर्हित भावना के विरुद्ध है। अतएव जिस सरकारी कर्मचारी ने यह पुस्तिका प्रकाशित की थी तथा जिन लोगों ने उन पर हस्ताक्षर किया था उन पर वैयक्तिक कार्रवाई हो सकती थी। सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिये कि उस पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, १९५६ के नियम ७ के उल्लंघन के लिए आवश्यक वैयक्तिक कार्रवाई की जाय।

फौजदारी के जुर्मों के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के विषय में सूचना

सरकार ने यह देखा कि अनेक अवसरों पर फाइनेंशल हैन्डबुक, खण्ड २, भाग २ से ४ के सबसिडियरी नियम १९९ (२) में दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को मुअत्तल करने संबंधी कार्रवाई उपयुक्त अधिकारी द्वारा नहीं ली जा पाती, क्योंकि बहुत से मामलों में संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात या तो उन तक आती ही नहीं या यदि आती भी है तो जब बहुत देर हो चुकी रहती है। इसका कारण कुछ तो यह है कि ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है जिससे सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारी की सूचना अपने उच्चाधिकारी को देना आवश्यक हो। इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह तत्काल अपने गिरफ्तारी के एवं तत्संबंधी परिस्थितियों की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे चाहे वह बाद में जमानत पर छूट ही क्यों न गया हो। ऐसा न करना महत्वपूर्ण सूचना को दबाना माना जायगा और केवल इसी आधार पर उस पर अनुशासन संबंधी कार्रवाई की जा सकेगी जो उस कार्रवाई से अलग होगी जो कि उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमें के निर्णय के संबंध में की जाय।

सरकारी सुविधा का उपयोग करने वाली फर्मों में अधिकारियों के संबंधियों की नौकरी

जनवरी, १९५६ में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लड़के, लड़कियों और आश्रित, जब किसी ऐसी निजी फर्म में नौकरी स्वीकार करना चाहें जिससे अधिकारी का सरकारी तौर पर व्यवहार हो या किसी ऐसी प्रमुख फर्म में नौकरी करना चाहें जिसका भारत सरकार के साथ व्यवहार हो तो उस तथ्य की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा सरकार को दी जानी चाहिए और इस प्रकार की नौकरी के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि ऐसी नौकरी स्वीकार करने में सरकार की पूर्व अनुमति की प्रतीक्षा करना संभव न हो, या अन्य अनिवार्य कारण वश ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार को इसकी सूचना दे देनी चाहिए और नौकरी अस्थायी तौर पर स्वीकार की जानी चाहिए बशर्ते कि सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाय। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया कि जब कभी किसी ऐसी फर्म को कोई ठीका या ऐसी ही कोई अन्य सुविधा देने का प्रस्ताव हो जिसमें उस अधिकारी का कोई पुत्र पुत्री या आश्रित नौकर हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी घोषणा कर दी जानी चाहिए और उसके बाद उस मामले पर स्वयं कार्रवाई न करना चाहिए। राज्य सरकार ने भी यह आदेश दिया कि भारत सरकार के यह निर्णय उचित संशोधनों के साथ इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लड़कों और आश्रितों पर भी लागू होंगे जो सरकार से सुविधा प्राप्त किसी फर्म में नौकरी चाहते हों।

उत्तर प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण

उत्तर प्रदेश अनुशासन कार्य-विधि (प्रशासकीय न्यायाधिकरण) नियमावली, १९४७ के अधीन स्थापित प्रशासकीय न्यायाधिकरण अपना कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में इसके समक्ष दो नये मामले प्रस्तुत किये गये। आलोच्य वर्ष के अन्त तक प्रशासकीय न्यायाधिकरण द्वारा सम्पादित कार्य का विवरण इस प्रकार है--

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये मामलों की संख्या	..	५६
निर्णीत मामलों की संख्या	..	४७
उठा लिये गये मामलों की संख्या	..	२
विचाराधीन मामलों की संख्या	..	७*

निर्णीत ४७ मामले ६१ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये थे, जिनमें से २७ कर्मचारी बर्खास्त कर दिये गये, एक को निकाल दिया गया, दो को अलग कर दिया गया, २ को अनिवार्यतः अवकाश प्रदान किया गया और १२ कर्मचारियों को अन्य सजाएं दी गयीं। १६ कर्मचारियों को अभियोग से बरी कर दिया गया और एक कर्मचारी ने पद त्याग कर दिया।

जिला भ्रष्टाचार निरोध समितियां

आलोच्य वर्ष के आरम्भ में ही इस आशय के आदेश दे दिये गये थे कि यदि जिला भ्रष्टाचार निरोध समिति के समक्ष कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मामला उपस्थित हो जिसके संबंध में की गयी विभागीय कार्रवाई से समिति सहमत न हो तो वह उस मामले में आगे कार्रवाई कर सकती है। जिलाधीशों को यह निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के असहमति के मामले में यदि यह असहमति उचित एवं पर्याप्त आधार पर हो, तो वह संबंधित विभाग से जांच-पड़ताल करे और यदि आवश्यकता हो तो आदेश के लिए मामले को सरकार के पास भेजे। एक दूसरे आदेश द्वारा जिला भ्रष्टाचार निरोध समितियों को ऐसे मामलों का प्रचार करने का अधिकार दिया गया जिसमें समिति के सुझाव पर अधिकारियों को दण्ड दिया जाना था।

पूर्वगामी वर्ष की भांति इस वर्ष भी (सन् १९५८-५९) भ्रष्टाचार और घूसखोरी के विरुद्ध प्रचार करने के हेतु समिति को ४७५ रु० का (५०० रु०, मितव्ययिता ५ प्रतिशत कम) अनुदान दिया गया। प्रत्येक जिले में समिति से संलग्न एक लिपिक को २० रु० प्रतिमास का भत्ता (आनरेरियम) देने के लिए भी आवश्यक निधि की व्यवस्था की गयी।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

सन् १९४६ से सरकारी नौकरियों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के जो उपाय काम में लाये जा रहे थे उन्हें इस वर्ष भी जारी रखा गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाचार-पत्रों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के कुछ ऐसे मामलों का व्यापक प्रचार किया गया जिसमें भ्रष्टाचार के अपराध में उन्हें दण्ड दिया गया था। अनुशासन कार्यविधि जांच समिति की इस सिफारिश को, कि भ्रष्टाचार के उस मामले का व्यापक रूप से प्रचार किया जाय, जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को दण्ड दिया गया हो, कार्यान्वित करने के हेतु उपरोक्त कार्रवाई की गयी।

छुट्टियां

सन् १९५७ के वर्ष में राज्य सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण में जो कार्यालय थे उनमें कुल ३७ छुट्टियां घोषित की गयी थीं। इनके अतिरिक्त जिलाधीशों को भी यह अधिकार था कि वे अपने जिले में स्थानीय छुट्टियों की जिनकी संख्या ५ से अधिक न हो, घोषित कर सकते हैं। उसी वर्ष सार्वजनिक निर्वाचन के कारण कार्यालयों को ९ दिन के लिए और बन्द रहना पड़ा। फलस्वरूप सार्वजनिक रूप से यह टीका की गयी कि उत्तर प्रदेश में बहुत छुट्टियां होती हैं।

---

*इनमें से ४ सरकार के विचाराधीन थे।

सरकार ने इस स्थिति पर विचार किया और सन् १९५८ में छुट्टियों की संख्या में कमी कर दी। आलोच्य वर्ष में केवल २७ सार्वजनिक छुट्टियां दी गयीं जिनमें से एक केवल इलाहाबाद जिले के लिए थी। स्थानीय छुट्टियों की संख्या भी, जिन्हें कि जिलाधीश अपने जिलों में घोषित करने के अधिकारी थे, ५ से घटा कर ३ कर दी गयी। इनके अतिरिक्त दो स्वर्गीय (सेक्शनल) छुट्टियां भी मनाई गयीं।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में छुट्टियों को युक्तिसंगत बना दिया गया। यह निश्चय किया गया कि सन् १९५९ के वर्ष से राज्य सरकार के अधीन समस्त कार्यालयों में ६ पाबन्दी के सहित और ३० पूरी छुट्टियां मनाई जायंगी। इनमें जिलाधीशों द्वारा घोषित की जाने वाली ३ दिन की स्थानीय छुट्टी और दीवाली के अवसर पर ६ दिन की एक खण्ड छुट्टी भी सम्मिलित है। सन् १९५८ के २ दिन की अपेक्षा अब दीवाली के अवसर पर ६ दिन की एक मुश्त छुट्टी (खण्ड छुट्टी) देने की व्यवस्था की गयी, जिससे कि वकीलों और सरकारी कर्मचारियों को काफी आराम करने का औ बिना छुट्टी लिए अपने घरेलू मामलों की देखरेख करने का अवसर प्राप्त हो जाय।

भारत सरकार के विपरीत, जहां प्रति शनिवार को आधे दिन की छुट्टी रहती है, राज्य सरकार प्रतिमास केवल प्रथम और तृतीय शनिवार को ही आधे दिन की छुट्टी रखती थी।

आकस्मिक छुट्टी के पहले और बाद में छुट्टी इत्यादि

सरकारी आदेशों के मैनुअल के पैरा ९० में यह व्यवस्था थी कि आकस्मिक छुट्टी के पहले और बाद में किसी प्रकार की छुट्टी या गैर काम के दिन को आकस्मिक छुट्टी में जोड़ लिया जाय। इस व्यवस्था का अधिकांश मामलों में काफी बड़ा प्रभाव पड़ा और सरकारी कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी का पूरा-पूरा लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे। अतः सरकार ने यह निश्चय किया कि आकस्मिक छुट्टी के पहले या बाद में पड़ने वाली छुट्टी या गैर काम के दिन को आकस्मिक छुट्टी के पहले पूर्वन्यास और परन्यास किया जा सकेगा। सरकारी आदेशों के मैनुअल के पैरा ९० को भी इस प्रकार से संशोधित किया गया——

९०——(१) सभी कर्मचारियों को किसी भी कलेण्डर वर्ष में १४ दिन तक की आकस्मिक छुट्टी मिल सकेगी।

(२) इस प्रकार की आकस्मिक छुट्टी एक बार में १० दिन तक की हो सकती है। यदि छुट्टी स्वीकार करने वाला अधिकारी यह समझता है कि १० दिन से अधिक की छुट्टी स्वीकार करने के लिए असाधारण परिस्थिति आ गयी है तो वह अधिक छुट्टी स्वीकार कर सकता है।

(३) खण्ड छुट्टियों को छोड़ कर रविवार या अन्य छुट्टियों को जो आकस्मिक छुट्टी के पहले या बाद में पड़ती है, को पूर्वन्यास या परन्यास करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते की छुट्टी स्वीकृत करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि ऐसी अनुमति प्रदान करने से सामान्य कार्य अव्यवस्थित न हो जायगा और न तो इस सुविधा का दुरुपयोग ही किया जायगा।

(नोट——इस वर्ष खण्ड छुट्टियां दीवाली में दी गयी हैं।)

(४) आकस्मिक छुट्टी के बीच में पड़ने वाले रविवार, अन्य छुट्टी या गैर-काम के दिनों को भी आकस्मिक छुट्टी में ही गिना जायगा।

(५) यदि असाधारण परिस्थितियों में किसी विशेष या जरूरी कारणों से छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी को, मिनिस्टोरियल स्टाफ के अतिरिक्त अन्य किसी को १४ दिन से अधिक की छुट्टी देनी पड़े तो कारणों सहित छुट्टी की इस

स्वीकृति की सूचना तुरन्त सरकार को देनी चाहिए। इसी प्रकार इस बात की राज्य सरकार की सेवा में किसी भी जुडिशियल अधिकारी के संबंध में सूचना हाईकोर्ट को देनी चाहिए।

लोक सहायक सेना के सदस्यों को गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर छुट्टी

वर्तमान लोक सहायक सेना (नेशनल वालंटियर फोर्स) योजना के अन्तर्गत उस सरकारी कर्मचारी को गणतंत्र दिवस समारोह देखने और गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली में निमन्त्रित किया जाता है, जो कि लोक सहायक सेना में भरती होने के बाद सर्वोत्तम शिक्षार्थी स्वीकार किया गया हो और जिसे कुशलता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार का सरकारी कर्मचारी अपने निवास स्थान से दिल्ली तक का आने जाने का रेल की तीसरे दर्जे का किराया पाने का भी अधिकारी था। दिल्ली में उसके ठहरने और सफर खर्च आदि की भी मुक्त व्यवस्था थी। आलोच्य वर्ष में सरकार ने यह भी निश्चय किया कि इस प्रकार के सरकारी कर्मचारी को इस कार्य के हेतु अधिक से अधिक सात दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाय या कम से कम इतने अवधि की जितने में वह अपने स्थान से दिल्ली जाकर वापस लौट सके।

भारत स्काउट और गाइड के सिलसिले में छुट्टी

सरकार ने यह निश्चय किया कि स्काउट समारोहों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाय जिसे पाने के वे हकदार हों और यदि आवश्यक हो तो उन्हें नगर से बाहर जाने की भी अनुमति प्रदान की जाय बशर्ते की इस प्रकार सरकारी कार्य में बाधा न पड़े।

कार्यालय का समय

अक्टूबर, १९५८ तक राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कार्य के विभिन्न समय रहे, जिनका विवरण इस प्रकार है--

(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य का समय १० बजे से ४।। बजे तक।

(२) माल और फौजदारी की अदालतों में जाड़ों में १०।। से ४।। तक और गर्मियों में १०।। से ५ तक।

(३) दीवानी अदालतों के मातहत कार्यालयों के काम के घंटे १० से ५ बजे तक; अदालत का समय १०।। से ४ तक, यदि आवश्यकता हो तो आधा घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अन्य कार्यालयों के लिए सरकार द्वारा कार्यालय का समय निर्धारित नहीं किया गया था।

विभिन्न कार्यालयों में काम के घंटों में अन्तर दूर करने के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि १ नवम्बर, १९५८ से उत्तर प्रदेश सचिवालय सहित राज्य सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में कार्य का समय निम्न प्रकार से होगा--

१ नवम्बर से २९ फरवरी तक	१० बजे से ४।। बजे तक
१ मार्च से ३१ अक्तूबर तक	१० बजे से ५ बजे तक।

यह भी निश्चय किया गया कि माल व फौजदारी की अदालतों के काम के समय को गर्मियों में उक्त तिथि से आध घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाय। अब यह समय १०।। से ५ की अपेक्षा १० से ५ तक का हो गया।

मितव्ययिता के प्रस्ताव

सरकार द्वारा मितव्ययिता के जो उपाय अपनाये गये उनमें कुछ श्रेणी के अधिकारियों के निवास-स्थान से सरकारी व्यय पर लगे टेलीफोन को हटा लेना भी उल्लेखनीय है। इस

प्रकार सचिवालय के अधिकारियों में अनुसचिव और उनसे नीचे के ओहदे के अधिकारियों के निवास स्थान से टेलीफोन हटा लिया गया। सचिवालय के बाहर भी उन अधिकारियों के निवास स्थान से टेलीफोन हटा लिया गया जिनका ओहदा अनुसचिव के समकक्ष या उससे नीचे का था। केवल उन्ही मामलों को अपवाद बनाया गया जिनमें अधिकारी के ओहदे से ध्यान में न रखते हुए कार्य के हित में उनके यहां टेलीफोन लगाना अनिवार्य था। निवास स्थानों पर टेलीफोन के नये कनेक्शन भी इसी नीति के अनुसार लगाये गये।

विलीनीकृत आस्थान और अन्तर्क्षेत्र

(क) धर्मादा भत्ते, पेंशन आदि---पहले की ही भांति कुछ दानभोगियों को धर्मादा भत्ते पेंशन पाने वाले को पेंशने और राजाओं के रिश्तेदारों और नौकरो को भत्ते दि जाते रहे।

(ख) विलीन आस्थानों और अन्तर्क्षेत्रों के कर्मचारी---वर्ष के अन्त तक अधिकांश स्थायी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की सेवा में खपा लिया गिया। उन स्थायी कर्मचारियों को, जिन्हें खपाया न जा सका, प्रतिकर के रूप में पेंशन या ग्रेच्यूटी देकर सेवा मुक्त कर दिया गया। समय समय पर इस प्रकार से जो पेंशन दी गयीं वे आलोच्य वर्ष में जारी रहीं।

(ग) निर्दिष्ट कार्यों के लिए अनुदान आदि---पूर्व की भांति इस वर्ष भी निम्नलिखित आवर्तक अनुदान और भुगतान किये गये---

(१) रामपुर में पहले से रियासत के समय से दिये जाने वाले धर्मादाओं के लिए अनुदान .. .. ५०,००० रु०

(२) महाराज बनारस को रामलीला, मन्दिरों और अन्य धर्मादा संस्थाओं के लिए अनुदान .. .. १,००,००० रु०

(घ) मंदिर न्यास, टिहरी गढ़वाल---टिहरी गढ़वाल विलयन करार में टिहरी-गढ़वाल के मन्दिरों के प्रबन्ध के लिए टिहरी-गढ़वाल के हिज हाईनेस महाराज की अध्यक्षता में एक न्यास के सृजन की व्यवस्था की गयी थी। न्यास की स्थापना न की जा सकी क्योंकि भारत सरकार और टिहरी-गढ़वाल के हिज हाइनेस महाराज के परामर्श से न्यास-पत्र को अन्तिम रूप दिया जा रहा था

(ङ) रैनपुर मंदिर न्यास, चरखारी---रैनपुर मंदिर, चरखारी के मन्दिर के प्रबन्ध के लिए एक न्यास की सृजन की दिशा में काफी प्रगति हुई। भारत सरकार के परामर्श से न्यास पत्र को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

सिनेमा फ़िल्मों का प्रदर्शन

आलोच्य वर्ष में राज्य में स्थायी और अस्थायी सिनेमा भवनों की संख्या (लगभग) क्रमशः २३३ और १७० थी।

झंडा दिवस

प्रति वर्ष ७ दिसम्बर को झण्डा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वाले के आर्थिक कष्टों को दूर करने तथा सेना के वर्तमान कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के हेतु धन संग्रह करना था। आलोच्य वर्ष में ७ दिसम्बर को रविवार का दिन था और ६ दिसम्बर को शनिवार। सरकारी कार्यालयों तथा व्यापारिक संस्थानों में इस दिन आधे दिन की छुट्टी रहती थी। अतएव भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय से ५ दिसम्बर को झण्डा दिवस मनाने के लिए आदेश प्राप्त हुए और तदनुसार वह उस दिन मनाया गया। इस अवसर पर कुल १,६८,६०० रु० एकत्र हुआ।

नये डाक और तार घरों का खोला जाना और वर्तमान डाक व तार घरों को बनाये रखना

(१) **नये कार्यालय आदि**—कुछ नये डाक व तार घरों को खोलने और टेलीफोन ट्रंक लाइनों की स्थापना करने में होने वाले संभावित घाटे की पूर्ति की गारंटी करने के लिए राज्य सरकार राजी हो गयी । इस संबंध में विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है —

(क) बागेश्वर, जिला अलमोड़ा में डाकघर—बागेश्वर, जिला अलमोड़ा में एक डाकघर खोले जाने के फलस्वरूप सरकार ने डाक व तार विभाग को आश्वस्थ करने के हेतु ५ वर्ष के लिए ३,४५९ रु० तक वार्षिक देने की जिम्मेदारी स्वीकार की। ऐसा करना विभिन्न कारणों से, जिसमें प्रशासकीय कारण भी था, आवश्यक समझा गया । वस्तुतः यह डाक घर सितम्बर, १९५७ से ही चालू था ।

(ख) भिनगा, जिला बहराइच में तारघर—बहराइच जिले के भिनगा नामक स्थान में, जो कि सीमावर्ती तराई क्षेत्र की सबसे बड़ी अनाज की मंडी मानी जाती है, प्रशासकीय दृष्टिकोण से और इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि जुलाई से अक्तूबर तक यह क्षेत्र शेष जिले से पूर्ण रूपेण विलग सा रहता है, वहां डाक व संचार की सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया । भिनगा में एक तारघर खोले जाने के फलस्वरूप सरकार ने डाक व तार विभाग को आश्वस्थ करने के हेतु ५ वर्ष के लिए २,४४३ रु० तक वार्षिक देने की जिम्मेदारी स्वीकार की । वर्ष की समाप्ति तक तारघर ने अपना कार्य आरम्भ नहीं किया था।

(ग) सतपुली से बदरीनाथ तक टेलीफोन की ट्रंक लाइन—सतपुली से बदरीनाथ तक टेलीफोन की एक ट्रंक लाइन की व्यवस्था करने की योजना का, जिससे गढ़वाल जिले के सदर पौड़ी और बदरीनाथ जैसे सुदूरस्थ स्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित हो जाता है, कई कारणों से स्वागत किया गया। इसके द्वारा हिन्दुओं के एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान बदरीनाथ का बाहरी दुनिया से सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इससे प्रशासकीय कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी क्योंकि इस स्थान का वर्ष के अधिकांश में जिले के सदर से सम्पर्क टूट जाता है। इसलिए इस ट्रंक लाइन को खोलने से होने वाले घाटे की पूर्ति डाक व तार विभाग को १० वर्ष तक करने के लिए सरकार राजी हो गयी। इस धनराशि का एक भाग श्री बदरीनाथ मंदिर समिति और कुमायूं मोटर यातायात संघ से लिया जाना था।

(२) **पुराने डाक घरों को बनाये रखना**—राज्य सरकार निम्नलिखित डाकखानों को चालू रखने का व्यय डाक और तार विभाग के साथ वहन करती रही। राज्य सरकार द्वारा वहन किये हुए इस व्यय की धनराशि उसे वापस न होगी—

(क) खिर्वा, जिला मिर्जापुर में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर—यह डाकघर १ दिसम्बर, १८९० के पूर्व एक उप डाकखाने के रूप में चालू था। सन् १९४२ में इसका स्तर घटा कर इसे एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर बना दिया गया। इस डाकखाने को चालू रखने में होने वाले भारी घाटे को देखते हुए सन् १९४५ में डाक व तार विभाग ने इसे चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की और इस शर्त के साथ उसे चलाना स्वीकार किया कि राज्य सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए

आर्थिक सहायता दे जो डाक व तार विभाग को वापस न करना पड़। यह डाकखाना मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में दुद्धी से लगभग ३२ मील दूर स्थित था। साल क अधिकांश में इस क्षेत्र के दूसरे हिस्सों से कोई संबंध नहीं रह जाता था । दो नदियां और ५ बड़े नाले रास्ते में पड़ते थे जिन्हें पार करना कठिन था । सरकारी कार्यालयों के साथ संपर्क रखने का एक मात्र साधन डाक था। अतएव इस पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करने का निश्चय किया गया। इसलिए इस डाकखाने को चालू रखने के लिए ऐसी आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया गया, जिसे डाक व तार विभाग को वापस न करना पड़े।

(ख) कोन, जिला मिर्जापुर में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर---यह इसी प्रकार का एक दूसरा पुराना डाकखाना था जिसे डाक एवं तार विभाग केवल इसी शर्त पर चालू रखने के लिए राजी था कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी आर्थिक सहायता दी जाय जो उसे वापस न करना हो । यह एक पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में स्थित था जो लगभग ७५० वर्ग मील का था और जहां के रहने वाले भील और संथाल थे। दूसरा डाकखाना यहां से कम से कम २२ मील की दूरी पर था जहां पहुंचना जनता के लिए कठिन एवं अव्यवहारिक था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के विकास की योजनाएं भी थीं और यह आशा की जाती थी कि इस डाकखाने के बने रहने से उन योजनाओं के कार्यान्विय में सहायता मिलेगी ही साथ ही इस क्षेत्र और यहां के निवासियों के विकास में भी सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने इस डाकखाने को भी चलाते रहने के लिए आर्थिक सहायता देना उचित समझा, जिसे डाक विभाग को वापस न करना पड़े।

(३) अन्य उपाय---डाक व तार विभाग ने ग्राम्य क्षेत्रों में नये डाकघर स्थापित करने के लिए जो शर्तें निश्चित कीं उनके अनुसार ग्राम क्षत्रों के ऐस स्थानों की सूची तयार करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था।

डाक एवं तार विभाग को भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने में संभव सहायता दी गयी और भूमि हस्तगन संबंधी कार्रवाई में तत्परता लाने के प्रयास किये गये।

याचना पत्र और शिकायतें

सचिवालय के पेटिशन विभाग में प्राप्त हुए और जांचे गये शिकायतों की. कुल संख्या आलोच्य वित्तीय वर्ष में ३१,००५ थी जबकि पूर्वगामी कैलेण्डर वर्ष में यह संख्या २८,७५० थी। याचनापत्रों की कुल संख्या में से, सन् १९५७ के २०,६७९की अपेक्षा इस वर्ष २२,६५६ याचना-पत्रों को उचित कार्रवाई के लिए सचिवालय के विभागों में या अन्य संबंधित दफ्तरों में भेज दिया गया । सन् १९५७ के २,२३५ की तुलना में इस वर्ष १,८१२ याचनापत्रों को, जो कि अस्पष्ट थे या जिनकी सच्चाई में संदेह था, प्रेषक को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के समक्ष उपस्थित करने के हेतु वापस कर दिये गये या उन्हें सीधे कोई उत्तर भेज दिया गया। गुमनाम याचनापत्रों तथा शिकायतों (उनको छोड़ कर जिनमें कोई निश्चित शिकायत की गयी थी), और साधारण या अनिश्चित ढंग के मामूली याचनापत्रों को तथा ऐसे अन्य शिकायती याचनापत्रों को जो निराधार थे, या तो जमा कर दिया गया या नष्ट कर दिया। ऐसे याचना-पत्रों की कुल संख्या इस वर्ष ६,५३४ थी जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्या ५,८३६ थी।

सच्ची शिकायतों के संबंध में याचना करने वालों की यथासंभव सहायता करने के उद्देश्य से शिकायतों के विषय में जांच करने का प्रयत्न किया गया । ९५४ मामलों में पेटीशन विभाग द्वारा सीधे रिपोर्ट मांगी गयी और इस प्रकार की शिकायतों की कुल संख्या के लगभग ८.५ प्रतिशत शिकायतों में प्रभावपूर्ण सहायता प्रदान की गयी।

सदैव की भांति इस वर्ष भी शिकायतें प्रायः सभी विषयों की थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें खती बारी के बारे में लेखपालों द्वारा तथा कथित गलत इन्दराज के संबंध में या भूमि के एलाटमेंट के बारे में थी, यद्यपि इनकी संख्या में सन् १९५७ के कैलेण्डर वर्ष की २९.६ प्रतिशत की तुलना में आलोच्य वर्ष में २६.५१ प्रतिशत की कमी हुई।

उपर्युक्त शिकायतों के अलावा शिकायतों का दूसरा बड़ा समूह भ्रष्टाचार अथवा स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान करने के संबंध में था। इन शिकायतों में परेशान करने या चोरी, डाके, हत्या आदि के मामलों में उचित कार्रवाई न करने के आरोप थे। इस प्रकार के शिकायतों की संख्या, कुल के अनुपात में १७.९ प्रतिशत थी जबकि सन् १९५७ के वर्ष में यह अनुपात १८.३ प्रतिशत का था।

भूमि या पेंशन देने के संबंध में राजनीतिक पीड़ितों से और नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त याचना-पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि कुल याचना-पत्रों की संख्या के अनुपात में क्रमशः ६.८ और ९.९ प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत ४.६ और ४.७ था।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में विद्यार्थियों के याचनापत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। इनकी संख्या लगभग ९.७ प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष यह केवल २.२ प्रतिशत थी।

आलोच्य वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था में पेंशन देने की एक नयी योजना सरकार ने आरम्भ की। इस योजना का उद्देश्य ७० वर्ष या उससे अधिक अवस्था के सभी ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना था जिनके, जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो या जिनका भरण-पोषण करने वाला कोई निकट संबंधी न हो। पेटीशन विभाग के पास इस योजना के संबंध में भी अनेक याचनापत्र भेजे गये। इस प्रकार के याचनापत्रों की संख्या कुल याचनापत्रों की संख्या के अनुपात में ६.८ प्रतिशत थी, तथा इन याचनापत्रों को, सरकार के श्रम 'ब' विभाग को सूचित करते हुए कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश के श्रम-आयुक्त के पास भेज दिया गया।

बाढ़, अग्निकान्ड तथा सूखा सहायता संबंधी याचनापत्रों की संख्या में काफी कमी हुई। यह इस वर्ष कुल प्राप्त याचनापत्रों की संख्या का लगभग २.२ प्रतिशत ही था जबकि गत वर्ष यह १५.२ प्रतिशत था। इन याचनापत्रों को प्राथमिकता दी गयी, और उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास तात्कालिक एवं उचित सहायता देने के लिए भेज दिया गया। साथ ही प्रेषकों को यह सलाह दी गयी कि वे सहायता के संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें।

गांव पंचायतों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा परेशान करने की शिकायतों की संख्या में भी कमी हुई। यह सन् १९५७ के ७.२ प्रतिशत की तुलना में २.१ प्रतिशत रही।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने संबंधी याचना पत्रों की संख्या लगभग २.७ प्रतिशत थी जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्या २.१ प्रतिशत थी।

अन्य प्रकार की शिकायतों तथा याचनापत्रों की संख्या, गत वर्ष से कुछ कम रही। चकबन्दी के संबंध में सन् १९५७ के २६० की अपेक्षा इस वर्ष ६३५ शिकायतें प्राप्त हुईं।

सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध १,२७५ शिकायतें प्राप्त हुईं, जो कि कुल शिकायतों की संख्या का ४.१ प्रतिशत था। इनमें से ३७४ (२९.३३ प्रतिशत) शिकायतों को जमा कर दिया क्योंकि वे या तो निराधार या अत्यन्त मामूली थीं या गुमनाम थीं और ७४६ शिकायतों को (५८.५ प्रतिशत) संबंधित अधिकारियों के पास कार्रवाई के हेतु भेज दिया गया। १५५ मामलों में (१२.१० प्रतिशत) रिपोर्ट मांगी गयी।

ऐसी शिकायतों तथा याचना पत्रों की संख्या, जिन्हें उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, का प्रतिशत लगभग ९·५९ था जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत १०.७९ प्रतिशत था।

३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुए कुल याचना पत्रों की संख्या	३१,००५
ऐसे याचना पत्रों की संख्या जिन पर याचना विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी	२४,४७१
जमा किये गये याचनापत्रों की संख्या	६,५३४
ऐसे याचना पत्रों की संख्या जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के हेतु सचिवालय के विभागों में या अन्य विभागाध्यक्षों के पास भेजा गया	२२,६५९
ऐसे याचना पत्रों की संख्या जिन्हें उचित अधिकारियों के पास भेजने के लिए प्रेषकों को लौटा दिया गया या उन्हें सीधे जावब दे दिया गया	१,८१२
ऐसे याचनापत्रों की संख्या जिनके बारे में सीधे पेटीशन विभाग द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी	९५४
३१ मार्च, १९५९ तक रिपोर्ट प्राप्त हुई	४६२
ऐसे याचना पत्रों की संख्या जिन पर आलोच्य वर्ष में पेटीशन विभाग द्वारा जांच के बाद प्रभाव पूर्ण कार्रवाई की गयी	८२

अध्याय २

भूमि प्रशासन

३—जमींदारी विनाश और भूमि सुधार

उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८

"आस्थान की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम) के द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५० (सन् १९५१ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम) की धारा ३ की उपधारा (८) का संशोधन किया गया।

उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८

सन् १९५६ तक संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५० (सन् १९५१ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम) के कार्यान्वय के अनुभव से यह पता चला कि उक्त अधिनियम में कई त्रुटियां हैं। उदाहरणार्थ, नियमित मुकदमों द्वारा भूमि-सुधार के नियमों को कार्यान्वित करने के हेतु गांव समाजों को जो अधिकार सौंपे गये थे वे काफी परेशानी पैदा करने वाले थे। गांव समाज के मुकदमों के संचालन में भी कठिनाई पड़ती थी। सामान्य रूप से जनता की एक मांग यह भी थी कि भूमिधरों से संबंधित मुकदमों आदि का निपटारा माल की अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि कम खर्च पर शीघ्र न्याय मिल सके। यह भी आवश्यक समझा गया कि भूतपूर्व मध्यवर्ती अपने पुनर्वास अनुदान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना-पत्र एक निर्धारित अवधि के भीतर ही दिया करें, जिससे कि अनावश्यक विलम्ब और खर्च बचाया जा सके। किसी ऐसी प्रणाली का निकालना आवश्यक था जिससे दाखिल खारिज के मुकदमें शीघ्र निपटाये जा सकें। केवल अलग हो जाने का इरादा ही संयुक्त परिवार की विभक्ति के लिए पर्याप्त है। धारा १५४ में कही गयी संयुक्त परिवार की जरूरत का यह अर्थ लगाया जा सकता था कि एक परिवार में प्रौढ़ पुरुष हों उनके हिसाब से प्रति पुरुष ३० एकड़ जमीन कुमाऊं यूनिट के पास रह सकती है। अतः भविष्य में भूम्याधिकार अर्जित करने के लिए जहां संयुक्त परिवार कम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई वहीं भूमि की अधिकतम सीमा-निर्धारित करना आवश्यक हो गया। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५८ प्रस्तुत किया गया। आलोच्य वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा यह पारित किया गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह उत्तर प्रदेश का सन् १९५८ का ३७वां कानून बन गया।

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५६

सन् १९५७ के वर्ष में जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम) के अध्याय २ के अन्तर्गत नियम बनाये गये और सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के कार्यान्वय की दिशा में प्रारम्भिक कार्रवाई की गयी। सर्वेक्षण और बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आलोच्य वर्ष में चालू रहे। उक्त अधिनियम के अध्याय ३ की धारा १५ के अन्तर्गत मध्यवर्तियों को जो हक, मिल्कियत और हित हैं उन्हें प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्रवाई उक्त कार्यों के पूरा हो जाने पर की जायगी।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५६

पूर्वगामी वर्ष में मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बलिया, गढ़वाल, गोंडा, देवरिया, अलीगढ़, जालौन, मुजफ्फरनगर और फतेहपुर की नगर पालिकाओं में नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५६ (सन् १९५७ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम) के अध्याय २ के अन्तर्गत शहरी सीमा के भीतर कृषि क्षेत्र की हदबन्दी का कार्य आरम्भ किया गया था। साथ ही कुमायूं कमिश्नरी के जिलों को छोड़ कर राज्य के शेष जिलों में प्रत्येक जिले के किसी एक सब से छोटे टाउन एरिया में भी सीमा निर्धारण का यह कार्य आरम्भ किया गया। आलोच्य वर्ष के अन्त तक ८३ और नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी। नागर क्षेत्रों में, वहां के कृषि क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के बाद ही, जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन किया जाना था।

भूतपूर्व रामपुर रियासत में जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम का लागू किया जाना

आलोच्य वर्ष में रामपुर के कुछ मध्यवर्तियों और अधिकांश ठेकेदारों तथा पट्टेदारों द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५० और रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिका (रिट) खारिज कर दी गयी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम, १९५० अपने १९५४ और १९५६ के संशोधित अधिनियमों के साथ आलोच्य वर्ष में उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया जो कि रामपुर ठेकेदारी और पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत आते थे।

उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५६ का विस्तार लागू किया जाना

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम) की धाराओं का, उचित अपवादों के साथ और मूल पर प्रभाव न पड़ते हुए संशोधनों के साथ, निम्नलिखित स्थानों में विस्तार व लागू किया गया--

(१) वाराणसी जिले में परगना कसवार राजा,

(२) भूतपूर्व बनारस राज,

(३) उत्तर प्रदेश में विलीन वे अन्तर्क्षेत्र जिनकी परिभाषा प्राविंसेज एण्ड स्टेट्स (एब्सार्पशन आफ इनक्लेब्ज़स) आर्डर, १९५० में की गयी है,

(४) कैमूर पहाड़ियों के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग,

(५) ३२ जिलों में बिखरे हुए सरकारी आस्थान,

(६) भूतपूर्व रामपुर रियासत में वे सरकारी आस्थान जिनमें ठेकेदारी और पट्टेदारी नहीं थी।

शेष क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम का विस्तार

अल्मोड़ा, टिहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के जिलों में, नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों में, तराई भावर सरकारी आस्थान उपनिवेशन क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी स्थानीय निकायों के आस्थानों में और सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिकृत क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार अधिनियम की धाराओं का अब तक विस्तार न किया गया था।

उत्तर प्रदेश कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार विधेयक, १९५६

जहां तक कि अलमोड़ा, गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल के जिलों में तथा नैनीताल जिले की पहाड़ी पट्टियों में जमींदारी विनाश का प्रश्न था, इस सम्बन्ध में 'कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार विधेयक, १९५६' के नाम से एक अलग विधेयक सन् १९५६ में विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधान मण्डल की एक संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक पर विचार कर आलोच्य वर्ष में ही विधेयक के सम्बन्ध में ही अपना प्रतिवेदन विधान मण्डल के पास भेज दिया।

जोतों की चकबंदी

आलोच्य वर्ष में सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, बिजनौर और बरेली के जिलों में दूसरी तहसीलों में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किया गया, क्योंकि इन जिलों की पहली तहसीलों में चकबन्दी का काम प्रायः समाप्त हो चुका था। वर्ष के अन्त तक इस योजना का विस्तार राज्य के २७ जिलों की ३७ तहसीलों में किया जा चुका था। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ५५,३४,५६५ एकड़ का कृषि क्षेत्र आ गया जिसमें १३,८०३ गांवों में १,५०,५४,०३४ जोत (खेत) थे।

आलोच्य वर्ष में २,२६० गांव (जिनकी कुल संख्या ७,४८४ गांव तक पहुंच गयी) के सम्बन्ध में प्रस्ताव की तालिका अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी। २,२७८ गांवों में जोतों पर अधिकार हस्तान्तरित किया गया और इस प्रकार ऐसे गांवों की कुल संख्या ६,८३५ तक पहुंच गयी और इसके अन्तर्गत २,५०१,२६० एकड़ कृषि भूमि आ गयी। नये चकों को हस्तान्तरण करने के फलस्वरूप लगभग ५३ प्रतिशत खातेदारों में से प्रत्येक को एक चक, लगभग २६ प्रतिशत खातेदारों में से प्रत्येक को २ चक और लगभग २१ प्रतिशत खातेदारों में से प्रत्येक को ३ या इससे भी अधिक चक प्राप्त हुआ।

पूर्वगामी वर्ष में जो प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया था वह चालू रहा और आलोच्य वर्ष में एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

चकबन्दी के कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनके सम्बन्ध में पूरी-पूरी जांच की गयी। आलोच्य वर्ष में जोत चकबन्दी के क्षेत्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध २,२४२ शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके सम्बन्ध में जांच करने के परिणामस्वरूप ८२९ शिकायतें निराधार पाई गयीं। दो सहायक चकबन्दी अधिकारी, ३ चकबन्दीकर्ता (कंसोलिडेटर), ४ चकबन्दी लेखपाल, ६ लिपिक और निम्न श्रेणी के ५ कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिये गये। क्षेत्रीय कर्मचारियों में से कुछ अपने-अपने पुराने विभागों को वापस भेज दिये गये।

चकबन्दी की विधि को सरल बनाने और उन बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से जो चकबन्दी कार्य में अनावश्यक विलम्ब डालते थे, उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३८वां अधिनियम) द्वारा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में कुछ और भी संशोधन किये गये।

*४—सर्वेक्षण, बन्दोबस्त और भूमि अभिलेखन कार्य

देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में मध्यवर्तियों की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से आरम्भ किये गये बन्दोबस्त कार्यों में पटवारियों द्वारा पड़ताल समाप्त कर लेने, खेवट खसरा दुरुस्तगी तथा खतौनी की तैयारी के साथ और अधिक प्रगति हुई। इन पर ६४,९६० रु० खर्च हुए।

---

*सन् १९५८ के कलेंडर वर्ष से सम्बन्धित।

सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखन कार्य अनेक जिलों में या तो आरम्भ किये गये या जारी रहे या पूरे हो चुके थे। इस सम्बन्ध में विवरण यहां दिये जा रहे हैं--

जिले का नाम	कार्य का प्रसार	कार्य की स्थिति	आलोच्य वर्ष में व्यय
(१) मिर्जापुर	दुद्धी तहसील में और सिंगरौली परगना के १५ गांवों में पूरा किया गया और समाप्त किया गया	सम्पूर्ण सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखन का कार्य	रु०
(२) बहराइच	२७९ गांव	सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख तैयार करना	१,४४,८६८
(३) मुजफ्फरनगर	४८ गांव	भूमि अभिलेखन में पकड़ी गयी गलतियों की दुरुस्तगी	१,०४,२८७
	१८३ गांव	सर्वेक्षण अभिलेखों को साफ-साफ लिखना और तसदीक	
(४) बरेली	३७ गांव	सन् १९५६ में पूरे किये गये अभिलेखन कार्य की गलतियों की दुरुस्तगी	२३,१९१
	६० गांव	पुनः सर्वेक्षण, नक्शा दुरुस्तगी और खसरा तैयार करना	
(५) सहारनपुर	६ गांव	सर्वेक्षण और खसरा तथा नक्शे तैयार करना	७,०२३
(६) प्रतापगढ़	१६ गांव	सर्वेक्षण	६,५५०
(७) पीलीभीत	३०७ गांव	सर्वेक्षण, नक्शा दुरुस्तगी, फर्द मुताविकात, खसरा और खतिऔनी की तैयारी	६१,७२६
(८) हरदोई	१२३ गांव	सर्वेक्षण	६,३१०
(९) रामपुर	१४१ गांव	सर्वेक्षण, फर्द मुताविकात की तैयारी, खसरा लिखना और तसदीक	१५,३१८

जिले का नाम	कार्य का प्रसार	कार्य की स्थिति	आलोच्य वर्ष में व्यय
			रु०
(१०) देवरिया	३९ गांव	सर्वेक्षण, फर्द मुताविकात की तैयारी खसरा लिखना और तसदीक	८,०९२
(११) फैजाबाद	४० गांव	सर्वेक्षण, भूमि अभिलेखन और तसदीक	३०,९४०
(१२) शाहजहांपुर	१०८ गांव	सर्वेक्षण और नक्शा दुरुस्तगी	६,०५५
(१३) मेरठ	९० गांव	पुनः सर्वेक्षण, खसरा तैयार करना और तसदीक	३९,९१२
(१४) मुरादाबाद	२०६ गांव	सर्वेक्षण फर्द मुताविकात की तैयारी खसरा और खतिऔनी की तैयारी और तसदीक	८५,१५२
(१५) नैनीताल	पूरी तहसील नैनीताल	तसदीक, खसरा और खतिऔनी की तैयारी	२,२४,०९५
(१६) अलमोड़ा	रानीखेत और अलमोड़ा की पूरी तहसील	सर्वेक्षण	७,३२,८७६
(१७) गढ़वाल	चमोली और पौड़ी की पूरी तहसील	पुनः सर्वेक्षण और तसदीक	५,०१,००२
(१८) टिहरी-गढ़वाल	टिहरी और प्रतापनगर की तहसील	पुनः सर्वेक्षण, तसदीक और भूमि अभिलेखन	४,९०,५९२

५—भूमि अभिलेख

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के पारित हो जाने के पश्चात् और तदनुसार उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, १९०१ की धाराओं में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप सुपरवाइजर कानूनगोओं को अपने पड़ताल के सिलसिले में मौके पर ही विरासत के ऐसे मामलों को, जिनमें कोई झगड़ा न हो, निपटा देने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही सभी प्रकार के विरासत के मामलों को, चाहे उनमें झगड़ा हो या न हो, निपटाने के लिए तहसीलदार उपयुक्त अधिकारी हो गया।

मटियार और उपनिवेशन क्षेत्रों और पूर्वी जिलों के इस्तमरारी बन्दोबस्त के क्षेत्रों जहां अन्तिम सर्वेक्षण हुए काफी समय हो गया है, राज्य के शेष गांवों के नकशों के सम्बन्ध में सामान्यतः यह सूचना थी कि उनकी स्थिति सन्तोषजनक है। हदबन्दी के निशानों का निरीक्षण किया गया और उनके सामान्यतः सन्तोषजनक होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

अपने हल्के में रहने वाले लेखपालों की संख्या ५७.१२ प्रतिशत से बढ़ कर ५८.४ प्रतिशत हो गयी। (गांवों में उचित आवास की कमी के कारण इसका प्रतिशत कम था।) ०.७८ प्रतिशत लेखपालों को यह छूट दी गयी कि वे अपने हल्कों से बाहर रह सकते हैं।

आलोच्य वर्ष में अभिलेखों को दुरुस्त करने से ११,४७० विचाराधीन मामलों को, जिन्हें सन् १९५४-५५ के अभिलेख सुधार अभियान में पकड़ा गया था, निपटाया गया।

भूमि अभिलेखों की जांच और पुनर्जांच के फलस्वरूप निगरानी करने वाले कर्मचारियों में सुपरवाइजर कानूनगोओं ने खसरा में २.९५ प्रतिशत, तसदीक में ३.३ प्रतिशत और खतौनी में ४.३६ प्रतिशत गलतियां पकड़ीं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने क्रमशः ११.०८ प्रतिशत, ९ प्रतिशत और ५.८ प्रतिशत गलतियां जांच में और ५.१ प्रतिशत, ५ प्रतिशत और ३.१ प्रतिशत गलतियां पुनर्जांच में पकड़ी। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टरों ने भी जांच और पुनर्जांच के सिलसिले में क्रमशः ९.३ प्रतिशत, ७.८ प्रतिशत और ५.८ प्रतिशत तथा ३.४ प्रतिशत, ३.३ प्रतिशत और २.३ प्रतिशत गलतियां पकड़ीं।

आलोच्य वर्ष में राज्य में लेखपालों को शिक्षा देने वाले जो ९ स्कूल थे वे सभी इस वर्ष भी चालू रहे। अन्तिम (फाइनल) परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या इस वर्ष ४८३ थी जब कि गत वर्ष इनकी संख्या ४३२ थी। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत गत वर्ष के ७३.६ प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष ९०.८ प्रतिशत रहा। परीक्षा-फल के प्रतिशत में इस वृद्धि का कारण उम्मीदवारों के चुनाव में नवीन प्रणाली का अपनाया जाना व पूर्वगामी वर्ष में लेखपाल स्कूल का पुनस्संगठन किया जाना था। २९ उम्मीदवारों ने परीक्षा की अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं के प्राप्त अंकों को पुनः जोड़ने के लिए आवेदन-पत्र दिया पर इस जांच के फलस्वरूप कोई भी उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हुआ।

नवम्बर, १९५७ में कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में ९८ उम्मीदवार भरती किये गये और इनमें से ८९ उत्तीर्ण हुए। दो विभागीय उम्मीदवारों का परीक्षाफल रोक लिया गया। सात उम्मीदवारों को, जो कि अनुत्तीर्ण हो गये थे, पुनः परीक्षा ली गयी और इस पूरक परीक्षा में केवल ५ ही उत्तीर्ण हुए। कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में नायब तहसीलदारों को सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख के विषय में प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह का एक तहसीलदार और राज्य के ४८ नायब तहसीलदारों ने शिक्षण प्राप्त किया।

संविधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत लेखपाल और रजिस्ट्रार कानूनगोओं तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं के लिए नौकरी के नियम बनाये गये तथा इस श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की अपीलें व निगरानियां अब से नागरिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली से संचालित होंगी।

भूमि अभिलेख विभाग के सहायक संचालक ने व्यापक रूप से दौरा किया और भूमि अभिलेख की प्रणाली में सुधार करने के लिए जिला अधिकारियों को सुझाव दिये।

६—काश्तकारी क्षेत्र

कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों को छोड़कर राज्य में खातों का क्षेत्रफल इस प्रकार था—

(लाख एकड़ में, ३० जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले फसली वर्ष के लिए)

राज्य में कुल खातों का क्षेत्रफल	४५८
उन खातों का कुल क्षेत्रफल जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि सुधार अधिनियम लागू था	४४९
उन खातों का क्षेत्रफल जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि-सुधार अधिनियम लागू नहीं था	९

राज्य के जिन भागों म जमींदारी प्रथा समाप्त हो चुकी थी वहां भूमि का बटवारा निम्न प्रकार था—

(लाख एकड़ में, ३० जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले फसली वर्ष तक)

भूमिधरों के कब्जे में	१४१
सीरदारों के कब्जे में	३००
जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १३७ के अन्तर्गत व्यक्तियों के कब्जे में	१
खतौनी के भाग एक में दर्ज असामियों के कब्जे में	२
खतौनी के भाग १ में दर्ज स्वत्वहीन किसानों के कब्जे में ..	०.७९

राज्य के जिन भागों में जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई थी वहां भूमि का बटवारा इस प्रकार था—

(संख्याएं एकड़ में और ३० जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले फसली वर्ष के लिए)

(१)	सीर के रूप में जमींदारों की जोत	१५,२१८
(२)	जमींदारों की खुदकाश्त	३३,३७४
(३)	ठेकेदार या मुर्तहिन किसान	२,०१६
(४)	जिन व्यक्तियों को भूमि उठाने का अधिकार था उनकी भूमि पर बिना उनकी मर्जी के काबिज किसान	७५,६४३
(५)	माफीदार किसान	५,२०७
(६)	सीर और खुदकाश्त के जिमनी मालकान	६८,७८७
(७)	इस्तमरारी, शरहमुअय्यन, साकितुल्मिल्कियत, दखीलकार और ऐसे काश्तकार जिनका कब्जा १३३३ फसली को १२ वर्ष से कम की अवधि का था	२,३३,३८८
(८)	विशेष अधिकार वालों सहित मौरूसी काश्तकार ..	३,६६,२३६
(९)	गैर-दखीलकार काश्तकार	७५,९१४
(१०)	अन्य काश्तकार, रियायती दरों के काश्तकार और बगीचेदार	७,६१४
(११)	जिंसी लगान वाले काश्तकार	१०,८७२

७—सरकारी आस्थान

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश में २०२ सरकारी आस्थान थे। इनमें तीन प्रमुख आस्थान थे। नैनीताल जिले में तराई और भावर का सरकारी आस्थान, गढ़वाल जिले में गढ़वाल भावर और मिर्जापुर जिले में स्टोन महल का आस्थान था।

भूतकाल में सरकारी आस्थानों में विकास कार्य को केवल बड़े-बड़े आस्थानों तक ही सीमित रहे। सरकारी आस्थानों के प्रबन्ध के लिए अलग संगठन तोड़ देने के और इसे जिले के सामान्य प्रशासन में समन्वित कर देने के सरकारी नीति के फलस्वरूप तराई और भावर तथा गढ़वाल भावर के सरकारी आस्थानों की विभिन्न विकास शाखाओं को सन् १९५७ में संबंधित प्रशासकीय विभागों के नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सरकारी आस्थान संघटनों की सीधे देखरेख में विकास कार्यों के कार्यान्वय का प्रश्न उठा ही

नहीं। किन्तु गढ़वाल भावर के सरकारी आस्थान में सिगड्डी जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा किया गया। सन् १९५६–५७ के वर्ष में सिगड्डी क्षेत्र के गांवों में जिसमें झण्डी चौर का गांव भी सम्मिलित है, पीने का पानी सप्लाई करने के लिए इस योजना को आरम्भ किया गया था। मिर्जापुर जिले के दुद्धी के सरकारी आस्थान में अनेक बन्धियों और कुओं की मरम्मत की गयी। दुद्धी के सरकारी आस्थान के अधिकारियों द्वारा चलायी जाने वाली २० प्रारम्भिक पाठशालाएं संतोषजनक रूप से कार्य करती रहीं।

शांतिपुरी गांव में भूमि एलाट करने की प्रणाली

जून, १९५१ में यह निश्चय किया गया कि प्रदेश के विस्थापित तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को कृषि कार्य एवं बसने के लिए देने के हेतु नैनीताल जिले के तराई और भावर बनों के १२ वर्ग मील जंगल को, जिसमें ८,५८५.५ एकड़ भूमि थी, साफ किया जाय। कुमायूं के भूमिहीन व्यक्तियों के ६०० परिवारों को इस भूमि के एक भाग पर विशेषक खामियां और हिम्मतपुर के विकास खण्डों में, स्थानीय भूदान समिति के परामर्श से बसाया जाना था। फलस्वरूप खामियां खण्ड में ७॥ एकड़ प्रति परिवार की दर से २३० व्यक्तियों को भूमि एलाट की गयी। पहले तो लोगों ने कोई उत्साह नहीं दिखलाया। पर बाद में भूदान समिति द्वारा जिसने कि गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ का सहयोग प्राप्त कर लिया था, विशेष रुचि दिखलाये जाने पर योजना की प्रगति हुई और भूमि को ट्रैक्टरों द्वारा कृषि योग्य एवं बसने योग्य बनाया गया।

खामियां खण्ड को चार मुख्य खण्डों में विभाजित किया गया। प्रत्येक खण्ड एक बड़े नाले से अलग होता था और इन प्रत्येक खण्डों में बसने वाले परिवारों की संख्या ४० से ६० तक थी। इन चारों खण्डों को संयुक्त रूप से शांतिपुरी गांव कहा जाता था और बसने वाले परिवारों की कुल संख्या २२२ थी।

बसने वाले व्यक्ति मामूली साधनों के थे, इसलिये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक बाहरी व्यक्तियों ने इस आशा में ऋण देने की चेष्टा कर उनका शोषण करने का प्रयत्न किया कि उनकी भूमि वे अपने नाम हस्तांतरित करा लेंगे। अतएव इन खन्डों में (शांतिपुरीगांव में) सहकारी कृषि आरम्भ करने का निश्चय किया गया। फलस्वरूप उक्त गांव की समस्त भूमि व्यक्तियों के नाम से न एलाट की जा कर, उस क्षेत्र में संघटित सात सहकारी समितियों के एक परिषद के नाम एलाट की गयी। परिषद और उसके सभी अंगों की सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्री की जा चुकी थी। परिषद अपनी ओर से अपने सदस्यों से, अर्थात स्थानीय सहकारी समितियों की खेती करा सकती थी। आलोच्य वर्ष में परिषद को लगभग १,३३८ एकड़ भूमि एलाट की गयी और शेष क्षेत्र को एलाट करने के संबंध में कार्य चल रहा था।

तराई और भावर की भूमि के सम्बन्ध में एलाट करने की नीति

विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि संबंधी आवश्यकताओं की स्थिति पर विचार किया गया और तराई और भावर के सरकारी आस्थानों की सभी उपलब्ध भूमि तथा भविष्य में भी उपलब्ध होने वाली सभी उपलब्ध भूमि के एलाटमेन्ट के संबंध में एक नीति निर्धारित की गयी। इस नीति का निश्चय करने में भूमिहीन व्यक्तियों के बसने की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से कुमाएं के भूमिहीन शिल्पकारों की आवश्यकताओं पर उचित रूप से ध्यान दिया गया। कुमायूं के भूमिहीन शिल्पकारों और उत्तर प्रदेश के भूमिहीन व्यक्तियों के अतिरिक्त भूमि को (१) थारुओं और बुक्साओं के परिवारों को, (२) शारदा सागर, नानक सागर, धौरा सागर और थोमरिया बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को, और (३) मेरठ जिले के गंगा खादर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के परिवारों को भी एलाट करना था।

अधिकारहीन व्यक्तियों का हटाया जाना

तराई और भावर के सरकारी आस्थानों में भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा घेर लिया गया था। गैर-कानूनी ढंग से इन बसने वालों को हटाने के लिये आलोच्य वर्ष में कार्रवाई की गयी।

ऐसे अकृषि भूमि को, जिसे इन अनधिकृत रूप से बसने वालों ने घेर कर उस पर इमारत आदि बना लिया था, खाली करवाने के संबंध में यह निश्चय किया गया कि ऐसी भूमि, जिसकी कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवश्यकता थी या पड़ने वाली थी, को एक निश्चित अवधि के भीतर खाली कर देने व हरजाना देने के हेतु नोटिस जारी की जाय। इन नोटिसों की उपेक्षा करने पर अनधिकृत काबिजों के ऊपर दीवानी में मुकद्दमा दायर किया जाय। अन्य मुकदमों के संबंध में यह निश्चय किया गया कि अनधिकृत काबिजों को इस शर्त पर माफ कर दिया जाय कि वे ७.५ नया पैसा प्रति वर्ग गज की दर से जुरमाना दें और इसके अतिरिक्त १.५० नया पैसा प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष की दर से भूमि का किराया एक निश्चित अवधि के भीतर देने को राजी हों तथा इस प्रकार की समस्त रकम चुकता करके एक निश्चित अवधि के भीतर पट्टा कर दें।

अध्याय ३

शांति व व्यवस्था

गृह

८—(क) पुलिस

सामान्य

राज्य में सामान्य शांति और व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में रही। यत्र तत्र की मामूली घटनाओं को छोड़ कर साम्प्रदायिक स्थिति भी संतोषजनक रही।

आलोच्य वर्ष में अनेक आन्दोलन हुए जिनमें खाद्य स्थिति के संबंध में कुछ संस्थाओं द्वारा चलाये गये आन्दोलन व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों का भी आन्दोलन था। इनके अतिरिक्त सहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे की हड़ताल, अनेक उप-निर्वाचन उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन, महत्वपूर्ण धार्मिक मेले और भयंकर बाढ़ ने पुलिस पर उत्तरदायित्व का बहुत भार डाल दिया। इन सभी अवसरों पर और अपराध की रोकथाम में पुलिस की विभिन्न शाखाओं ने अपने कर्त्तव्य का मुस्तैदी के साथ पालन किया। पुलिस का नैतिक स्तर तथा अनुशासन ऊंचा बना रहा।

पुलिस तथा जनता के आपसी संबंधों में सुधार पर अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा और इस दिशा में जो परिणाम प्राप्त हुए वे काफी उत्साहवर्धक थे। प्रत्येक जिले में रायफल क्लबों की, जो कि पुलिस की देखरेख में निशानेबाजी प्रतियोगिता संगठित करती थी, स्थापना और समय-समय पर विधान मण्डल के सदस्यों तथा समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों ने पुलिस को जनता के निकट ले आने में काफी सहायता पहुंचाई।

'भूले भटके बालक' दस्ता, 'हमारे लिए कोई सेवा' दस्ता, 'सचल जनसेवक' दस्ता जैसे पुलिस दल के समाज सेवा दस्तों द्वारा किये गये उत्तम कार्यों ने और आलोच्य वर्ष में कई जिलों में ग्राम्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा आरम्भ किये गये पद यात्रा अभियानों ने पुलिस जनता संबंधों को सुधारने की दिशा में बड़ा काम किया।

राज्य के बसे हुए गांवों के लगभग ९० प्रतिशत गांवों में ग्राम्य रक्षा समितियों की स्थापना की गयी। अपराधियों और असामाजिक तत्वों का सामना करने के लिये इन समितियों का संगठन सन् १९५३ में किया गया था। सदा की भांति इन समितियों ने, जिन्हें डाकुओं का सामना करने व उनसे लड़ने की ट्रेनिंग पुलिस ने दी थी, शांति और व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग ११५ अवसरों पर गांव वालों ने बहादुरी से तथा संगठित रूप से मोर्चा लिया और २९ डाकुओं के मारने में तथा एक बड़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हुए। इसके लिए उन्हें भारी मूल्य भी चुकाना पड़ा और डाकुओं द्वारा २९ गांव वाले भी मारे गये। गांवों में रात में गश्त लगाने के काम में भी गांव वालों ने सहयोग दिया। गांव रक्षा समिति के उन सदस्यों को, जिन्होंने जायदाद के विरुद्ध किये जाने वाले सभी प्रकार के अपराधों के अपराधियों का मुकाबला करने में प्रशंसनीय बहादुरी दिखलाई, बन्दूक, बन्दूक के लाइसेंस और नगद पारितोषिक दिये गये। जो गांव वाले मारे गये उनके आश्रितों को असाधारण रूप से पेंशन दी गयी। आलोच्य वर्ष में लगभग ४० ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को असाधारण रूप से पेंशनें दी गयीं जिन्होंने अपराधियों का मुकाबिला करने में अपनी जानें गवां दी थीं।

थानों में सही रिपोर्ट दर्ज हों व मामलों की सही रजिस्ट्री हो इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किये गये। अपराधों के कम करने या छिपाने के संबंध में आधार सहित शिकायतें प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की गयी। जन-सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से गजटेड पुलिस अधिकारियों द्वारा अक्सर गांवों का दौरा किया जाता रहा। इस दिशा में जो प्रयास किये गये उनसे पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध बनाये रखने के अतिरिक्त, ग्राम्य क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की शीघ्र जांच में भी काफी सहूलियत मिलने की संभावना थी।

अपराध

आलोच्य वर्ष में कत्ल और दंगे को छोड़कर अपराधों की संख्या में कमी हुई। अपराधों की सन् १९५६, १९५७ और १९५८ की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी —

वर्ष		डकैती	चोरी	कत्ल	दंगे	सेंध
१९५६	..	९३२	५६२	१,५९९	३,०८७	१९,४२०
१९५७	..	९०७	५१७	१,४६८	३,००२	१८,३२८
१९५८	..	८२५	४७७	१,६३७	३,०४५	१७,५८९

'डकैती' के अन्तर्गत हुई कमी उल्लेखनीय है। इस कमी का श्रेय विभिन्न संघटित दलों के विरुद्ध ढंग से तथा समन्वित रूप से की गयी कार्यवाही को है तथा एक बड़ी संख्या में गैर-कानूनी आग्नेय अस्त्रों के बरामद किये जाने की है। मामलों का सुराग लगाने में भी काफी सफलता मिली।

दस्यु दलों के विरुद्ध कार्य

आलोच्य वर्ष में एक ओर तो पुलिस और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों और दूसरी ओर सुसंगठित एवं सशस्त्र डाकुओं के गिरोहों से अनेक सफल मुठभेड़ें हुईं जिनमें अनेक कुख्यात डाकू या तो मारे गये या गिरफ्तार कर लिए गये। उनके कब्जे से आग्नेयास्त्र भी बरामद किये गये। प्रायः सभी जिलों में डकैती की समस्या का उत्साहपूर्वक सामना किया गया और फलस्वरूप अनेक दस्युदल विनष्ट कर दिये गये।

मुठभेड़ों में मारे गये कुख्यात डाकुओं में देवी सिंह के गिरोह के दलुआ लोदी और राम चरन, रूपा के गिरोह के महाराज सिंह गुजर, आजमगढ़ के रंगिया अहिर, इटावा के भवानी ठाकुर और खीरी के सांवल सिंह और उसके सहायक फूल सिंह थे। पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार किये गये डाकुओं में (जिनकी संख्या ४० से अधिक थी) पद्मा, जोकि जहान सिंह का प्रमुख सहायक कहा जाता था, झांसी के जानकी अहीर, फतेहगढ़ के अशर्फी, नैनीताल के राय सिख राम सिंह लाखन सिंह के गिरोह के अमर सिंह, बरेली के माशूक अली, मध्य प्रदेश के अभिलाख सिंह और गोरखपुर के किताबुल और राम नरेश थे।

इस वर्ष की सब से महत्वपूर्ण घटना पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में खीरी जिले में कुख्यात डाकू सांवल सिंह और उसके सहायक फूल सिंह का मारा जाना था। इन लोगों ने खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और हरदोई के जिलों में उत्पात मचा रखा था। अन्य उल्लेखनीय घटना झांसी जिले में हुई मुठभेड़ों में जानकी अहीर और अजोधी गोंड़ के दलों का पूरा पूरा सफाया किया जाना था। इन मुठभेड़ों में एक कांस्टेबुल जान से मारा गया। इस जिले की पुलिस को दस्यु दलों से बारह बार मुठभेड़ करनी पड़ी जिसमें ६ डाकू मारे

गये और ४ गिरफ्तार कर लिए गये। इटावा की पुलिस ने भवानीठाकुर के गिरोह से सफलता पूर्वक मुकाबिला किया और काफी देर तक गोली चलाने के बाद गिरोह का मुखिया व दो अन्य डाकुओं को मार डाला तथा तीन को गिरफ्तार कर लिया।

गोरखपुर में पुलिस की किताबुल के गिरोह से मुठभेड़ हुई जिसमें किताबुल घायल हुआ और ८ अन्य डाकू गिरफ्तार कर लिए गये। ३ विदेशी निर्मित बन्दूक एक देसी बनी बन्दूक और एक देशी बनी पिस्तौल भी बरामद हुई।

मेरठ में पुलिस की डाकुओं के एक सक्रिय गिरोह से मुठभेड़ हुई जिसमें गिरोह का सरगना मार डाला गया और अन्य ६ डाकू गिरफ्तार कर लिए गये। एक एकनली बी० एल० अंग्रेजी बन्दूक और २ देशी पिस्तौलें बरामद हुईं।

मुजफ्फरनगर जिले के कांस्टेबुल राज सिंह ने जब कि वह छुट्टी पर अपने घर मेरठ जिले के एक गांव में था, दो संदिग्ध व्यक्तियों का, जिनमें से एक के पास बन्दूक भी थी, पीछा करने में उल्लेखनीय साहस एवं अपने कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया। यद्यपि सशस्त्र डाकू के हाथों उसे अपनी जान गवानी पड़ी फिर भी उसका साथी दोनों अपराधियों को पकड़ने में सफल रहा।

आजमगढ़ में हेड कांस्टेबुल महातम राय की, जब कि वह एक कांस्टेबुल के साथ एक कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी का वारेंट तामील करने गया था, मुठभेड़ हुई जिसमें वह डाकू को मारने तथा उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफल हुआ।

वर्ष के अन्त में मुजफ्फरनगर के केवल एक कुख्यात डाकू को पकड़ा न जा सका किन्तु उसके गिरोह को पकड़ने के लिये विशेष प्रयास किये जाते रहे। रूपा के गिरोह के विरुद्ध, जो कि वर्ष की अन्तिम तिमाही में आगरा जिले में बहुत सक्रिय हो चुका था, तेजी से कार्रवाई की जाती रही।

महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पूर्वक कार्रवाई

विभिन्न जिलों की पुलिसों तथा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जिन महत्वपूर्ण मामलों में सफलतापूर्वक कार्रवाई की जा सकी उनका विवरण इस प्रकार है—

जिला पुलिस—खीरी की कोतवाली पुलिस ने निगांसा के सहायक विकास अधिकारी के घर से चोरी गये ६३,६७० रु० मूल्य के समस्त माल को बरामद कर प्रशंसनीय कार्य किया।

लखनऊ की पुलिस ने २९,५०० रु० मूल्य की चोरी की गयी एक मोटर ट्रक बरामद की। कैन्टोनमेंट की पुलिस ने एक सैनिक अधिकारी की रोशनदान द्वारा चोरी की गयी एक पिस्तौल को तत्परता पूर्वक बरामद कर लिया।

बरेली की नगर पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात जालसाज को गिरफ्तार किया जिसने म्युनिसिपल बोर्ड से २५,९४२ रु० का एक चेक चुरा लिया था। पुलिस ने बहुत ही होशियारी से एक चपरासी से ७,२०० रु० की समस्त रकम बरामद कर ली जिसे कि स्टेट बैंक से वह लाया था। एक ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि २६,७१६ रु० की एक चोरी के लिए जिम्मेदार था और इस रकम का एक अंश भी बरामद कर लिया। आगरा शहर में पुलिस ने दो कुख्यात चोरों को १०,००० रु० मूल्य के माल के साथ, जिसे कि हाथरस से चुराया गया था, गिरफ्तार कर लिया।

बलिया की कोतवाली पुलिस ने चोरी होने के तत्काल बाद ही ९,२०० रु० मूल्य के चोरी गये समस्त माल को बरामद कर लिया।

बाराबंकी में एक चोरी के मामले में, जिसमें १६,२१२ रु० मूल्य का माल चोरी चला गया था, तत्काल जांच-पड़ताल की गयी और २,५०० रु० मूल्य का माल बरामद कर लिया गया।

देहरादून की पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जो एक विदेशी कूटनीतिज्ञ की पत्नी के हाथ से बटुआ छीन कर बचकर भाग निकला था और साथ ही बटुआ भी बरामद कर लिया।

अलीगढ़ में जलाली टाउन एरिया के चेयरमैन के कत्ल का मामला अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया और अन्त में मामले का चालान किया गया।

आगरा और वाराणसी में तांबे के तार की चोरी करने वाले गिरोहों का पता चलाया गया और इन दोनों स्थानों में क्रमशः ८ मन और २ मन तांबे के तार बरामद किये गये।

गोरखपुर और जालौन जिले में चोरी से गांजा ले जाने वाले गिरोहों को गिरफ्तार किया गया और दोनों जिलों में क्रमशः ५०,००० रु० व २५,००० रु० मूल्य का नाजायज गांजा बरामद किया गया। देवरिया जिले में चोरी से गांजा ले आने-जाने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाया गया और उसका उन्मूलन किया गया। फैजाबाद में एक गिरोह के २३ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये और उनके पास से डेढ़ मन चोरी से आया हुआ गांजा बरामद हुआ।

मेरठ, आगरा और बरेली रेंज के जिलों में विशेष अभियानों द्वारा ६९ विदेशी निर्मित और १,३३१ देशी बने गैर-काननी आग्नेयास्त्र बरामद किये गये। कानपुर के रेंज में भी २७२ चोरी किये गये गैर कानूनी आग्नेयास्त्र बरामद किये गये। गैर-कानूनी ढंग से हथियार बनाने के तीन छोटे-मोटे कारखानों का भी पता लगाया गया।

राजकीय रेलवे पुलिस—आलोच्य वर्ष में कुल ३,४४४ मामले दर्ज किये गये जब कि गत वर्ष इनकी संख्या ३,३८५ थी। इस प्रकार इनमें ५९ की वृद्धि हुई। चोरी के मामलों की संख्या २,२७७ थी जब कि पूर्वगामी वर्ष में यह २,३०६ थी। चोरी के मामलों में क्रमशः ८,५३,१४६ रु० मूल्य के व १,८५,३१४ रु० मूल्य का माल चोरी गया व बरामद किया गया।

१८ फरवरी, १९५८ को पूर्वोत्तर रेलवे के कुसुम्भी स्टेशन (उन्नाव) के निकट चलती गाड़ी में लेफ्टिनेंट जे० बी० खन्ना की हत्या के एक महत्वपूर्ण और उलझे हुए मामले का राजकीय रेवले पुलिस ने सफलतापूर्वक पता लगाया। इस जघन्य हत्या के लिए उत्तरदायी दो मुलजिमों पर मामला चलाया गया और उन्हें मृत्यु दण्ड मिला।

राजकीय रेलवे पुलिस अपराध अनुसंधान शाखा और आगरा की जिला कार्य-कारिणी फोर्स के मिल जुल कर एवं समन्वित रूप से कार्य करने के फलस्वरूप ट्रेन के रेलवे मेल सर्विस के डिब्बे से ४६,००० रु० मूल्य के बीमा के लिफाफों और पार्सलों की चोरी का एक ऐसे सनसनी दार मामले का सफलतापूर्वक पता लगा लिया गया और चालान किया गया जिसमें ३ हत्यायें भी हुई थीं।

बरेली की राजकीय रेलवे पुलिस ने २ ऐसे डाकुओं को गिरफ्तार किया जो डकैती डालने के बाद रेल से यात्रा करने वाले थे, और उनके पास से काफी लूट का माल भी बरामद कर लिया।

६,१३६ रु० मूल्य के बहुमूल्य सामानों को उनके सही मालिकों को लौटा देने का श्रेय राजकीय रेलवे पुलिस को प्राप्त हुआ।

जिला पुलिस तफतीश और शांति व व्यवस्था के कर्मचारी

बड़े शहरों में 'जांच के कर्मचारी' और 'शांति व व्यवस्था के कर्मचारी को' अलग करने की, और महत्वपूर्ण चौकियों पर दरोगा की नियुक्ति करने की योजना लाभप्रद सिद्ध हुई ।

अपराध अनुसंधान शाखा—(क) पुनस्संगठन

अपराध अनुसंधान शाखा महत्वपूर्ण कार्य करती रही। यह अनुभव किया गया कि इधर हाल के वर्षों में विभाग का उत्तरदायित्व काफी बढ़ गया है और विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों की निगरानी व उनमें समन्वय करने का काम एक उप प्रधान निरीक्षक (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल) के लिए कठिन होता जा रहा है। यह भी अनुभव किया गया कि शिकायत शाखा (कम्प्लेन्ट आर्गनिजेशन) का कार्य अपराध अनुसंधान विभाग की जांच शाखा के कार्य से मिलता-जुलता है। अतः इन दोनों शाखाओं को बहुत आसानी से मिलाकर कर एक किया जा सकता है और उन्हें पुलिस के एक उप प्रधान निरीक्षक की निगरानी में रखा जा सकता है। अतएव अगस्त, १९५८ में अपराध अनुसंधान विभाग की विभक्ति के लिए आदेश जारी किये गये। विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग प्रशिक्षण और सिक्यूरिटी शाखा को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया जिसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहा गया। यह डिपार्टमेन्ट डी० आई० जी० पुलिस इंटेलिजेंस के मातहत रखा गया। जांच शाखा, वैज्ञानिक शाखा, फिंगर प्रिंट ब्यूरो और राज्य अपराध सूचना ब्यूरो को मिलाकर दूसरी यूनिट बनाई गयी जिसमें शिकायत शाखा भी सम्मिलित कर दी गयी। इस यूनिट को डी० आई० जी० पुलिस इन्वस्टिगेशन के मातहत रखा गया।

(ख) जांच शाखा द्वारा लिए गये मामले

जांच शाखा (इन्वेस्टिगेशन ब्रांच) द्वारा अनेक महत्वपूर्ण मामले लिये गये। कुछ मामलों में की गयी कार्रवाई और उसके परिणाम इस प्रकार हैं—

मार्च, १९५८ में टुंडला आगरा रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे मेल सर्विस के डिब्बे में डाक विभाग के तीन कर्मचारियों की हत्या व लूट का जो मामला हुआ था उसमें ५ व्यक्तियों को अदालत के समक्ष उपस्थित किया गया और वर्षान्त तक यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा।

देहरादून में दो अमरीकी महिलाओं के कत्ल के मामले में सेशन की अदालत ने एक अभियुक्त को मृत्युदंड और दूसरे को १४ वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया था। अपील में हाई कोर्ट द्वारा दोनों अभियुक्त छोड़ दिये गये। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर सेशन की अदालत से १४ वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड पाये अभियुक्त की सजा बहाल रखी और दूसरे अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्ड दिया।

कुख्यात जालिया नटवर लाल को उसके सहायक नन्द प्रकाश कपूर के साथ, ६ महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न सजाएं दी गयीं। डी० एम० बांग नाम के एक अन्तर्राष्ट्रीय जालिया को इस राज्य में धोखा धड़ी के ३ महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न सजाएं दी गयीं। एक दूसरे अन्तर्राज्यकीय जालिया को, जिसकी कि विभिन्न राज्यों में कई मामलों में तलाश थी, भी गिरफ्तार किया गया।

षडयंत्र के उस मामले के, जिसमें जाली रिहाईनामे द्वारा फतेहपुर के केन्द्रीय जेल से १२ सजायाफ्ता कैदी छूट गये थे, ३२ में से २३ अभियुक्तों पर मुकदमा चला और उन्हें विभिन्न सजाएं दी गयीं।

उसके सहायक नन्दप्रकाश यूनिट के साथ,

दिल्ली के नेशनल प्लानर नामक जाली फर्म के कुख्यात जालिया डाक्टर रोशन लाल कपूर को जिसका पता सन् १९५२ में चला उसकी पत्नी और एक साथी के साथ अन्त में सजा दी जा सकी। तीनों अभियुक्तों को क्रमशः ५ वर्ष, ४ वर्ष और ४ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड दिया गया।

(ग) पुलिस कुत्ता दस्ता

आलोच्य वर्ष में पुलिस का कुत्ता दस्ता ५ कुत्ते २ सब-इंस्पेक्टरों और ३ कांस्टेबुल के अपने निर्धारित सीमा तक पहुंच गया। लखनऊ जिले में होने वाले मामलों में जब इस दस्ते का प्रयोग किया गया तो उसके परिणाम अच्छे रहे। अन्य कई राज्यों ने अपने यहां भी कुत्ता दस्ता बनाने में विभाग की मदद मांगी।

(घ) राज्य अपराध सूचना ब्यूरो

राज्य अपराध सूचना ब्यूरो लाभदायक सहायता देता रहा। ३५ मामलों में जांच करने वाले अधिकारियों को इसने सूचनाएं दीं। आलोच्य वर्ष में ब्यूरो ने ११३ सब-इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग दी। इस प्रकार ट्रेनिंग पाये हुए सब-इंस्पेक्टरों की संख्या ६५७ तक पहुंच गयी।

(ङ) फिंगरप्रिंट ब्यूरो और वैज्ञानिक शाखा

अपराध की जांच में फिंगर प्रिंट ब्यूरो और वैज्ञानिक शाखा लाभदायक सहायता देते रहे।

कम्पलेन्ट योजना

फरवरी, १९५६ में जिस प्रारम्भिक उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लागू किया था वह सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकी। यह योजना एक उप प्रधान निरीक्षक (डी० आई० जी०) के अधीन थी जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय (हेड क्वार्टर्स) में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और दो स्टाफ अफसर नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक जिले में एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट) नियुक्त था।

आलोच्य वर्ष में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट (कम्पेन्ट) के समक्ष जांच के लिए ६,३८१ शिकायतें आई जिनमें ५,४२४ पुलिस विभाग से और ९५७ अन्य विभागों से सम्बन्धित थीं। सन् १९५७ के वर्ष में यह संख्याएं क्रमशः ५,५३४ और ९४७ थीं। आलोच्य वर्ष में की गई जांच के फलस्वरूप १,६५२ मामले साबित हो सके। इनमें से १,२८२ पुलिस विभाग से और शेष ३७० अन्य विभागों से सम्बन्धित थीं। १,६९४ अधिकारियों को, जिनमें १,५२० पुलिस विभाग के थे और १७४ अन्य विभागों के थे, सजाएं दी गईं। साबित होने वाली शिकायतों की संख्या का प्रतिशत १९५६ में २९.६ था, १९५७ में २७.०१ था और १९५८ में २५.८ था।

प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने में यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध हुई। जनता की शिकायतों पर तत्काल जांच करने का एक तरीका इससे प्राप्त हुआ। पुलिस विभाग में जो दण्ड दिये गये वे भारी होने के साथ-साथ व्यापक भी थे। इस संघटन का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में आलोच्य वर्ष में दिये गये सरकारी आदेशों से यह आशा की जा सकती है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में अन्य विभाग भी इस योजना का पूरा-पूरा लाभ उठायेंगे।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस ने राज्य के भीतर और बाहर भी अपनी कार्य कुशलता, अनुशासन, ईमानदारी और नैतिक स्तर की ऊँची प्रतिष्ठा बनाये रखा।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आगरा, इटावा, मध्यप्रदेश, राजस्थान की सीमा पर दस्यु विरोधी अभियान में लगी रही। बड़े पैमाने पर डकैतियों की समस्याओं के समाधान में पी० ए० सी० जिला पुलिस के लिए काफी सहायक सिद्ध हुई। प्रयाग के माघ मेला और अन्य बड़े मेलों तथा उत्सवों में सरकार के मुख्यालय में विधान मण्डल की ड्यूटी में, निर्वाचनों में और प्रसिद्ध पुरुषों के आगमन के अवसरों पर प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस ने उपयोगी सेवायें कीं। अनेक स्थानों में अग्नि काण्डों जैसी आपदाओं से रक्षा करने में तथा जान व माल की भी रक्षा करने में पी० ए० सी० के व्यक्तियों ने अपनी जान पर खतरा मोल लेकर सराहनीय सेवा की।

पुलिस रेडियो शाखा

पुलिस रेडियो शाखा जिसका आलोच्य वर्ष में और विस्तार हुआ, शांति व्यवस्था बनाये रखने में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। साथ ही पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में यह लाभदायक रही।

स्वीकृत रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या १७५ से बढ़ कर १७७ हो गयी, और रेडियो स्टेशन लाइसेंसों की संख्या १६६ से बढ़कर २२६ हो गई। आलोच्य वर्ष में रेडियोग्रामों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

छात्र आन्दोलन के सिलसिले में अत्यन्त अल्प सूचना पर लखनऊ में १३ अचल और सचल वी० एच० एफ० रेडियो स्टेशन स्थापित किये गये और वाराणसी में ७ एच० एफ० तथा ४ वी० एच० एफ० स्टेशन स्थापित किये गये।

केन्द्रीय वर्कशाप और अनुसंधान तथा विकास शाखा ने नये पुर्जों की डिजाइनें तैयार करने तथा टेक्नीकल सामान के तैयार करने में काफी अच्छा कार्य किया। इसने १०० चार्जिंग इंजनों की हालत भी दुरुस्त की। इससे लगभग १ लाख रुपये की बचत हुई।

सन् १९५८ में पुलिस सप्ताह के अवसर पर इस शाखा ने एक रेडियो प्रदर्शनी संघटित की इसमें मुख्य बात जो प्रदर्शित की गयी वह चोरी पकड़ने की तरकीबें और रेडियो नियन्त्रित जीप थी।

अपने विभाग के ८० उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त रेडियो शाखा ने आसाम पुलिस के ६ रेडियो मेकेनिकों को प्रशिक्षित किया।

पुलिस की रेडियो शाखा के मुख्यालय के लिए लखनऊ के महानगर में एक नई इमारत का निर्माण हो रहा था। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी काफी संख्या में क्वार्टर बन रहे थे।

पुलिस मोटर यातायात शाखा

पुलिस मोटर यातायात दस्ता में ६७८ गाडियां थीं। इनमें से बहुत सी गाड़ियां आर्मी डिस्पोजल से ली गई थीं और पहले से प्रयोग की जा रही थीं। आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों को बदलने का प्रश्न विचाराधीन था।

सीतापुर का पुलिस मोटर यातायात वर्कशाप संतोषजनक रूप से कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में यहां १८५ गाडियों की मरम्मत की गयी थी, जबकि गत वर्ष १४८ गाड़ियों की मरम्मत की गई थी। इस वर्ष वर्कशाप में ११२ व्यक्तियों को मोटर गाड़ी चलाने की ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी गई।

पुलिस अग्नि सेवा

पुलिस अग्नि सेवा राज्य के कुछ बड़े-बड़े नगरों में खतरनाक और विषम परिस्थितियों में आग बुझाने का उत्तम कार्य करती रही। आलोच्य वर्ष में यह ५५० मौकों पर उपस्थित हुई और चार करोड़ रुपया मूल से अधिक के माल व अनेक जान बचाने में सफल रही।

शिक्षा और प्रशिक्षण

सन् १९५८ के वर्ष में मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कालेज में कुल ३३४ अफसरों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष के अन्त में ५ भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, १० उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अफसर, १६ सब-इन्स्पेक्टर (नागरिक पुलिस) रिफ्रेशरकोर्स की और २०३ हेड कांस्टेबुल (नागरिक पुलिस) और जवान (जिनमें तीन सिक्कम के थे) ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे।

मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कालेज ने और सीतापुर के सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र ने अपनी प्रतिष्ठा और कार्य कुशलता बनाये रखा। सभी श्रेणियों की ट्रेनिंग पर विशेष रूप से बल दिया गया। सर्व प्रथम आलोच्य वर्ष में ५ से १० वर्ष तक की सर्विस वाले सब-इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स खोला गया। विभाग के प्राविधिक विषयों पर बल देने के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान के विषयों पर और व्यावहारिक रूप से पुलिस की कार्य प्रणाली पर माने हुये अधिकारियों द्वारा प्रसार भाषणों का प्रबन्ध किया गया। प्रशिक्षार्थियों को फिंगर प्रिंट से सम्बन्धित कार्य-प्रणाली की ट्रेनिंग देने की विशेष व्यवस्था की गई।

रचनात्मक कार्य आदि

'श्रमदान' और 'आत्म सहायता' की भावना से पुलिस ने बहुत कुछ प्राप्त किया और फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में काफी बचत हुई। गोरखपुर जिले में बिशुनपुरा चौकी के कर्मचारियों ने गर्रा नदी पर एक बांध बनाया जिसकी अनुमानित लागत २०,००० रु० थी।

लगभग सभी यूनिटों में पुलिस कल्याण केन्द्र तथा उनकी सभी शाखायें जच्चा-बच्चा केन्द्रों, शिशु विद्यालयों, महिला शिक्षा कक्षाओं और पुलिस वालों के परिवार की चिकित्सा और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था करने की दिशा में संतोषजनक रूप से कार्य करती रही। बहुत से जिलों में महिलाओं को दस्तकारी, दर्जीगीरी और अम्बर चर्खा चलाने की ट्रेनिंग दी गयी। अपत्रेय (नान-गजटेड) पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की सुविधा के लिए सरकार ने ढाई लाख रुपये की एक धनराशि की स्वीकृति दी थी वह इस वर्ष प्राप्त हुई। कानपुर नगर के पुलिस लाइन, थानों और चौकियों में लड़कों के १४ क्लब चालू थे। इनका उद्देश्य तरुण बालकों के विकास के लिए एक उचित दिशा प्रदान करना था।

पहले की भांति दैवी आपदाओं के अवसर पर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। बाढ़ के अवसरों पर पुलिस वालों ने बाढ़पीड़ित लोगों की सहायता की और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गये। कानपुर की सरिता पुलिस ने ६४ व्यक्तियों को डूबने से बचाया।

खेल कूद

आलोच्य वर्ष में बम्बई में हुई ८ वीं अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स और खेलकूद समारोह में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को हरा कर अपनी हाकी की चैम्पियनशिप कायम रखी। फुटबाल में उत्तर प्रदेश की पुलिस का दूसरा स्थान रहा और खेल कूद में तीसरा। कार्डिफ में हुए राष्ट्र मण्डलीय खेलों में एक पहलवान ने कुश्ती में चांदी का मेडेल प्राप्त किया। कटक में हुए अखिल भारतीय पुलिस कल्याण प्रदर्शनी और सांस्कृतिक समारोह में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने कार्यों का अच्छा परिचय दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों ने ८ प्रथम, १० द्वितीय और ३ तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए।

पुलिस को पारितोषिक

प्रशासकीय सेवा के लिए भारत सरकार ने सर्वश्री एच० के० कर, भारतीय पुलिस सेवा, डी० सेन, भारतीय पुलिस सेवा, बालसिंह डी० एस० पी० (कम्पलेंटस) और रघुराज सिंह रिजर्व इन्स्पेक्टर को पुलिस मेडेल प्रदान किया। सर्वश्री आर० डी० पाण्डे, भारतीय

पुलिस सेवा और श्री राम शर्मा, सब-इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस को वीरता क लिए पुलिस मेडेल दिया गया ।

आलोच्य वर्ष में जीवन रक्षा के लिए सर्वश्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, सब-इंस्पेक्टर और अनवर सिंह तथा कुन्दन सिंह कांस्टेबुलों को प्रधान मंत्री का पदक प्रदान किया गया । विभिन्न अवसरों पर की गयी अपनी सेवाओं के परिणाम स्वरूप वाराणसी की पुलिस को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ४,०८६ रुपयों का पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

वित्तीय स्थिति

आलोच्य वर्ष में पुलिस पर होने वाले व्यय में लगभग २२ लाख २६ हजार रुपये की कमी हुई । यह कमी मुख्यतः रेलवे सुरक्षा पुलिस की कम्पनियों को भंग कर देने 'ई—स्पेशल पुलिस' मद के अन्तर्गत कम व्यय होने और अन्य सभी मदों के अन्तर्गत मितव्ययिता बर्तने के कारण हुई । आलोच्य वर्ष में पुलिस विभाग में प्रति कर्मचारी १ रु० ३३ नया पैसा की दर से व्यय हुआ ।

व्यय का लगभग ८० प्रतिशत वेतन और भत्तों पर खर्च हुआ और शेष मुख्यतः हथियार, गोला-बारूद, वर्दी तथा यातायात में व्यय हुआ ।

*९—जन द्यूत क्रीड़ा अधिनियम

सार्वजनिक द्यूतक्रीड़ा अधिनियम की धारा ३ व ४ को जिला झांसी, जालौन और मुजफ्फर नगर के कतिपय क्षेत्रों में लागू किया गया ।

सब-रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट और आनरेरी मजिस्ट्रेट

द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार प्राप्त सब-रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट और आनरेरी मजिस्ट्रेट आलोच्य वर्ष में भी फौजदारी के मामलों का निपटारा करते रहे । आनरेरी मजिस्ट्रेट भी फौजदारी के मामले निपटाने में सहायक हुए ।

*१०—बन्दी गृह

सामान्य

आलोच्य वर्ष में जेल विभाग के नियन्त्रण में जेलों तथा अन्य संस्थाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

जनसंख्या

जेलों की जनसंख्या में वृद्धि के लक्षण रहे । वर्ष के आरम्भ में १ जनवरी को बन्दियों की संख्या ३४,६७२ और वर्ष के अन्त में ३१ दिसम्बर को उनकी संख्या ३६,२६२ थी । जेलों की अधिकतम मासिक जनसंख्या सितम्बर में थी जबकि ३० सितम्बर को कुल ४५,९७३ बन्दी थे । बन्दियों की दैनिक औसत जनसंख्या ३५,५१७ थी ।

अनुशासन और स्वास्थ्य

बन्दियों में अनुशासन अच्छी तरह से बना रहा और कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा । आलोच्य वर्ष में बन्दियों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या गतवर्ष के ७,५०५ की तुलना में इस बार ६,६६६ रही । अस्पताल में भरती किये

---

* सन् १९५८ के कैलेन्डर वर्ष से सम्बन्धित ।

जाने वाले बन्दियों की संख्या २३,३५६ थी और सभी श्रेणी के बीमार कैदियों का प्रतिदिन का औसत ६१६.६२ था, जबकि गत वर्ष यह संख्याएं क्रमशः २५,५६४ और ६४६.६८ था।

इमारतें

इमारती सामान मिलने की कठिनाई बनी रही और इस प्रकार इमारतों के निर्माण-कार्य की प्रगति अवरुद्ध हो गयी। फिर भी इमारतों, जल सप्लाई और बिजली आदि कार्यों में आवश्यक सुधार करने के प्रत्येक सम्भव प्रयास किये गये।

धूरमा (जिला मिर्जापुर) स्थित सम्पूर्णानन्द शिविर में वहां ड्यूटी पर रहने वाले पी० ए० सी० के जवानों के लिये तीन बैरकों का निर्माण किया गया। वार्डरों के लिए ५० नये क्वार्टरों, जिला जेलों में ३ मुलाकाती बरामदे, फतेहगढ़ के केन्द्रीय जेल में एक रसोई घर, बरेली के केन्द्रीय जेल में एक ड्यूटी रूम और बरेली के किशोर सदन में एक छोटे से क्रीड़ांगण का निर्माण किया गया।

कुछ जेल के दफ्तरों, अस्पतालों, रहने के बैरकों और अधिकारियों व वार्डरों के क्वार्टरों आदि की मरम्मत, उनका सुधार व उनपर फिर से छत डालने का काम किया गया। घुरमा के सम्पूर्णानन्द शिविर के चिकित्सालय में सहायक चिकित्सा अधिकारी के कमरे में और प्रशासकीय खंड में वाश बेसिन लगाये गये। कुछ जेलों के सुपरिण्टेण्डेण्टों के दफ्तरों में भी वाश बेसिन लगाये गये। आगरा, कानपुर लखनऊ और हरदोई के जिला जेलों में परदे की दीवारें बढ़ा कर रात्रि के पाखानों में सुधार किया गया। मैनपुरी बिजनौर और गोरखपुर के जिला जेलों में कुओं की बोरिंग का कार्य किया गया। वाराणसी के केन्द्रीय जेल में बिजली के मोटर पम्प की मरम्मत की गयी। सिंचाई कार्यों के लिए वाराणसी के केन्द्रीय कारागार में ह्यूम पाइप बिछाये गये। कानपुर और रामपुर के जिला जेलों में अधिकारियों के क्वार्टरों तक पाइप की लाइन बढ़ा दी गयी। मिर्जापुर, लखनऊ और मेरठ के जिला जेलों के अस्पतालों के वार्डों में बिजली की बत्ती और पंखों की व्यवस्था की गयी। मेरठ के जिला जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर के कार्यालयों और आवास स्थानों में भी बिजली के पंखों व बत्ती की व्यवस्था की गयी।

जेलों के लिए खाद्यान्न

आलोच्य वर्ष में सरकार ने जेलों के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई ठेकेदारों से लेने की प्रथा समाप्त कर दी। इस प्रथा के स्थान पर गेंहूं व दाल आदि की सप्लाई के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन) से प्रबन्ध किया गया।

कृषि

सन् १९५७–५८ के वर्ष में अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप जेलों में होने वाली कृषि को बहुत नुकसान पहुंचा और उत्पादन घट गया। किन्तु फिर भी इस बात के प्रयत्न जारी रहे कि जेलों की भूमि से अत्यधिक उत्पादन किया जा सके। जेलों के फार्मों से (चार केन्द्रीय जेल और सात जिला जेल) अन्न और चारे का उत्पादन क्रमशः २,३०७ मन और २२,६६८ मन हुआ।

जेल उद्योग

जेल, पुलिस, वन तथा आबकारी विभागों और डाकखाने तथा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ४,१४,७२६ वर्दियां तैयार करने का आर्डर उन्नाव जिला जेल को मिला और उसकी पूर्ति की गयी। फतेहगढ़ के केन्द्रीय जेल को भी ५,८७,३३७ रु० मूल्य के खेमे बनाने के आर्डर प्राप्त हुए और समय से ही कार्य को पूरा किया गया। स्टोर पर्चेज विभाग के साथ भी विभाग ने नेवाड़, दरी, रस्सी, चिक, डाकबैग, सूती पट्टियां, जूट की पट्टियां और फर्नीचर आदि सप्लाई करने के सम्बन्ध में भी कई ठीके लिए।

उत्तर प्रदेश जेल डिपो ने १,१५,०४२.७६ नया पैसे मूल्य के जेल के सामानों की बिक्री की जबकि गत वर्ष ७३,६५८.११ नये पैसों की बिक्री हुई थी।

जेल उद्योग सलाहकार परिषद्

जेल उद्योग जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने, समिति द्वारा किये गये सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए और समय-समय पर इस दिशा में जो सुधार आवश्यक हों उनका सुझाव देने के लिए, एक जेल उद्योग सलाहकार परिषद् नियुक्त की। इस परिषद् की एक बैठक अक्तूबर, १९५८ में हुई।

पुनर्वास के लिए नये उद्योग

जेल उद्योग जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित सात ऐसे उद्योगों को जेलों में खोलने के लिए आदेश दिये जिससे कि इन उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् मुक्त होने पर बन्दियों को अपने पुनर्वास में सहायता मिल सके--

(१) पेंसिल बनाना
(२) शीशे के पोत बनाना
(३) धब्बे छुड़ना, सुखाना तथा कैलिको प्रिंटिंग
(४) खेल के साधारण सामान तैयार करना
(५) पानी के पाइप लगाने का काम
(६) साबुन और फेनाइल बनाना
(७) रेशम के कीड़े पालना

इनके अतिरिक्त जेलों के लिए कड़ुआ तेल तैयार करने के हेतु मेरठ के जिला जेल में वार्धा किस्म का कोल्हू लगाने के लिए भी आदेश दिया गया।

अम्बर चर्खा की योजना

बन्दियों द्वारा अम्बर चर्खा चलाने और खादी तैयार करने की योजना को, जिसे पहले वाराणसी, नैनी और फतेहगढ़ के केन्द्रीय कारागारों के लिए स्वीकृत किया गया था, बरेली और आगरा के केन्द्रीय कारागारों तथा लखनऊ व सीतापुर के जिला जेलों में भी लागू कर दिया गया। मेरठ के जिला जेल में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने एक अम्बर चर्खा विद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। यहां ५० बन्दियों को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करना था जिससे कि यह बन्दी अम्बर चर्खा शिक्षक के रूप में कार्य कर सकें।

सुधार

प्रतिदिन मुलाकात करने की प्रणाली को, जो कि केन्द्रीय जेलों में और प्रथम श्रेणी के जिला जेलों में प्रचलित थी, राज्य के सभी जेलों में १ जनवरी, १९५८ से चालू कर दिया गया। मुलाकात के लिये समय को निर्धारित अवधि २० से बढ़ा कर ३० मिनट कर दी गयी।

केन्द्रीय जेल के ऐसे बन्दियों को जिनका आचरण अच्छा पाया गया, गर्मियों में बाहर सोने की इजाजत दी गयी।

रविवार के दिन, जेल की छुट्टियों के दिन और कार्य के दिनों में सायंकाल समय सस्ते खेलों और स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा इस प्रकार से बन्दियों को दी गयी जिससे कि जेल के नित्य-प्रति के कार्यक्रम में गड़बड़ी न पड़े।

यह निश्चय किया गया कि जनवरी, १९५८ से शिविरों में बन्दियों द्वारा उपार्जित की गयी छूट को, उनके बंद जेलों में लौटने पर उस दशा में जब्त न किया जाय, यदि बन्दी का लौटना किसी ऐसे कारण से हुआ है जो कि उसके वश के बाहर था और उसके किसी मिथ्या चरण या अपराध के दन्ड स्वरूप नहीं था।

जुलाई, १९५८ से यह आवश्यक कर दिया गया कि बन्दियों को, उनके पहली बार जेल में भरती होने के अवसर पर, उन विभिन्न नियमों की हिन्दी में एक प्रति दी जायगी जिनके अनुसार जल्दी या अवधि से पूर्व बन्दी मुक्त हो सकता है। इन नियमों की एक प्रति प्रत्येक बैरेक के फाटक पर भी टांग दी जायगी।

यह निश्चय किया गया कि जुलाई १९५८ से जाब्ता फौजदारी, १८९८ की धारा ५१४ (ब) के अन्तर्गत जेल में बन्द जमानत दारों के खाने और कपड़ों पर होने वाला व्यय बजट के मद के सम्बन्ध में का[illegible]नी व्यय माना जायगा जिसके अधीन अन्य बन्दियों के भोजन के व्ययों का विनियोग होता है।

खुले शिविर की योजना

बन्दियों में देश एवं जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में खुले शिविरों की योजना, जिसके अन्तर्गत बन्दियों को राष्ट्रीय महत्व के या जनहित की परियोजनाओं में कार्य पर लगाया जाता था, सहायक सिद्ध हुई। आलोच्य वर्ष में यह योजना नानक सागर (नैनीताल) में और चुर्क के निकट धूरमा मुरकुन्दी (मिर्जापुर) में चालू रही। शारदा देवहा फोडर केनाल के निर्माण के लिए पीलीभीत जिले में मझोला रेलवे स्टेशन के निकट एक और उप शिविर खोला गया।

नानक सागर के शिविर में बन्दियों ने ३,५४,४०१ रु० ६८ नये पैसों की मजदूरी की और अपने भोजन आदि के लिए राज्य को आलोच्य वर्ष में १,८०,७४४ रु० १२ नया पैसा अदा किया।

धूरमा मुरकुन्दी के सम्पूर्णानन्द शिविर में बन्दियों ने ४,८७,१२४ रु० ७६ नये पैसों की मजदूरी की और अपने भोजन वस्त्र आदि के लिए राज्य को २,५३,५३९ रु० अदा किये।

लखनऊ के आदर्श जेल में मजदूरी योजना आलोच्य वर्ष में कार्यान्वित होती रही। इस योजना के अधीन बन्दियों को बाहरी दुनियां के समान स्थिति में रह कर कमाने का अवसर मिलता है। औसतन १५० बन्दी कारखाने, बगीचे, रंगाई की दूकान, तेल मिलों और कृषि फार्मों में काम पर लगाये जाते थे।

तराई के राजकीय फार्म में बंदियों को रोजगार

फूलबाग (नैनीताल) के तराई राजकीय फार्म में नौकरी करने के लिए नवम्बर, १९५७ में लम्बी सजा वाले तारा वर्ग (स्टार क्लास) के ४९ कैदियों के एक जत्थे को एक वर्ष के पेरोल पर छोड़ा गया। फार्म पर विभिन्न कार्यों पर उन्हें नौकर रखा गया और स्वतन्त्र मजदूरों को जिस दर से मजदूरी मिलती है उसी दर से उन्हें भी मजदूरी दी गयी। अपने रहने और खाने का प्रबन्ध उन्होंने स्वयं किया। सरकार ने फार्म पर उन्हें अपने साथ अपने परिवार को भी रखने की इजाजत दी। आलोच्य वर्ष में पैरोल पर छूटे हुए बन्दियों का आचरण संतोषजनक रहा और उनके काम को भी फार्म के अधिकारियों ने पसंद किया। पैरोल की अवधि समाप्त होने पर उन बन्दियों को छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। यह एक नया प्रयोग था जिसमें पैरोल वाले बन्दियों को एक ऐसा अवसर मिला जहां मुक्त वातावरण में कार्य कर सकें और अपने पैरों पर खड़े होने की अभिलाषा से अपने अन्दर सामाजिक दायित्व की भावना विकसित कर सकें।

हवालाती कैदियों के लिए रोजगार

हवालाती कैदियों को लाभदायक रोजगार में लगाने की जो योजना लखनऊ के जिला जेल में चालू रही उसे आगरा, मेरठ, सीतापुर, उन्नाव और वाराणसी के जिला जेलों में तथा

नैनी के केन्द्रीय जेल में, जहां रोजगार की सुविधाएं वर्तमान थीं, भी चालू कर दिया गया। इस योजना को इन ६ जेलों में विस्तार करने के लिए सरकार ने २८नवम्बर, १९५८ को आदेश जारी किये।

सुधार तथा पुनर्वास कार्य

बरेली के किशोर सदन और लखनऊ के रिफार्मेटरी स्कूल में बन्दियों के सुधार तथा उनके पुनर्वास का विशेष कार्यक्रम जारी रहा। किशोर सदन की दैनिक औसत संख्या १५० और रिफार्मेटरी स्कूल की ४८ थी।

किशोर सदन और रिफामटरी स्कूल क बाल बन्दियों को उनकी रुचि के अनुसार दर्जी-गीरी, चमड़े का काम, बढ़ईगीरी, बुनाई आदि कामों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया। उनकी कुल नगद आमदनी क्रमशः ४१,३१६ रु० ५ नया पैसा और ९०१ रु० ९१ नया पैसा थी। इसमें दर्जीगीरी व चमड़े के काम से तथा बैण्ड पार्टियों से होने वाली आय भी सम्मिलित है।

१४ नवम्बर, १९५८ को बरेली के किशोर सदन के नाट्य क्लब और बैण्ड पार्टी ने दिल्ली में प्रधान मंत्री के जन्म दिवस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में एक नाटक भी खेला।

मुक्त बंदियों के लिए गृह

सुधार संस्थायों द्वारा मुक्त व्यक्तियों को बसाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कानपुर में एक गृह स्थापित किया। इस गृह में ऐसे मुक्त बन्दियों को रखा जाता था जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था या वे गृहहीन थे। उनके पुनर्वास के लिए भी प्रयास किया जाता था।

प्रोबेशन पर सेमीनार और विशेष पाठ्यक्रम

समाज विज्ञान के टाटा इंस्टीट्यूट, बम्बई में प्रोबेशन पर एक विशेष पाठ्यक्रम में, १५ दिसम्बर से २८दिसम्बर, १९५८ तक दो सप्ताह के लिए भाग लेने के हेतु उप प्रधान निरीक्षक, कारागार को नियुक्त किया गया। उक्त इंस्टीट्यूट में २१ से २३ दिसम्बर तक हुए सेमीनार में राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से कारागारों के उप प्रधान निरीक्षक और लखनऊ के जेल ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल ने भाग लिया।

अध्याय ४

विधि निर्माण

११—विधान मंडल

विधान मण्डल के दोनों सदनों के सत्र, जोकि सन १९५८ में आरम्भ हुये थे, तब तक चालू रहे जब तक कि राज्यपाल ने ५ अप्रैल, १९५८ की बैठक समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा का और ६ अप्रैल, १९५८ की बैठक समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सत्रावसान कर दिया। सन् १९५८ के वर्ष में विधान मण्डल के दोनों सदनों की प्रथम बैठक राज्यपाल ने २१ जुलाई, १९५८ से बुलाई जबकि उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया।

आलोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पूछे गये प्रश्नों का उनकी बैठकों, उनके द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों का और काम रोको प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है ---

	विधान सभा		विधान परिषद्	
	१ जनवरी, १९५८ से ३१ मार्च, १९५८ तक	१ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक	१ जनवरी, १९५८ से ३१ मार्च, १९५८ तक	१ अप्रैल, १९५८ से मार्च, १९५९ तक
बैठकों की संख्या ..	३८	८३	२२	८४
अनुवेशित प्रश्न ..	२२७	२३१	२४	६२
अल्प सूचित तारांकित	३,०३८	५,२८३	१,१०८	३,०५०
अतारांकित ..	—	१६७	३७	१४५
स्वीकार किये गये प्रस्ताव				
सरकारी ..	४	८	..	२
गैर-सरकारी ..	१	२	१	२
कामरोको प्रस्ताव	९७	२०६	९	४८

प्रस्ताव

स्वीकार किये गये विभिन्न प्रस्तावों में निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण थे ---

विधान सभा

गैर-सरकारी प्रस्ताव सरकार से यह अनुरोध करते हुए कि १ अक्तूबर, १९५७ से गन्ने का न्यूनतम मूल्य मिल के फाटक पर और केन्द्र दोनों ही स्थानों पर १ रु० १२ आ० निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय।

विधान परिषद्

(१) गैर-सरकारी प्रस्ताव एक आश्वासन समिति की स्थापना के लिये जोकि सदन में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की जांच करे।

(२) गैर सरकारी प्रस्ताव प्रत्येक नगरपालिका, जिला परिषद्, नोटिफाइड एरिया इत्यादि से कूड़ा हटाने के लिए हाथ से खींचने वाली गाड़ी की व्यवस्था करने की सिफारिश करते हुए।

विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग स्वीकार किये गये सरकारी प्रस्ताव

(१) राज्यीय विधान मंडल के दूसरे सदन या भारत के किसी अन्य विधान मंडल के किसी सदन अथवा भारतीय संसद के किसी सदन अथवा इसके विपरीत दिशा में किसी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी सदन का अपमान या अधिकारों की अवहेलना करता है तो उस दशा में अपनाई जाने वाली कार्य विधि निर्धारण करने के लिये प्रस्ताव।

(२) राज्य में कृषि भूमि के सम्बन्ध में कर लगाने का जहां तक सम्बन्ध है इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ में कानून द्वारा संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान की धारा २५२ के अनुसार संसद को जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए उसके लिये प्रस्ताव।

वित्तीय कार्य

विधान मंडल के दोनों सदन में सन् १९५७–५८ के द्वितीय पूरक अनुदान की मांगों पर सन् १९५८–५९ के बजट के तखमीने पर सन १९५८–५९ की पूरक मांगों की प्रथम और द्वितीय किस्तों पर और सन१९५९–६० के बजट के तखमीनों पर विचार किया गया। अनुदान की मांगों को विधान सभा में स्वीकार कर लिया गया और संबंधित विनियोग विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पास हुआ।

कामरोको प्रस्ताव

विधान परिषद् के सभापति ने उन सभी कामरोको प्रस्तावों को अनियमित करार दे दिया जिनकी सूचना दी गई थी। विधान सभा में अध्यक्ष ने ५ कामरोको प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी। इनका सम्बन्ध निम्नलिखित विषयों से था और वे या तो अस्वीकार कर दिये गये या बहस के बाद समाप्त हो गये—

(१) २ अगस्त, १९५८ को लखनऊ के छितवापुर पुलिस चौकी के निकट छात्रों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना (५ अगस्त, १९५८ को बहस के बाद अस्वीकृत)।

(२) हाथरस (अलीगढ़) में खाद्यान्नों की लूट (२६ अगस्त १९५९ को बहस के बाद अस्वीकृत)।

(३) ८ अक्तूबर, १९५९ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना (९ फरवरी, १९५९ को बहस और समाप्त किया जाना)।

(४) १ मार्च, १९५८ को कानपुर के डी० ए० वी० कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और आंसू गैस का प्रयोग (३ मार्च १९५९ को बहस के बाद अस्वीकृत)।

वक्तव्य एवं बहस

विधान मंडल के दोनों सदनों में पूछे गये प्रश्नों और उसके उत्तरों के सम्बन्ध में आधे घण्टे की बहस के और विभिन्न नियमों तथा व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने और उनके निर्णय के

सिलसिले में मंत्रियों के द्वारा दिये गये वक्तव्यों के अतिरिक्त दोनों सदनों में कतिपय विषयों पर कार्य विधि के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत बहस हुई, जिसके प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं:--

विधान परिषद् में

(क) उत्तर प्रदेश लार्ज लैंड होल्डिंग्स रूल्स में श्री गणेश दत्त पालीवाल एम० एल० सी० द्वारा प्रस्तावित संशोधन

(ख) लखनऊ में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार

(ग) महिला एवं बाल (नियन्त्रण) नियमावली, १९५८

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम कानून पर

(ङ) राज्य में गन्ना उत्पादकों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार

विधान सभा में

समाजवादी नेता के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर और सरैया चीनी मिल, सरदार नगर (गोरखपुर) में गन्ने की मूल्य वृद्धि पर हुए आन्दोलन में की गई गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति पर।

विधान मंडल के दोनों सदनों में

(क) सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ के लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर

(ख) राज्य की खाद्य स्थिति पर

विशेषाधिकार की अवहेलना

आलोच्य वर्ष में विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति के समक्ष किसी भी विशेषाधिकार के अवहेलना का प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया। किन्तु विधान सभा में विशेषाधिकार की अवहेलना के निम्नलिखित २ प्रश्न उसकी विशेषाधिकार समितिमें उपस्थित किये गये--

(१) २१ फरवरी, १९५८ को श्री गेन्दा सिंह, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये एक अल्पसूचित प्रश्न के सम्बन्ध में तथाकथित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य विधि नियमावली के लिये नियम ६७ के अन्तर्गत इस प्रश्न क जांच तहकीकात और रिपोर्ट के लिए भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट १४ सितम्बर, १९५८ को दी और इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सदन ने यह निश्चय किया कि रिपोर्ट में जिस दण्ड की सिफारिश की गई है उसे उन्हें दिया जाय और तदनुसार २ अप्रैल, १९५९ को अध्यक्ष ने श्री गेन्दा सिंह की भर्त्सना की।

(२) उन १२ सदस्यों के विरुद्ध तथाकथित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जिन्होंने ८ सितम्बर, १९५८ को श्री राजनारायण के सदन से निष्कासन का प्रतिरोध किया।

१२--विधि निर्माण

राज्य विधान सभा में आलोच्य वर्ष में विधि निर्माण का कोई भी प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया जब कि विधान परिषद में विधि निर्माण के लिए ७ गैर-सरकारी विधेयक उपस्थित

किये गये। इनमें से ३ इस वर्ष के तथा ४ गत वर्ष के गैर-सरकारी विधेयकों पर आलोच्य अवधि में विचार किया गया तथा वे या तो अस्वीकार कर दिये गये या वापस ले लिये गये।

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा विधि निर्माण हेतु कुल मिलाकर ५१ प्रस्ताव स्वीकार किये गये और राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वे कानून बन गये। इनमें से २३ स्थायी कानून थे और शेष संशोधनात्मक के। इन कानूनों का संक्षिप्त विवरण विषयानुसार नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। (इन कानूनों में अध्यादेश भी सम्मिलित हैं जो कि विधान मंडल का सत्र न चलते रहने पर जारी किये गये थे और तत्पश्चात इनके स्थान पर विधान मंडल द्वारा कानून बना दिये गये थे)।

शिक्षा

वेतन के सम्बन्ध में अध्यापकों की मांग पूरी करने और उनकी दशा में सुधार करने के उद्देश्य से इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (सन् १९५७ का उ० प्र० का चौथा अध्यादेश) के द्वारा संशोधित किया गया। तत्पश्चात इस अध्यादेश के स्थान पर अलग-अलग संशोधित अधिनियम बना दिये गये।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ५वां अधिनियम) में मुख्य रूप से रीडरों और लेक्चररों के वेतन-क्रम में समानता ले आने की और मूल अधिनियमों में से उपकुलपति को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन प्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के अधिकार से संबंधित धारा के निकाल देने की व्यवस्था की गई थी।

लखनऊ विश्वविद्यायल (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ६वां अधिनियम) को भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पारित किया गया था। इसमें अन्तर केवल इतना ही था कि वेतन-क्रम में समानता ले आने का प्रस्ताव केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून की फैकेल्टियों तक ही सीमित था। लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दूसरा संशोधन विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों और संगठनों के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने से सम्बन्धित था। इन दोनों संशोधित अधिनियमों ने मूल अधिनियम में फलस्वरूप कई अन्य परिवर्तन ला दिये। लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० का पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३६वां अधिनियम) के द्वारा संशोधन किया गया और इस संशोधन में स्पष्टीकरण के रूप में केवल यही बात और जोड़ी गयी कि मल अधिनियमों की संशोधित धारा १९ (१) आगे चल कर लागू होगी।

अध्यापकों के वेतन-क्रम और गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के अधिकारों से संबंधित उपर्युक्त उद्देश्य से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम) भी पारित किया गया। पहले लागू किये गये गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को इस अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया गया।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम) के लागू होने के १८ मास बाद तक चूंकि कठिनाइयों को दूर न किया जा सका, अतः यह आवश्यक हो गया कि निर्धारित अवधि को बढ़ा कर ३६ मास कर दी जाय और इसके लिये आदेश जारी किये जायं। फलस्वरूप वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम) को पारित किया गया। संशोधित अधिनियम में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों

की व्यवस्थाओं से समानता ले आने के उद्देश्य से अन्य उद्देश्यों के लिए व्यवस्था की गयी। इस कार्य के लिए पहले जारी किये गये सन् १९५८ के उत्तर प्रदेश के तीसरे अध्यादेश को रद्द कर दिया गया।

सन् १९५३ में संशोधित मूल अधिनियम की वर्तमान धाराओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन में अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम) पारित किया गया।

शिक्षा संस्थाओं की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हो जाने और शिक्षा का स्तर गिर जाने के कारण इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ का संशोधन करना आवश्यक हो गया था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए उपयुक्त दशाएं और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने तथा प्रबन्धकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को कुशलता पूर्वक चलाये जाने के लिए इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश की ३५वां अधिनियम) पारित किया गया।

शिक्षा संबंधी विधि निर्माण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य यह हुआ कि इंटरमीडिएट कक्षा तक के छात्रों को मुख्य रूप से अनिवार्य मिलिटरी ट्रेनिंग, जिसमें हथियारों का प्रयोग भी शामिल है, देने के लिए प्रादेशिक शिक्षा दल अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३९वां अधिनियम) पारित किया गया। अनिवार्य उपस्थिति, अनुशासन बनाये रखना और सैनिक पद प्रदान करने आदि की भी इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी थी।

कृषि, पशुपालन, कृषि-टेक्नालाजी, गृह विज्ञान आदि की शिक्षा देने वाले पांचों कालेजों को मिलाकर राज्य के तराई क्षेत्र में एक अलग कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४५वां अधिनियम) में की गयी।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के केन्द्रों में सुपरिण्टेण्डेन्ट और इनविजिलेटर सफलता पूर्वक तथा दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें। इसलिए उन्हें परीक्षा की अवधि में, परीक्षा आरम्भ होने के एक मास पूर्व से और समाप्त होने के २ मास बाद तक पब्लिक सर्वेण्ट घोषित करने के उद्देश्य से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ को संशोधित कर इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५९ (सन् १९५९ का उत्तर प्रदेश का ६ठवां अधिनियम) पारित किया गया।

भूमि सुधार

मूल अधिनियम की धारा ३ में 'आस्थान' की परिभाषा को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ की उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम) के द्वारा और अधिक स्पष्ट बनाया गया। इसकी आवश्यकता इस लिए पड़ी कि एक समयाचिका (रिट) के मुकदमें में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 'आस्थान' की परिभाषा की कुछ अशुद्धियों की ओर संकेत किया था।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३७ वां अधिनियम) का उद्देश्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, १९५० (सन् १९५१ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम) के संबंध में अनुभव की गयी कठिनाइयों को दूर करना था। भूमि सुधार की कुछ व्यवस्थाओं को लागू करने में, मध्यवर्तियों के पुनर्वास अनुदान को निर्धारित करने में होने वाले विलम्ब की ओर दाखिल खारिज के मुकदमों की लम्बी कार्यविधि की कठिनाइयों

को दूर करने के लिए गांव समाज द्वारा की जाने वाली मुकदमेंबाजी की जटिल प्रणाली को इस अधिनियम ने समाप्त कर दिया । मुख्य अधिनियम की धारा १५४ में 'परिवार' की परिभाषा में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप जोतों के लिए एक नवीन अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी।

जनता की कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८, (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३८वां अधिनियम) पारित किया गया । किसानों द्वारा स्वेच्छा से किये गये चकबंदी को स्वीकार करने की मांग की गयी । भूमिधरी के मुकदमों में पंच फैसला की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी क्योंकि इस कार्य का अधिकार माल की अदालतों को सौंप दिया गया । खातेदारों के अधिकारों के संबंध में चकबन्दी अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील यानी निगरानी की व्यवस्था की गयी। जोतों के मूल्यांकन की व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता और स्थिति आदि के आधार पर की गयी। ऐसे जोत जिन पर कुछ विशेष प्रकार की पैदावार की जाती थी उन्हें चकबन्दी से बरी कर दिया गया । सार्वजनिक कार्यों के लिए दी गयी भूमि के प्रबन्ध की भी व्यवस्था की गयी ।

उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के सरकारी आस्थानों में ठेकेदारों के हितों और अधिकारों को समाप्त करने के और इस क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को शेष राज्य की प्रणाली के समकक्ष ले आने के लिए भूमि सुधार आरम्भ करने में सहूलियत पैदा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ (सन् १९५९ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम) पारित किया गया।

राजस्व और कर

सूती कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री कर से छूट दे दी गयी और इन वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय आबकारी कर लगा दिया गया । किन्तु उस स्टाक पर, जिसपर कि अतिरिक्त आबकारी कर नहीं दिया गया था, बिक्री कर लगना था । इस प्रकार के स्टाक रखने वाले व्यापारियों को उत्तर प्रदेश बिक्री कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम) के द्वारा सहूलियत दी गयी और लगाये गये बिक्री कर की शीघ्र वसूली की भी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा की गयी ।

पहले जारी किये गये कुछ विज्ञप्तियों को और उनके अनुसार किये गये कार्यों को न्याय संगत बनाने के हेतु उत्तर प्रदेश बिक्री कर (वैलीडेशन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १५ वां अधिनियम) पारित किया गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम) ने नीति में परिवर्तन कर संकेत किया और इसमें कुछ वस्तुओं की खरीद पर कर निर्धारण की और खाद्यान्नों की केवल एक ही खरीद पर कर निर्धारण की व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के निश्चय के अनुसार कुछ विशिष्ट आमोद प्रमोद की वस्तुओं की खरीद पर ७ प्रतिशत के समान दर से एकल स्थानीय कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिनियम के कार्यान्वय से जो कठिनाइयां सामने आई उन्हें भी दूर करने के लिए विधि संबंधी कुछ परिवर्तन भी मूल अधिनियम में किये गये ।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली के आरम्भ किये जाने से अनेक कानूनों में परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम) और उत्तर प्रदेश मुद्रांक (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१) ने कोर्ट फीस अधिनियम, १८७० और भारतीय मुद्रांक

अधिनियम, १८९९ में, जैसा कि वे उत्तर प्रदेश में लागू होती थीं, आवश्यक परिवर्तन किये। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ की धारा ६ और परिशिष्ट १—ब में (जैसा कि वे उत्तर प्रदेश में लागू होती थीं) जो मामूली सी विषमता थी उसे भी पूरा कर दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय का व्यय पूरा करने के लिए कोर्ट-फीस की ओर मुद्रांक के बकाया की वसूली बढ़े हुए दरों पर करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ६४ वां अधिनियम) और उत्त प्रदेश मुद्रांक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ (उत्तर प्रदेश का सन् १९५८ का ४३ वां अधिनियम) के द्वारा की गयी।

राज्य सरकार के बिजली संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी गयी बिजली के बकाया की वसूली, लगान के बकाया की वसूली के समान शीघ्र करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली संस्थान (बकाया की वसूली) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २६ वां अधिनियम) पारित किया गया।

राज्य की सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के बढ़े हुए खर्चे को पूरा करने के लिए बढ़े हुए दरों पर मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४० वां अधिनियम) पारित किया गया। इस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कर अधिनियम १९३५ की कुछ त्रुटियों को भी दूर कर दिया।

मनोरंजन कर खण्ड (स्लैब) प्रणाली से न निर्धारित कर प्रतिशत प्रणाली से लिया जाया करे इसके लिए उत्तर प्रदेश मनोरंजन और बाजीकर (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४१ वां अधिनियम) पारित किया गया।

बन्दीगृह सम्बन्धी सुधार

उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी प्रोबेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम) के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने अधिकारों को किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य कारागारों के प्रधान निरीक्षक को प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देना था।

कारागार अधिनियम, १८९४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में लागू होता था, को संशोधित कर कारागार (उ० प्र० संशोधन) अधिनियम, १९५८ बनाया गया। इसका उद्देश्य जेल में रहते हुए कैदियों के सुधार की व्यवस्था करना था। साथ ही इसमें जेल के अपराधों के लिए हलकी सजाओं की, जैसे की अस्थायी या स्थायी तौर पर पदस्तर में कमी या उसकी जब्ती और जेल सुविधाओं का अस्थायी तौर पर जब्त किया जाना आदि की व्यवस्था की गयी।

स्थानीय स्वशासन

राज्य विधान सभा के निर्वाचन से संबंधित कानूनों के अनुरूप उत्तर प्रदेश जिला बोर्ड अधिनियम, १९२२ को बनाने के लिए उसे संशोधित कर उत्तर प्रदेश जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम) पारित किया गया। इसके द्वारा जिला बोर्डों के चुनाव के लिए राज्य विधान सभा की मतदाता सूची स्वीकार करने, परिगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने, अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन करने और अयोग्यताओं के कारण उसके (अध्यक्ष) हटाये जाने की व्यवस्था की गयी।

जिलों में आर्थिक, सामाजिक नियोजन और स्वायत्त शासन के समन्वित प्रशासन के लिए जिला परिषदों की स्थापना में सहूलियत ले आने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला

परिषद अध्यादेश, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अध्यादेश) के द्वारा ग्राम्य क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के अन्तरिम प्रशासन के हेतु अन्तरिम जिला परिषद् के स्थापना की व्यवस्था की गयी।

तत्पश्चात् इस अध्यादेश के स्थान पर उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम) पारित किया गया।

राज्य के कुछ बड़े नगरों में नगर महापालिका की स्थापना की व्यवस्था करने के हेतु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (सन् १९५९ का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अधिनियम) पारित किया गया। इसका उद्देश्य उन नगरों में औद्योगिक तथा अन्य विकास के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक प्रशासन की समस्याओं का समाधान करना था, कार्यकारिणी से विचार विमर्श संबंधी कार्यों को पृथक करना था, मितव्ययिता करना और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा विकास बोर्डों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बीच संघर्ष और दोहरकम को बचाना था।

आवास और पुनर्वास

उत्तर प्रदेश हाउस साइट्स (बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम) के द्वारा सन् १९५७ में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश हाउस साइट्स (बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश रद्द कर दिया गया। इस अध्यादेश द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के मौजूदा बसने वालों लोगों के मकानों के लिए निर्धारित भूमि पर बने रहने की व्यवस्था की गयी क्योंकि जमीन के मालिक और उस पर बसने वाले लोगों के बीच में हुए करार तथा अन्य मौजूदा रीत रवाज के कारण उपर्युक्त सुविधा का मिलना संभव नहीं था।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २८ वां अधिनियम) के द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ५ वर्ष के लिए और बढ़ा दी गयी। इसी प्रकार यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजोशन (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २९ वां अधिनियम) के द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजोशन ऐक्ट, १९४७ की भी अवधि ५ वर्ष के लिए और बढ़ा दी गयी।

नागर और ग्राम्य क्षेत्रों में उटपटांग और अस्वास्थ्यकर तरीके से मकानों की बाढ़ रोकने के उद्देश्य से यू० पी० (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन्स) ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३४ वां अधिनियम) पारित कर राज्य सरकार को निर्माण कार्यों में नियमितता ले आने के अधिकार दिये गये।

यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्यएन्स आफ पावर्स) (एमेण्डमेंट) ऐक्ट १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम) ने यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९५५ की अवधि ३ वर्ष के लिए और बढ़ा दी तथा राज्य सरकार को खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों के गोदाम के लिए स्टोर अपने अधिकार में कर लेने का अधिकार दिया।

वित्तीय विषय

यू० पी० एप्रोप्रियेशन (रेगुलराइजेशन आफ एक्सेज १९५३-५४) ऐक्ट, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम), यू०पी० एप्रोप्रिएशन (फर्स्ट सप्लीमेंटरी १९५७-५८) ऐक्ट १९५७ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अधिनियम); यू०पी० एप्रोप्रियेशन (सेकेंड सप्लीमेंटरी, १९५७-५८) ऐक्ट, १९५८ (सन १९५८-५९ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम); यू०पी० एप्रोप्रियेशन ऐक्ट, १९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम); यू०पी० एप्रोप्रियेशन (रेगुलराइजेशन आफ एक्सेसेज, १९५४-५५) ऐक्ट,

१९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम); यू०पी० एप्रोप्रियेशन (फर्स्ट सप्लीमेंटरी, १९५८–५९) ऐक्ट, सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम) और उत्तर प्रदेश एप्रोप्रियेशन (सेकेन्ड सप्लीमेंटरी १९५८–५९) ऐक्ट, १९५९ (सन १९५९ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम) के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा में स्वीकृत अनुदानों के लिए धन की व्यवस्था करने के हेतु तथा कतिपय वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में राज्य के संचित कोष से व्यय का धन प्राप्त करने के हेतु व्यवस्था की गयी।

विविध

अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को ईंटों और वनोपज की सप्लाई की अत्यधिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इन वस्तुओं पर वर्तमान कंट्रोल की अवधि ३ वर्ष तक और बढ़ा देने के उद्देश्य से यू०पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीनुयेन्स आफ पावर्स) (एमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९५७ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम) पारित किया गया।

कुछ अपराधों में अभियुक्त को वकील के जरिये अदालत में उपस्थित होने की व्यवस्था मोटर वेहिकिल्स (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९५६ के द्वारा किये जाने के फलस्वरूप क्रिमिनल ला (कम्पोजीशन आफ आफेंसेंज) (यू०पी० एमेण्डमेंट) ऐक्ट, १९५६ (सन १९५६ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम) में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया और यह संशोधन क्रिमिनल ला (कम्पोजीशन आफ आफेंसेज) (यू० पी० एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का १० वां अधिनियम) के द्वारा किया गया।

यू० पी० रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेंसी पावर्स) (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम) के द्वारा उन सिद्धांतों का निरूपण किया गया जिनके अनुसार यू० पी० रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेन्सी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत सरकारी कब्जे में लिए जाने वाले मोटर गाड़ियों का मोआविजा निर्धारित किया जाना था।

ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट और इंडियन पार्टनशिप ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यभार कम करने के और यह कार्य राज्य सरकार के एक अधिकारी के सुपुर्द करने के उद्देश्य से भारत सरकार के आग्रह पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (यू०पी० एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम) पारित किया गया। इस कार्य के लिए पहले जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (यू०पी० एमेन्डमेंट) अध्यादेश, १९५८ (सन १९५८ का उत्तर प्रदेश का चौथा अध्यादेश) जारी किया गया था, उसे बाद में रद्द कर दिया गया।

जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) रेवेन्यू आफिशियल्स (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का २७ वां अधिनियम) के द्वारा जिला देहरादून के परगना जौनसार बावर के माल अधिकारियों को पुलिस अधिकारी के अधिकार देने की व्यवस्था की गयी।

बिजली संस्थापनों द्वारा जितनी बिजली की सप्लाई की जा सकती थी उससे अधिक की मांग होने के कारण यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी) पावर्स आफ कंट्रोल (एमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९५८ सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३० वां अधिनियम) के द्वारा यू०पी० इलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी) पावर्स आफ कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ की अवधि बढ़ा दी गयी।

कुछ रिट के मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि बैलों की अवस्था उनकी प्रजनन शक्ति अथवा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई परीक्षण या आवश्यकता की व्यवस्था न होने के कारण उत्तर प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, १९५५ (सन् १९५६ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम) धारा १९ (१) (छ) के विरुद्ध है, क्योंकि इस प्रकार प्रजनन वाले और कार्य करने वाले सभी बैलों के वध का पूर्णतः निषेध हो जाता है। इस लिये मूल अधिनियम की धारा ३ की इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अध्यादेश) लागू किया गया।

उत्तर प्रदेश रिपीलिंग एण्ड एमेन्डिंग ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४२ वाँ अधिनियम) के द्वारा रजिस्टर-कानून से यू०पी० रेस्टोरेशन आफ लेण्डस् एण्ड हाउसेज ऐक्ट, १९४७ हटा दिया गया और कुछ अन्य अधिनियमों में भी इसके द्वारा कुछ मामूली परिवर्तन किया गया।

मालखाना गोदामों (वेयर हाउसेज) की स्थापना करने और उनकी देखभाल तथा उन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश वेयर हाउसेज ऐक्ट, १९५८ (सन् १९५९ का उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम) के द्वारा की गयी। स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन द्वारा स्थापित किये जाने वाले और संसद द्वारा पारित किये गये एग्रीकल्चरल प्रोडयूस (डेवेलपमेंट ऐन्ड वेयर हाउसिंग) कार्पोरेशन ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित किये गये वेयर हाउसों के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त अधिनियम द्वारा राज्य स्तर पर आवश्यक कानूनी व्यवस्था की गयी।

उत्तर प्रदेश वेट्स एण्ड मेजर्स (इनफोर्समेंट) ऐक्ट, १९५९ (सन १९५९ का उत्तर प्रदेश का ५वां अधिनियम) के द्वारा दशमलव प्रणाली पर आधारित तौल और नाप का एक सा मापदंड लागू करने की व्यवस्था की गयी जैसी कि संसद द्वारा पारित स्टैंडर्डस आफ वेट्स एण्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ में व्यवस्था की गयी थी।

अध्याय ५

न्याय प्रशासन

१३—अदालतें

न्याय (क) विभाग में दीवानी न्याय प्रशासन तथा अन्य प्रशासकीय समस्याओं के समाधान का कार्य होता रहा। यह विभाग फौजदारी के मुकदमों के सिलसिले में भी कुछ काम जैसे हत्या के मामलों में रिहाई के विरुद्ध अपील और दया के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में भी कार्रवाई करता रहा। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(क) दीवानी कानूनों में संशोधन

(ख) नयी अदालतों का सृजन जिसका कारण (१) मुकदमों के फैसले में विलम्ब होने से बचाना या (२) बकाया कार्य को निपटाना या (३) मुकदमों के बहुत बड़ी संख्या में दायर होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करना

(ग) संबंधित प्रशासकीय मामले का समाधान करना

अनेक कारणोंवश सन १९५८–५९ में कानूनों में संशोधन संबंधी कार्य सीमित रहे। न्याय सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य विधि सम्बन्धी नियमों में पहले ही संशोधन हो चुके थे। स्थायी कानून के संशोधन के प्रश्न विचाराधीन थे और भारत सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में उनकी जांच की। इस वर्ष में विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया और भारत सरकार ने दीवानी के कानूनों की व्यापकता के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की राय और विचार आमंत्रित किये। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष नियुक्त की गयी 'उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भ्रष्टाचार के कारणों की छान बीन सम्बन्धी समिति' कार्यविधि एवं अन्य कानूनों की इस उद्देश्य से जांच कर रही थी कि वे कहां तक भ्रष्टाचार, मुकदमेंबाजी की अत्यावश्यक व्ययशीलता, अनावश्यक विलम्ब और परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं और उसमें ऐसे परिवर्तनों के सुझाव दें जो कि इन बुराइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकें। यह समिति उच्च न्यायालय के एक न्यायधीश की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी और इसके निर्दिष्ट विचारणीय विषय निम्नलिखित थे—

(क) विभिन्न श्रेणी की अधीनस्त अदालतों यथा दीवानी फौजदारी और माल की अदालतों जिला स्तर तक, की कार्य विधि में प्रचलित—(१) भ्रष्टाचार, (२) दोष और (३) विलम्ब के कारणों की जांच करना और उनके निराकरण के उपाय के सुझाव देना

(ख) उपर्युक्त अदालतों में कार्य विधि सम्बन्धी ऐसे नियमों एवं प्रचलित प्रथाओं की जांच करना जो—(१) भ्रष्टाचार, (२) मुकदमें बाजी में अत्यधिक व्ययशीलता (३) मुकदमा लड़ने वाली जनता और साक्षियों की परेशानी और (४) अनावश्यक विलम्ब तथा निलम्बन के लिए जिम्मेदार हैं, तथा ऐसे संशोधन और परिवर्तनों का सुझाव देना जो इन दोषों के निराकरण के लिए आवश्यक समझे जायं

(ग) ऐसे उपायों एवं साधनों का पता लगाना और सुझाव देना जिनके द्वारा जनता विशेषकर वकील वर्ग का सहयोग उपर्युक्त बुराइयों के निराकरण के निमित्त प्राप्त हो सके

(घ) सद्यः संशोधित वर्तमान कार्यविधि एवं अन्य कानूनों की जांच करना और उनमें ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जिनसे भ्रष्टाचार और उनके कार्यान्वय में अनावश्यक बिलम्ब के निराकरण में सहायता मिल सके

(ङ) ऐसी किसी स्थायी तंत्र की उपयोगिता एवं उसके निर्माण के सम्बन्ध में सुझाव देना जो इस राज्य के न्याय प्रशासन में इन दोषों के निराकरण और भविष्य में उनके पुनर्प्रसरण को रोकने के लिए राज्य में जिला स्तर पर या उच्चस्तर पर स्थापित किया जा सके।

राज्य की दीवानी अदालतों के पुनर्संगठन पर बिचार करने का प्रस्ताव था। अदालतों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में आलोच्य अवधि में इटावा और बांदा में जजी स्थापित की गयी और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खीरी, बलिया तथा सुल्तानपुर की अस्थायी दीवानी को स्थायी कर दिया गया। (सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से उत्तर प्रदेश दीवानी (न्याय) सेवा के स्थायी जजों की संख्या, जो १९४९ में २०२ थीं बढ़ाकर १९५७ में २६६ कर दी थी। उच्चतर न्याय सेवाओं के स्थायी जजों की संख्या सन १९४७ के ४५ से बढ़ाकर सन १९५७ में ८४ कर दी गयी थी। उच्च न्यायालय के स्थायी जजों की संख्या सन् १९४९ के १९ से बढ़ा कर सन् १९५७ में २४ करदी गयी थी। उच्च न्यायालय में अनिर्णित मुकदमों की संख्या बढ़ जाने के कारण उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त जजों की भी नियुक्ति की गयी।)

उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ दीवानी अदालतों में अनिर्णित मुकदम की संख्या आलोच्य वर्ष में और भी बढ़ गयी। इन अनिर्णित मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनमें कमी करने के लिए सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ही द्वारा कई उपाय अपनाये गये। (उच्च न्यायालय ने अपनी छुट्टी के दिनों में बहुत कमी कर दी और अपने वार्षिक अवकाशावधि में भी कमी कर दी) २०,००० रु० से कम के दावे में अपील अव्वल और अपील सानी के सम्बन्ध में छपने वाले कागज-पत्रों की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी। ५ हजार से १० हजार रु० के दावे की अपील अव्वल जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में होती थी, अब उसकी सुनवाई जिला जजों की अदालतों में होने लगी। उच्च न्यायालय के एकाकी न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को अपील अव्वल के लिए २००० रु० से बढ़ा कर ५,००० रु० तक कर दिया गया।

सन् १९५७ में नई दिल्ली में होने वाले न्याय मंत्रियों के सम्मेलन में भी उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के प्रश्न पर विचार किया गया। सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों के कार्य के दिन २०० से बढ़ा कर २१० कर दिये जायं और कार्य के घण्टे बढ़ा कर ५॥ घंटे कर दिये जायं। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि जब तक एकत्र हुए अनिर्णित मुकदमों का कार्य समाप्त न हो जाय शनिवारों को भी उच्च न्यायालय खुला रहे। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों की राय ली जा रही है। किन्तु यह तो निश्चय ही कर लिया गया कि सन् १९५९ से कार्य के दिन बढ़ा कर २१० कर दिये जायं।

अदालतों के प्रशासन में पाये जाने वाले भ्रष्टाचार न्याय और कार्यकारिणी के पृथक्करण और निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर भी सम्मेलन में विचार किया गया और इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये वे सरकार के विचाराधीन थे।

*१४—दीवानी न्याय प्रशासन

(क) उच्च न्यायालय

आलोच्य वर्ष में उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या (जिसमें मुख्यन्यायाधीश भी सम्मिलित हैं) २४ थी तथा ३ अतिरिक्त न्यायाधीश थे। पर पूरे वर्ष न्याय प्रशासन

*सन् १९५८ के कलेण्डर वर्ष से संबंधित।

का कार्य सम्पन्न करने वाले न्यायाधीशों की औसत संख्या गत वर्ष के २३ १/२ की तुलना में इस वर्ष २५ रही।

सभी प्रकार के दायर किये गये मुकदमों की संख्या २५,४१५ से बढ़ कर ३०,४६५ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई कि दायर की जाने वाली अपील सानी, दीवानी की फुटकर अपीलों, फौजदारी की अपीलों, फौजदारी की निगरानी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपीलों, इब्तदायी अपीलों और आय कर की नजर सानी की तादाद बहुत बढ़ गयी। निपटाये गये मामलों की संख्या में इस वर्ष कुछ वृद्धि हुई।

इस वर्ष उच्च न्यायालय में पेश की गयी अपीलों की कुल संख्या २४,८२३ थी जब कि गत वर्ष इनकी संख्या २१,३३८ थी। दायर की गयी अपीलों की संख्या ४,६६७ से बढ़ कर ६,६२३ हो गयी। इब्तदायी डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ६३२ से बढ़ कर ६६७ हो गयी जब कि अपील के निर्णय के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ३,७२१ से बढ़ कर ५,६१७ हो गयी। उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ३४४ से बढ़ कर ६३६ हो गयी।

आलोच्य वर्ष में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत सभी प्रकार के अपीलों की संख्या ३,४६७ से बढ़ कर ३,७०४ हो गयी। इब्तदायी डिग्रियों के विरुद्ध की गयी ऐसी अपीलों की संख्या जिनका निर्णय उच्च न्यायालय ने किया, ३२६ से बढ़ कर ४३१ हो गयी और अपील के निर्णय के विरुद्ध की गयी ऐसी अपीलों की संख्या, जिनका निर्णय उच्च न्यायालय ने किया, २,८१२ से बढ़ कर २,८२७ हो गयी। उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध की गयी ऐसी अपीलों की संख्या ३२६ से बढ़ कर ४४६ हो गयी।

वर्ष के अन्त में ऐसी सामान्य अपीलों की संख्या, जिनकी सुनवाई नहीं हुई थी, १७,८७१ से बढ़ कर २१,११६ हो गयी।

पूरे बेंच के समक्ष प्रस्तुत मुकदमे

पूरे बेंच के समक्ष प्रस्तुत किये गये मुकदमों की संख्या ४० थी जिनमें २१ पूर्व वर्ष के अनिर्णीत थे। इनमें से ३१ मुकदमों का निर्णय हुआ और ६ विचाराधीन रहे।

बकाया

इस वर्ष उच्च न्यायालय में सभी प्रकार के अनिर्णीत मुकदमों की संख्या में, २,१६४ की वृद्धि हुई, जब कि दायर किये गये मुकदमों की संख्या में ५७०५० की वृद्धि हुई।

इमारतें

सन् १६५७ के अन्त में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एडवोकेट ब्लाक का कब्जा उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। सन् १६५८ में एडवोकेट लोगों को कमरे दिये गये। गवाहों के लिए बरामदा प्रायः बन कर तैयार हो चुका था। एक सायकिल स्टैण्ड के निर्माण की, और एडवोकेट लोगों की मोटरें खड़ी करने की जगह की योजना विचाराधीन थी।

(ख) दीवानी अदालतें

अधिकार क्षेत्र

आलोच्य वर्ष में बांदा और हमीरपुर का जिला झांसी के जिला जज के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया और दोनों जिलों को मिला कर बांदा के जिला जज की नयी अदालत बना दी गयी। इटावा का जिला मैनपुरी के जिला जज के अधिकार क्षेत्र से निकाल लिया गया और वहां जिला जज की एक नयी अदालत बना दी गयी।

नालिशें

अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी नालिशों (सन् १९३४ के इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट तथा १९५० के पंचायत राज अधिनियम के अधीन दायर की गयी नालिशों को छोड़ कर किन्तु सन् १९३४ के एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन प्रस्तुत आवेदनों को शामिल करके) की संख्या में २.३३ प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् यह १,१९,६४८ से घटकर १,१६,८४९ हो गयी।

अचल सम्पत्ति से संबंधित नालिशों की संख्या में ९४५ की कमी हुई, अर्थात् यह ३१,७३२ से घटकर ३०,७८७ हो गयी। यह कमी मुख्यतः उत्तर प्रदेश भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के लागू हो जाने के कारण हुई क्योंकि इसके अनुसार बहुत से ऐसे मुकदमें जिनका निर्णय दीवानी अदालत में होता था, माल की अदालतों में भेजे जाने लगे।

सभी अदालतों में दायर की गयी कुल नालिशों की मालियत में ३,४८,८९,२७२ रु० की कमी हुई, अर्थात् यह १२,१६,४३,२१९ रु० से घट कर ८,६७,५३,९४७ रु० हो गया।

ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला किया गया, १,४८,३१९ से घट कर १,४४,८२६ हो गयी अर्थात् इनमें ३,४९३ की कमी हुई। इनमें वे नालिशें नहीं सम्मिलित हैं जिनका निपटारा मुन्तकिली (हस्तांतरण) द्वारा हुआ। निपटाये गये मामलों की संख्या दायर किये गये मामलों से अधिक थी। निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या में २४,४९८ की कमी हुई। अर्थात् यह ३,२२,७११ से घट कर २,९८,२१३ रह गयी। उन नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, सन् १९५७ के ३४,४४६ की तुलना में इस वर्ष ३६,५१८ थी।

उन नालिशों की संख्या जिनका निपटारा पूरी सुनवाई के अलावा अन्य किसी ढंग से किया गया (मुन्तकिली के द्वारा निपटाये गये मामलों को छोड़ कर) १,०८,३०८ थी।

अवधि

मुंसिफ की अदालतों में पूरी सुनवाई के बाद जिन नालिशों का फैसला किया गया उनकी औसत अवधि ५७५ दिन से बढ़ कर ६१३ दिन हो गयी। पर दीवानी की जजों की अदालतों में यह औसत अवधि ६६७ दिन से घट कर ६०७ दिन रह गयी। जिला जजों की अदालतों में यह औसत अवधि ३८३ दिन से बढ़ कर ४४० दिन हो गयी। राज्य में पूरी सुनवाई के बाद निर्णीत सभी नालिशों की औसत अवधि ५१७ दिन थी जब कि पूर्वगामी वर्ष में यह अवधि ४८५ दिन थी।

अपील

अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी नियमित और किराया संबंधी अपीलों की कुल संख्या में ३,९८४ की वृद्धि हुई, अर्थात् यह १६,०२७ से बढ़ कर २०,०११ हो गयी। अदालतों के सामने फैसला करने के लिए कुल अपीलों की संख्या में ४,८८९ की वृद्धि हुई अर्थात् संख्या यह ६६,११४ से बढ़ कर ७१,००३ हो गयी थी। ऐसी अपीलों की संख्या, जिनका फैसला मुन्तकिली के अलावा अन्य किसी प्रकार से किया जाना था, १६,८३३ से बढ़ कर २१,७२५ हो गयी अर्थात् इनमें ४,८९२ की वृद्धि हुई। नियमित दीवानी की अपीलों की संख्या में ३,६७९ की वृद्धि हुई अर्थात् निपटारे के लिए इस प्रकार के अपीलों की संख्या ६१,४५१ से बढ़ कर ६५,१३० हो गयी। इनमें से १९,९६६ अपीलों का फैसला किया गया। माल के अपीलों की संख्या ५,८७३ थी जिन में से १,७५९ का फैसला किया गया।

उन अपीलों की संख्या, जिन्हें जाब्ता दीवानी १९०८ आदेश ४१ नियम ११ के अधीन सरसरी ढंग से खारिज कर दिया गया ३६९ से बढ़ कर ३८० हो गयी।

अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी फुटकर अपीलों की संख्या में २०६ की वृद्धि हुई अर्थात् यह ३,०७७ से बढ़ कर ३,२८३ हो गयी। फैसला करने के लिए अपीलों की संख्या ८४० की वृद्धि हुई अर्थात् यह ७,६७२ से बढ़ कर ८,५१२ हो गयी। फैसले के लिए उन फुटकर अपीलों की संख्या में १६ की कमी हुई (३,३७१ से घटकर ३,३५५) जिन अपीलों का फैसला मुन्तकिली के अलावा अन्य विधियों से किया गया।

डिग्रियों का इजरा

अधीनस्थ अदालतों के समक्ष डिग्रियों के इजरा के लिए प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या में ३०७ की वृद्धि हुई, अर्थात् इनकी संख्या १,०१,५२१ से बढ़ कर १,०१,८२८ हो गयी। आलोच्य वर्ष में दी गयी दरख्वास्तों की संख्या में भी ६८३ की वृद्धि हुई, अर्थात् यह ६६,६७६ से बढ़ कर ७०,३६२ हो गयी। निपटाई गयी दरख्वास्तों की संख्या १,४०६ की वृद्धि हुई अर्थात् यह ६४,८८१ से बढ़ कर ६६,२६० हो गयी। इनमें मुन्तकिली के द्वारा निपटाई गयी ३,८६२ दरख्वास्तें शामिल नहीं हैं।

ऐसी दरख्वास्तों का जो निराधार नहीं थी, प्रतिशत ४३ से बढ़ कर ४४ हो गया।

दिवाला

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम १६२० के अधीन ३० सिविल जजों और कुमायूं जजी के सभी मुंसिफों को दिवाला के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार था। अधीनस्थ अदालतों में दिवाला संबंधी मुकदमों की संख्या में १०२ की वृद्धि हुई अर्थात् यह १,६७२ से बढ़ कर १,७७४ हो गयी। मुक्त किये गये दिवालियों की संख्या १६३ से बढ़ कर २२६ हो गयी अर्थात् इनमें ३३ की वृद्धि हुई। दिवाला संबंधी मामलों में रिसीवरों द्वारा वितरित धनराशि ३,२८,६६२ रु० से बढ़ कर ३,४२,६२१ रु० हो गयी अर्थात् इसमें १३,६२६ रु० की वृद्धि हुई। रिसीवरों के पास जमा रकम इस वर्ष १०,६३,०६५ रु० से घट कर ६,६४,५४८ रु० रह गयी अर्थात् इनमें ६८,५४७ रु० की कमी हुई।

खफीफा अदालतें

स्थायी खफीफा अदालतों की संख्या यथावत १० बनी रही। इन खफीफा अदालतो द्वारा निपटाई गई नालिशों की संख्या २४,३३३ की जो कि गत वर्ष की नालिशों की संख्या से १,०७६ कम थी। खफीफा अदालतों के अधिकार से मुक्त अन्य अदालतों द्वारा निपटाई गयी नालिशों की संख्या ३१,४१७ थी जोकि पूर्वगामी वर्ष की संख्या से ४,४७० कम थी।

इन अदालतों में सफल इजरा दरख्वास्तों का प्रतिशत २८ से घटकर २६ रह गया।

अवैतनिक मुंसिफ

अवैतनिक मुंसिफ की अदालतें केवल चम्पावत (अल्मोड़ा) और रवाई (टिहरी गढ़वाल) में थीं। इन अदालतों द्वारा निपटाई गयी नालिशों की संख्या १११ से घटकर ६६ रह गयी।

शेष कार्य

विभिन्न कारणों से, जिनमें सार्वजनिक निर्वाचन के फलस्वरूप चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में अधिकांश जिला जजों का व्यस्त रहना भी थी, अदालतों के समक्ष बकाया कामों की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई। शीघ्रता पूर्वक इस शेष कार्य को निपटाने का प्रश्न विचाराधीन था।

नालिशें

यद्यपि वर्ष के अन्त में निपटाई गयी नालिशों की संख्या में १३,२२२ की कमी हुई (१,३४,४३७ से घटकर १,२१,२१५)। अनिर्णीत नालिशों की संख्या काफी बनी रही।

अपीलें

नियमित या किराये से संबंधित अनिर्णीत अपीलों की सूची में १,५६१ की कमी हुई (२८,३५५ से घटकर २६,७९४)। अनिर्णीत कुल अपीलों में से २४,६५० नियमित अपीलें थी और २,१४४ माल की थीं। एक वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन अपीलों की संख्या में ३,१८६ की कमी हुई, अर्थात् यह १४,१३५ से घटकर १०,९४९ रह गयी।

फुटकर अपीलें

अनिर्णीत फुटकर अपीलों की कुल संख्या में ५६ की कमी हुई अर्थात् यह २,५७० से घटकर १,५१४ रह गयी। ऐसी अपीलों की संख्या, जो एक वर्ष से भी अधिक से विचाराधीन थीं ५८५ थीं जब कि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ७७५ थी।

डिग्रियों के इजरा के लिए दरख्वास्तें

विचाराधीन पत्रावली की संख्या में १८० की वृद्धि हुई अर्थात् यह ३१,४६६ से बढ़ कर ३१,६४६ हो गयी। तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन दरख्वास्तों की संख्या में ७३१ की कमी हुई, अर्थात् यह १७,०५० से घटकर १६,३१९ रह गयी।

फरीकों और गवाहों के बयान

जाब्ता दीवानी के आदेश ५ नियम ३ के अधीन जिन व्यक्तियों को अदालत में स्वयं हाजिर होने के आदेश जारी किये गये उनकी संख्या ७,००१ से बढ़ कर ६,०७४ हो गयी। इनमें से ४,१५६ व्यक्तियों के बयान लिये गये।

सम्मन तामील करने वाले कर्मचारी

समन तामील करने वाले कर्मचारियों द्वारा तामील किये गये सम्मनों की संख्या में २७,८८५ की वृद्धि हुई अर्थात् यह १०,५६,६५७ से बढ़ कर १०,८४,५४२ हो गयी। जाब्ता दीवानी के आदेश १६ नियम ८ के अधीन फरीकों द्वारा स्वयं तामील किये गये सम्मनों की संख्या में २,६०३ की वृद्धि हुई, अर्थात् यह १,२६,७८१ से बढ़ कर १,५०,३८४ हो गयी।

पंचायत राज अधिनियम का कार्य

आलोच्य वर्ष में राज्य में ८,५८५ न्याय पंचायतें कार्य करती रहीं।

न्याय पंचायतों के समक्ष दायर किये गये और निपटाये गये मुकदमों की संख्या इस वर्ष घट कर क्रमशः ७५,८३१ से ६८,९७३ और ७४,५७७ से ५८,२९० रह गयी। अनिर्णीत मामलों की संख्या गतवर्ष के १५,६०६ की तुलना में १६,२८९ थी।

इमारतें

राज्य में दीवानी अदालतों के इमारतों की हालत संतोष जनक नहीं थी। कुछ स्थानों में तो इमारतें इस योग्य रह ही नहीं गयी थीं कि उनका उपयोग किया जा सके तथा काम में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अदालतों के लिए अपर्याप्त थीं। अतः इन अतिरिक्त अदालतों के लिए किराये की इमारतों का या बराण्डा घेर कर स्थान का प्रबन्ध करना पड़ा।

इलाहाबाद में अदालत के कमरों के लिए एक नये ब्लाक के निर्माण कार्य, (२) जौनपुर में ३ अदालत के कमरों का निर्माण, (३) बलिया में एक अभिलेख कक्ष का निर्माण और (४) बस्ती की दीवानी अदालत की इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन का कार्य चल रहा था।

सरकार ने (१) मथुरा में अदालत के कमरों के एक खण्ड के निर्माण का, (२) पौरी में एक सेशन अदालत का, (३) एटा में अदालत के कमरों के एक नये खण्ड के निर्माण का और (४) मुजफ्फरनगर में दीवानी अदालत की इमारत के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की।

रामपुर में एक अभिलेख कक्ष का निर्माण आरम्भ किया गया और कार्य प्रगति पर था।

अन्य निर्माण कार्यों में, जिनके लिए सन् १९५७-५८ में ३ लाख रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गई थी, देहरादून, फैजाबाद, देवरिया, और कानपुर में अदालत के दो-दो कमरो का निर्माण और बाराबंकी में जिला जज की अदालत के एक कमरे का निर्माण था। आलोच्य र्ष में केवल कानपुर और फैजाबाद में अदालत के २-२ कमरों का निर्माण किया जा सका।

सन् १९५८-५९ में इटावा, बरेली, वाराणसी, मैनपुरी और बलिया में दीवानी अदालत की इमारतों में परिवर्तन एवं परिवर्धन करने के लिए ४ लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी।

गवाहों के लिए ८ बरामदों के निर्माण की, बहराइच , बलिया, बुलन्दशहर, गाजीपुर, शाहजहांपुर और ज्ञानपुर में एक-एक और वाराणसी में दो की स्वीकृति सन् १९५६-५७ में की गयी थी। आलोच्य वर्ष में बलिया, ज्ञानपुर और वाराणसी में गवाहों के लिए बरामदों का निर्माण पूरा हो गया और शाहजहांपुर, गाजीपुर, बुलन्दशहर और बहराइच में निर्माण कार्य चल रहा था। ६ और स्थानों में अर्थात् झांसी, देवरिया, रामसनेही घाट (बाराबंकी) रामपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में गवाहों के बरामदों के निर्माण के लिए धन की स्वीकृति दी गयी। किन्तु वर्ष के अन्त तक यह कार्य आरम्भ न किया जा सका।

राज्य की न्याय सेवा के अधिकारियों के लिए सरकारी आवास स्थानों की बड़ी कमी थी।

*१५—फौजदारी न्याय व्यवस्था

अधिकार क्षेत्र

आलोच्य वर्ष में सेशन डिवीजनों की संख्या ३८ से बढ़कर ४० हो गयी। फौजदारी के बढ़े काम को निपटाने के लिए २९ जिलों में सिविल और सेशन जजों की अस्थायी अदालतें स्थापित की गयीं। यदि इन अस्थायी अदालतों के कुल समय को जोड़ लिया जाय तो उन्होंने २२ वर्ष ३ महीने और १२ दिन कार्य किया।

अपराधों की संख्या

भारतीय दण्ड विधान के अधीन आलोच्य वर्ष में अपराधों की संख्या सन् १९५७ के ८९,२९२ से बढ़ कर ९६,४३४ हो गयी। राज्य के विरुद्ध अपराधों, जैसे झूठी गवाही और सार्वजनिक न्याय व्यवस्था के विरुद्ध अपराधों की संख्या १,७०८ से बढ़ कर १,७६९ हो गयी। हत्या क मामलों की संख्या ४,०६० से बढ़ कर ४,४०१ हो गयीं और मारपीट, जबरदस्ती करने और हमलें संबंधी अपराधों की संख्या विगत वर्ष के १८,६२६ से बढ़ कर इस वर्ष २०,७३१ हो गयी।

बलात रोक रखने या अपराध करने, जबरन धन वसूल करने और अपमान संबंधी मामले भी आलोच्य वर्ष में बढ़े।

अभियुक्त

इस वर्ष ७,३७,६२१ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चले जब कि गत वर्ष ७,००,०११ व्यक्तियों के विरुद्ध चले थे । इनमें से ६५६ अभियुक्त मुकदमों के दौरान में मर गये, १,०१७

---

*सन् १९५८ के कलेण्डर वर्ष से संबंधित।

भाग गये, ६१ के मामले अन्य जिलों में भेज दिये गये और १ अभियुक्त को पागल करार दे दिया गया। इस वर्ष कितने अभियुक्त छोड़े गये, कितने सेशन सुपुर्द किये गये और कितने दण्डित किये गये इसका विवरण इस प्रकार है।

	१९५७	१९५८
छोड़े गये अभियुक्त	३,२३,८०८	३,४५,०९९
दण्डित अभियुक्त	२,४३,२८१	२,६४,९०३
सेशन सुपुर्द अभियुक्त	२१,९५३	२३,०४२
वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामले	१,००,११९	९४,०६३

भारतीय-दण्ड विधान, जाब्ता फौजदारी और विशेष या स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के चालान हुए या जो दण्डित अथवा मुक्त हुए उनकी संख्या निम्न प्रकार थी --

	१९५७	१९५८
भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग--		
चालान हुए व्यक्तियों की संख्या ..	३,०१,४५७	३,१५,९५०
रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	१,७८,७९५	१,९१,७४१
दण्डित व्यक्तियों की संख्या	४४,९३३	५१,०१२
वर्ष की समाप्ति पर विचाराधीन मुकदमों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या	७६,५५०	७२,३४९

जाब्ता फौजदारी और विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अभियोगों की संख्या--

	१९५७	१९५८
चालान हुये व्यक्तियों की संख्या	४,१६,०३९	४,३६,४६०
मुक्त हुए व्यक्तियों की संख्या	१,५९,७६६	१,७०,२४७
दण्डित व्यक्तियों की संख्या	२.१२ ७४८	२,३०,७२०
आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर विचाराधीन मुकदमों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या ..	४१,७६०	३७,६०६

निर्णीत मामले

गत वर्ष के ३,०४,८९५ मुकदमों की अपेक्षा इस वर्ष ३,२६,२२५ मुकदमें निर्णीत हुए। आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालतों द्वारा निर्णीत मुकदमों से गत वर्ष के १,३६,६४७ की तुलना इस वर्ष १,४६,२९२ व्यक्तियों का संबंध था। इस वर्ष ६,४३,५५८ व्यक्तियों के मामले निर्णीत हुए।

गवाह

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में गुजरने वाले गवाहों की संख्या इस वर्ष गत वर्ष के ४,५३,२३० से बढ़ कर ४,९३,००८ हो गयी। सेशन की अदालतों में गुजरने वाले गवाहों की संख्या भी इस वर्ष सन् १९५७ के ७७,१०६ से बढ़ कर ९५,८४९ हो गयी। मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में

गुजरने वाले ऐसे गवाहों की संख्या जिन से जिरह नहीं की गयी गत वर्ष में २६,७६० से घटकर इस वर्ष २४,६६७ रह गयी । पर सेशन की अदालतों में यह संख्या १०,३२६ से बढ़ कर १४,५१७ हो गयी।

मुकदमों की अवधि

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में एक मुकदमा चलने की अवधि २५ दिन से घट कर २२ दिन हो गयी। सेशन की अदालतों में यह अवधि २१६ दिन से घट कर २१४ दिन हो गयी।

मुकदमों के फैसले और सजाएं

मैजिस्ट्रेटों और सेशन की अदालतों से जो व्यक्ति दण्डित हुए उनमें से ४०,२१२ को कारावास की सजाएं, २,०६,६०४ को जुर्माने और ३०,४१० व्यक्तियों की जमानतें देने के आदेश हुए। सेशन की अदालतों से सन् १९५७ के ३७६ की तुलना में इस वर्ष ४६५ व्यक्तियों को प्राण दण्ड की सजायें दी गयी। अपील होने पर हाईकोर्ट के द्वारा १२४ की प्राणदण्ड की सजाएं बहाल रहीं, १९० व्यक्ति छूट गये, ९२ की सजाएं बदल दी गयीं और वर्ष की समाप्ति के अवसर पर ५९ व्यक्तियों के मामले विचाराधीन थे । पिछले वर्ष के २० की अपेक्षा इस वर्ष १३ व्यक्तियों को फांसी दी गयी।

आजन्म कारावास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सन् १९५७ के १,२४२ से बढ़ कर इस वर्ष १,५८० हो गयी। कठोर कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्तियों की संख्या गत वर्ष २९,६४२ से बढ़ कर ३२,६३९ हो गयी।

सेशन की अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने की धनराशि पूर्वगामी वर्ष में २,६८,२०७ रु० की अपेक्षा इस वर्ष बढ़कर ४,२९,६८१ रुपये हो गयी। इसी प्रकार मजिस्ट्रेट की अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने की धनराशि ४६,३५,३६६ रु० से बढ़कर ५४,२८,४७९ रु० हो गयी।

शांति और चरित्रता के लिए जमानत

शांति बनाये रखने के लिए २६,०१९ व्यक्तियों से मुचलके लिये गए जब कि गत वर्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या २४,४७१ थी। जिन जिलों में बड़ी संख्या में लोगों से मुचलके लिये गये वे इस प्रकार थे---बहराइच (२,२४२), बाराबंकी (१,८५८), बस्ती (१,६२४) और गोंडा (१,३७१) । सच्चरित्रता के लिए जितने लोगों से मुचलके लिये गए उनकी संख्या गत वर्ष के ११,३८० से घट कर इस वर्ष १०,१६३ रही। जिन जिलों में बड़ी संख्या में मुचलके लिये गये उनके नाम इस प्रकार थे---कानपुर (६८४), आगरा (५५०), बरेली (४७२) और इलाहाबाद (४१८)।

प्रथम अपराधी और बाल अपराधी

प्रथम बार अपराध करने के आधार पर चेतावनी दे कर या उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन अधिनियम, १९३८ के अधीन रिहा किये गये अभियुक्तों की संख्या पिछले वर्ष ६,२१३ से बढ़ा कर इस गर्ष ७,१४१ हो गयी।

अपीलें

हाईकोर्ट में अपील करने वालों की संख्या गत वर्ष १३,१४८ से बढ़ कर १६,०८२ हो गयी। पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलों सहित सरकार की ओर से दायर की गयी अपीलों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के ३०० की तुलना में इस वर्ष २६५ रही। इनमें से ३३ अपीलें मंजूर की गयीं, ८३ खारिज कर दी गयी और वर्ष की समाप्ति पर १४२ विचाराधीन थीं। अन्य अदालतों में अपील दायर करने वालों की संख्या गत वर्ष के ५६,०१७ की तुलना में इस वर्ष ५६,४०० रही ।

* १६—माल की अदालतें

कब्जा आराजी के मुकदमें

राज्य में उत्तर प्रदेश टेनेन्सी अधिनियम, १९३९ के अधीन दायर किये गये मुकदमों की संख्या विगत वर्ष के २१,३१९ से घट कर इस वर्ष १४,१२५ रह गयी। विभिन्न प्रकार के मुकदमों की संख्या भी पूर्वगामी वर्ष के ४,७९५ से घट कर इस वर्ष १,८७८ रह गयी। बकाया लगान की नालिशों की संख्या १,८८७ से घट कर १,४११ हो गयी। बेदखली के मुकदमें विगत वर्ष के १,६४७ से बढ़कर १,७२२ हो गये, जब कि केवल १,०२३ मामलों में बेदखल करने के आदेश जारी किये गये। बेदखली से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्र गत वर्ष के १,६०३ एकड़ से घट कर इस वर्ष १,३०७ एकड़ रह गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अधीन दाखिल किये गये विभिन्न आवेदन-पत्रों की संख्या इस वर्ष १,५५,६९९ थी जबकि गत वर्ष यह १,५०,७८५ थी। भूमिधरी अधिकार उपार्जित करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या विगत वर्ष के ३०,६०२ से बढ़ कर इस वर्ष ३,६७,२२० हो गयी। कब्जे के पुनर्ग्रहण के लिए इस वर्ष ३,३१५ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए जबकि गत वर्ष इनकी संख्या २,००६ थी। उक्त अधिनियम की धारा १४३ और १४४ के अधीन घोषणार्थ विगत वर्ष के ७,८१९ प्रार्थना-पत्रों की तुलना में इस वर्ष ६,२५९ प्रार्थना-पत्र दिये गये। असामियों और अधिकारियों की बेदखली के लिए इस वर्ष २२,०६१ प्रार्थना-पत्र पेश हुए जबकि गत वर्ष २४,८०५ पेश हुए थे। इस सम्बन्ध में इस वर्ष १८,५६७ एकड़ से बेदखलियों के आदेश हुए जबकि गत वर्ष ११,२३१ एकड़ से बेदखली के आदेश हुए थे।

मूल टेनेंसी अधिनियम के अधीन मुकदमों का निपटारा

उत्तर प्रदेश टेनेन्सी अधिनियम, १९३९ के अधीन मुकदमों के निपटारे के लिए दायर मुकदमों और प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों की संख्या विगत वर्ष की ३४,५२७ की तुलना में इस वर्ष २१,३४७ थी। कुल १७,३०२ मामलों का निपटारा किया गया जब कि पूर्व वर्ष में २७,३८६ मामलों का निपटारा किया गया था। वर्ष के अन्त में ४,०४५ मामले निपटाने को शेष रहे।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू अधिनियम सहित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के कुल १०,७४,९१० मामले पेश हुए जबकि गत वर्ष इन की संख्या १०,४१,९१० थी। इनमें से पिछले वर्ष के ८,१३,३८२ की अपेक्षा इस वर्ष ८,९६,८४० मामले निर्णीत हुए और वर्ष की समाप्ति पर १,७८,०७० मामले निर्णय को शेष रहे।

अपील और निगरानी

उत्तर प्रदेश टेनेन्सी अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सामने पेश की गयी अपीलों की संख्या विगत वर्ष के ६२० से घट कर २४९ रह गयी। निपटारे के लिए कुल ४१० अपीलें थीं जिसमें वर्ष के आरम्भ में जो १६१ मामले (संशोधित संख्या) अनिर्णीत थे वह भी सम्मिलित हैं। इन में से ३४१ मामलों का फैसला हो गया और वर्ष की समाप्ति पर ६९ मामले विचाराधीन रहे। इस शेष संख्या में १३ मामले ३ मास से अधिक पुराने थे।

उत्तर प्रदेश टेनेन्सी अधिनियम, कुमायूं टेनेन्सी नियम, और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के अधीन कमिश्नरों और अतिरिक्त कमिश्नरों के द्वारा निपटारे के लिए पेश अपीलों की संख्या गत वर्ष के १९,९७७ से बढ़ कर इस वर्ष २०,६६३ हो गयी। इसमें से १३,४१८ अपीलों का फैसला हो गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में ७,२४५ अपीलें फैसले को शेष थीं। ३,७४० अपीलों में नीचे की अदालतों के आदेश उलट दिये गये या संशोधित

---

* सन् १९५८ के कलेक्टर वर्ष से सम्बन्धित।

किये गये अथवा उन्हें वापस भेज दिया गया। यह कुल अपीलों की संख्या का लगभग २७.६ प्रतिशत था।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू अधिनियम के अधीन कमिश्नरों तथा अतिरिक्त कमिश्नरों द्वारा निर्यात के लिए ११,५२५ अपीलें पेश थीं। इनमें से ६,७७६ अपीलों का फैसला कर दिया गया और वर्ष की समाप्ति पर ४,७४६ फैसले शेष बची रही।

माल बोर्ड के सम्मुख निर्णय के लिए १०,८६२ अपीलें थीं। इनमें से ४,४०२ पर फैसले किये गये और ५,४६० शेष बचीं।

बटवारा

उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं था। विगत वर्ष के समाप्त होने के अवसर पर बटवारा के मामलों की संख्या ६५ थी। इस वर्ष बटवारा सम्बन्धी ८५ मामले और पेश हुए। इस प्रकार कुल १८० मामलों का निपटारा किया जाना था। इनमें से ६४ मामलों का निर्णय किया गया और वर्ष के अन्त में ८६ मामले अनिर्णीत रहे।

दाखिल खारिज

राज्य के जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं था वहां मालिकाना हक सम्बन्धी दाखिल खारिज के ७,२२१ मामले दर्ज किये गये जबकि गत वर्ष ७,२५६ मामले दर्ज किये गये थे। भूमि अभिलेखों में कब्जे सम्बन्धी १० परिवर्तन अदालतों के आदेश से, १,८३० परिवर्तन निजी तरीके से और ४,८६८ परिवर्तन उत्तराधिकार के द्वारा हुए जबकि गत वर्ष यह संख्याएं क्रमशः १६५, २,३३० और ४,४६३ थीं। इस वर्ष रेहन या रेहन से छूट के ५ मामले दर्ज हुए जबकि गत वर्ष ऐसे मामलों की संख्या १२ थी। परिवर्तन सम्बन्धी अन्य मामलों की संख्या ५०८ थी जबकि गत वर्ष यह २५६ थी।

भूमिधारी और सीरधारी हक सम्बन्धी दाखिल खारिज के इस वर्ष ५,३८,२७६ मामले दर्ज हुए जबकि गत वर्ष इनकी संख्या ४,६०,७१६ थी। अदालत आदेश से ७३१ और निजी तरीके से १,८६,३७५ परिवर्तन दर्ज किये गये। गत वर्ष यह संख्याएं क्रमशः ६६४ और १,५७,३८७ थीं। अन्य कारणों वश गत वर्ष के ३,०२,६६८ मामलों की अपेक्षा इस वर्ष ३,५१,१३३ मामलों में परिवर्तन दर्ज हुए।

आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर

आलोच्य वर्ष में आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों को कोई भी अदालत न थी।

१७८—रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग की वास्तविक आय सन् १९५७–५८ के ५६,२६,७०६ रु० की तुलना में सन् १९५८–५९ के वर्ष में ७८,७७,६१६ रु० हुई। इसी प्रकार विभाग का व्यय भी १५,,२६,०१० से बढ़ कर १६,०८,६३० रु० हो गया। व्यय में ७६,६२० रु० की यह वृद्धि अंशतः विभाग के कर्मचारियों के वेतन की वार्षिक वृद्धि देय हो जाने के कारण और अंशतः निम्नांकित ५ नये उप-निबन्धन कार्यालयों के खुलने के कारण हुई—

स्थान	जिला
सलीमपुर	गोरखपुर
नौगढ़	बस्ती
हड़िया	इलाहाबाद
भदोही	वाराणसी
भोगांव	मैनपुरी

राज्य में वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रेशन अफिसरों की कुल संख्या २५० थी। इनमें जिला रजिस्ट्रारों के कार्यालय भी शामिल हैं। आलोच्य वर्ष में ७ सब रजिस्ट्रार जो कानून के भी स्नातक थे, द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का कार्य करते रहे।

१८—लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा

न्याय विभाग की लीगल रिमेम्बरेंसर शाखा का मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी के उन सभी प्रकार के मुकदमों की, जिनका सम्बन्ध इस्तगासा वापस लेने और जमानत रद्द करने से था, और माल की अपील सानी तथा संविधान की धारा ३२ के अन्तर्गत याचिकाओं से संबधित कार्यों की, जिनसे सरकार किसी न किसी प्रकार से सम्बन्धित थी निगरानी करना था। ऐसे सभी मामले जिनमें राज्य के विभिन्न विभागों को या भारत सरकार को कानूनी सलाह की जरूरत थी, सलाह के लिए लीगल रिमेम्बरेंसर के पास आए। उन सभी अदालतों में जिनका अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, और अन्य राज्यों की अदालतों में तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी दीवानी के मुकदमों से सम्बन्धित कार्यों को, जिसमें राज्य सरकार एक फरीक थी, इस विभाग ने देखा।

सन् १९५७ में कार्य विधि संशोधन के फलस्वरूप मुकदमा सम्बन्धी खर्च और लीगल रिमेम्बरेंसर मैन्यूअल के नियम ४७८ में निर्धारित सरकार के पक्ष में डिग्री की रकमों का फार्म नं० २२ और २३ को लीगल रिमेम्बरेंसर को प्रस्तुत करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिये गये। जिला सरकारी वकीलों द्वारा रखे जाने वाले लीगल रिमेम्बरेंसर मैनुअल के नियम ४७८ में निर्धारित फार्म १८ और २४ के विवरण तथा नियम २०६ में निर्धारित रजिस्टर के रख-रखाव को बन्द कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अधीन गांव समाजों को सरकार के व्यय पर कानूनी सहायता देने की योजना चलती रही। प्रत्येक जिले में एक जिला सरकारी वकील (माल) के नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। (जिला सरकारी वकील (माल) १९५९ में जिलों में अलग से नियुक्ति किये गये)।

सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा न्याय विभाग को परामर्श के हेतु निर्देशित मामलों की संख्या इस वर्ष १०,७९१ थी, जबकि गत वर्ष यह संख्या ११,०३७ थी। इनके अतिरिक्त सचिव अथवा उप सचिवों द्वारा भी बहुत से मामले तात्कालिक परामर्श के लिए सम्बन्धित न्याय अधिकारियों के पास ले आये गये। सदा की भांति लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा ने केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा निर्देशित मामलों और ऐसे मुकदमों से सम्बन्धित कार्यों को भी देखा जिनमें भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार फरीक थी और जो सम्बन्धित सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंपे गये थे।

सभी सरकारी वकीलों (जिला सरकारी वकील, दीवानी गांव समाज वकील, हाई, कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील, एडवोकेट जनरल और सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट आन रिकार्ड) के यात्रा भत्ते और फीस के बिल का निरीक्षण भुगतान के लिए न्याय विभाग द्वारा किया गया। विशेष कार्यों के लिए नियुक्त वकीलों के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को अधिकार देने का प्रश्न विचाराधीन था।

यह निश्चय किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय स्थित एडवोकेट आन रेकार्ड द्वारा किये गये विविध व्यय न्याय (ख) विभाग नहीं वरन् उन प्रशासकीय विभागों द्वारा वहन किया जायगा जिनका उन मुकदमों से सम्बन्ध हो। इस उद्देश्य से कि एडवोकेट आन रेकार्ड को प्रारम्भ में अपने पास से बहुत बड़ी रकम न खर्च करनी पड़े, यह भी व्यवस्था की गयी कि वह सम्बन्धित विभाग से उपयुक्त समय पर वांछित अग्रिम धन की व्यवस्था करने को कह सके (यह धन किसी भी दशा में ३० रु० से कम न हो) जिससे वह विविध व्यय पूरे कर सके।

जिला स्तर पर सरकारी मुकदमों की कार्रवाई में अधिक कुशलता लाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल के तीन पहाड़ी जिलों को छोड़ कर शेष उन सभी जिलों में जहां दीवानी और फौजर्दारी दोनों के लिए एक ही सरकारी वकील था, अलग-अलग दीवानी और फौजदारी के जिला सरकारी वकील नियुक्त करने का निश्चय किया गया।

१६—उत्तर प्रदेश के महाप्रशासन तथा शासकीय न्यासधारी का कार्यालय

आलोच्य वर्ष में राज्य में लगभग १४ लाख मूल्य के सरकारी सिक्योरिटियों और शेयरों के अतिरिक्त लगभग ८ लाख रु० आमदनी के १८ न्यास और २०० आस्थान प्रशासक के अधीन थे। आस्थानों का प्रशासन शासकीय न्यास धारी तथा महाप्रशासक के अधिनियम (१६१३ के २ और ३) की व्यवस्थाओं के अनुसार होता रहा। सन् १६५८–५६ के वर्ष में इस कार्यालय को ५० मृत्यु सूचना संबंधी मामलों की सूचना प्राप्त हुई। महाप्रशासक के अधिनियम की धारा २५ के अधीन कई आस्थान प्रशासन के अन्तर्गत आ गये।

महाप्रशासक के अधिनियम की धारा ३१ के अन्तगत महाप्रशासक को २,०००. रुपया मूल्य तक के प्रशासन या उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाणपत्र स्वीकृत करने का अधिकार है। आलोच्य वष में ऐसे ३१ प्रमाण-पत्र जारी किये गये। प्रशासन या उत्तराधिकार सुविधा-जनक और कम खर्चीली होने के कारण यह आशा की गयी कि भविष्य में ऐसे प्रार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी।

प्रशासन के सिलसिले में बहुत से दावों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया और उनका भुगतान भारत में या भारत के बाहर रहने वाले दावेदारों को किया गया। विदेश में रहने वाले दावे-दारों को उन देशों में स्थित भारतीय उच्चायुक्त के द्वारा भुगतान किया गया। उच्चायुक्त महाप्रशासक के एजेन्ट के रूप में भुगतान करते थे। कुछ आस्थान जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था राज्य सरकार के अधिकार में ले लिये गये।

अध्याय—६

स्वायत्त शासन

२०—पंचायतें

प्रशासन

पूर्व वर्ष की भांति आलोच्य वर्ष में भी राज्य में ७२,४०९ गांव पंचायतें और ८,५८५ न्याय पंचायतें थीं।

निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की भी संख्या उतनी थी जितनी कि पहले थी। राज्य के मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या इस प्रकार थी । एक संचालक, जो पदेन संयुक्त विकास आयुक्त भी था और चार उप-संचालक थे। जिला स्तर पर जिला नियोजन अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) पदेन जिला पंचायत अधिकारी के रूप में काम करते रहे और इनकी सहायता के लिए एक सहायक जिला पंचायत अधिकारी, पंचायत निरीक्षक अथवा सहायक विकास अधिकारी (नियोजन) भी की सेवाएं उपलब्ध रहीं। कुल मिलाकर आलोच्य वर्ष में ४२४ पंचायत निरीक्षक और २८१ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) थे। पंचायत सेक्रेटरियों की संख्या ८,५८५ बनी रही। पंचायत सेक्रेटरी भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बढ़ा दी गयी। पहले जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था, परन्तु आलोच्य वर्ष में यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि इस पद पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जो कम से कम द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हों। यह भी आदेश जारी किये गये कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी पंचायत सेक्रेटरी की नियुक्ति उसके घर वाले गांव से २५ मील की दूरी के भीतर नहीं की जायगी।

आलोच्य वर्ष में एक सहायक जिला पंचायत अधिकारी का काम संतोषजनक न होने के कारण पंचायत निरीक्षक के रूप में उसकी तनज्जुली हुई। चार पंचायत निरीक्षकों को बरखास्त किया गया। एक पंचायत निरीक्षक को हटाया गया और नौ पंचायत निरीक्षकों की सेवाएं एक महीने की नोटिस देकर समाप्त की गयीं।

राज्य के ३६ जिलों से प्राप्त सूचनाओं से मालूम हुआ कि १४३ प्रधान, ७ उप प्रधान, २४ सदस्य, २० सरपंच, एक सहायक सरपंच और ११ पंच निलम्बित किये गये और ६० प्रधानों ४ उप प्रधानों, ५ सदस्यों, ७ सरपंच और ६ पंचों को उनके पदों से हटाया गया।

पंच सम्मेलन

राज्यपंचसम्मेलन के अवसर पर बक्शी का तालाब प्रशिक्षिण केन्द्र में सहायक जिला पंचायत अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें पंचायत संगठन से सम्बद्ध विविध समस्यायों पर विचार विनिमय हुआ ।

वित्त

गांव पंचायतों को आलोच्य वर्ष में १,६४,१२,७७५ रुपयों की आमदनी हुई, जबकि पूर्व वर्ष में इनकी आमदनी केवल ८३,०६,४६२ रुपये थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि कर वसूली अभियान इस वर्ष प्रमाण रूप से चलाये गये ।

पंचायतों ने पूर्व वर्ष के ६७,०२,६६२ रुपयों की तुलना में इस वर्ष १,३०,२३,४०८ रुपये व्यय किये। अधिकांश व्यय, जो ६२,२३,३४५ रुपयों का था, राष्ट्र-निर्माण कार्यों पर किया गया।

न्याय पंचायतों की आमदनी और व्यय सन् १९५८–५९ में क्रमशः ६,६१,२२३ रुपयों और ५,३५,४४३ रुपयों का था।

पंचायत करों की वसूली और गांव पंचायतों के लेखों के निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। बकाये भी काफी बड़ी धनराशि को वसूल करने के लिए प्रगाढ़ आन्दोलन चलाये गये। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में वसूल की जाने वाली धनराशि ४ करोड़ ३१ लाख रुपयों की थी। इस आन्दोलन के फलस्वरूप १,३५,४२,००० रुपये वसूल किये गये, जबकि पूर्व वर्ष में ७५,८७,००० रुपये ही एकत्र किये गये थे। आलोच्य वर्ष में १,३२,५८,००० रुपयों के कर निर्धारित किये गये। इस प्रकार पूर्व वर्ष की तुलना में कर निर्धारण में ५० प्रतिशत और कर वसूली में ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन की आमदनी के लिए गांव पंचायतों को ६८,४१,००० रुपयों के सहायतार्थ अनुदान दिये गये।

पंचायत कोष का विकेन्द्रीकरण करने तथा पंचायतों को अपने स्वयं के लेखों में से पये निकालने और जमा करने का अधिकार देने के उद्देश्य से इनको यह अधिकार दिया गया कि वे राजकीय कोषागारों के 'पर्सनल लेजर एकाउन्ट' से अपनी निधियां निकाल लें और पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में अपने खाते खोलें। ६०,०२८ गांव सभाओं ने पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में अपने खाते खोले।

लेखों का निरीक्षण

मुख्य आडिट अधिकारी के कर्मचारियों ने ६,८८४ गांव सभाओं और १,५२२ न्याय पंचायतों के लेखों का आडिट किया। 'पर्सनल लेजर एकाउन्ट' में जमा की गयी ३६,०८,७४६ रुपयों की अज्ञात धनराशि का पता लगाने के लिए विशेष आन्दोलन चलाये गये, फलस्वरूप २५,५०,००७ रुपयों के हिसाब का पता चलाया गया।

महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां और नियमों में संशोधन

पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५ (१) (छ) के अधीन एक विज्ञप्ति जारी कर पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई करने का अधिकार हाकिम परगना (सब डिवीजनल अधिकारियों) को दिया गया, बशर्ते की जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार की कारवाई की गयी है वह तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जाने की तिथि से ३० दिन के भीतर, यदि चाहे तो, जिलाधीश के पास अपील कर सकता है। अधिनियम की धारा ६४ (२) के अन्तर्गत एक विज्ञप्ति जारी कर न्याय पंचायतों को ५०० रुपये मूल्य तक के दीवानी मुकदमें सुनने का अधिकार दिया गया। पूर्व वर्षों में उनका यह अधिकार केवल १०० रुपये तक के मुकदमों की सुनवाई तक सीमित था।

पंचायत राज नियमों में २२९ (क) का एक नया नियम बनाया गया। इसके द्वारा गांव सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह यह समझें कि (बाढ़, सूखा, अकाल, घोर अग्नि अथवा अन्य किसी कारणों से) किसी कर, महसूल अथवा शुल्क की सम्पूण या अंशिक धनराशि वसूल नहीं की जा सकती तो वह निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति से अपेक्षित धनराशि की छूट दे सकती है।

नियम संख्या १७६ (१) में संशोधन करके गांव पंचायत और न्याय पंचायतों के सभी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण की अवस्था ५८ वर्ष निर्धारित की गयी।

एक नया नियम ६१ (क) भी बनाया गया। इसके द्वारा सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में सहायक सरपंच को यह अधिकार दिया गया कि वह उस मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दे जिसकी सुनवाई के लिए नियुक्त 'बेंच' के अध्यक्ष और सभी सदस्य उस मुकदमे की निर्धारित तारीख पर अनुपस्थित हों।

२१—नगर पालिकाएं

नगर पालिकाओं की संख्या और उनका निर्माण

आलोच्य वर्ष में चित्रकूट धाम की केवल एक नई नगरपालिका का निर्माण हुआ और इस प्रकार राज्य में कुल नगरपालिकाओं की संख्या १३५ हो गयी। बिलसी, सण्डी, गंगोह, पौरी, खतौनी, नीमसार मिसरिख और रामनगर (नैनीताल) की नवनिर्मित नगरपालिकाओं में निर्वाचन हुए। बलिया, कोंच, नजीबाबाद, गोरखपुर और सहारनपुर की नगरपालिकाओं में भी निर्वाचन हुए। यह नगरपालिकाएं या तो भंग कर दी गयी थीं या अवक्रांत, और सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत चलाई जा रही थीं। नजीबाबाद नगरपालिका के सदस्यों के निर्वाचन कार्रवाई को और गोरखपुर एवं सहारनपुर नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचनों को चुनौती दी गई और फलस्वरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार इन बोर्डों का निर्माण रोक दिया गया। तत्पश्चात् गोरखपुर एवं सहारनपुर की नगरपालिकाओं के 'स्थगन आदेश' रद्द कर दिये गये और वहां नगरपालिकाओं का निर्माण हुआ। किन्तु नजीबाबाद नगरपालिका का 'स्थगन आदेश' बना रहा और फलस्वरूप बोर्ड को मुअत्तली ६ महीने के लिए और बढ़ा दी गयी। इस वर्ष कोई भी नगरपालिका न तो भंग की गयी और न अवक्रांत। मुरादाबाद की नगरपालिका अवक्रांत रही। राज्य की पंच महानगरियों की नगरपालिकाएं सरकारी प्रशासकों के प्रबन्ध में बनी रहीं।

प्रशासन

शाहजहांपुर, उझानी (बदायूं), धामपुर (बिजनौर), बाराबंकी, गाजियाबाद, पिलखुआं (मेरठ), हापुड़, बरौत (मेरठ), खुरजा (बुलंदशहर), फतेहपुर सीकरी (आगरा), भदोही (वाराणसी) और जौनपुर की नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकार किये गये। सहसवां (बदायूं), सम्भल (मुरादाबाद), हसनपुर (मुरादाबाद), हाथरस (अलीगढ़). और फर्रुखाबाद की नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध भी अविश्वास के प्रस्ताव ले आये गये किन्तु वे या तो जिस बैठक में उपस्थित किये गये उस में कोरम के अभाव में या उन पर विचार करने के लिए बैठक ही न होने के कारण स्वीकृत न हो सके।

नगरपालिका के कर्मचारियों के सेवा की दशाओं को सरकारी कर्मचारियों के समक्ष बनाने के उद्देश्य से नियम आदि बनाने के संबंध में सरकार द्वारा. कदम उठाये गये। अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके अनुसार नगरपालिका के किसी एक कर्मचारी को डेपुटेशन पर किसी अन्य स्थानीय संस्थाओं में भेजा जा सके। ऐसे नियम बनाये गये जिससे कि इस प्रकार के डेपुटेशन सम्भव हो सकें। इसी प्रकार नगरपालिका कर्मचारी आचरण नियमावली का सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अधिक से अधिक निकट ले आने के उद्देश्य से पुनः प्रारूप तैयार किया गया और बाद में इस नियमावली को अन्तिम रूप भी दिया गया। इसकी एक आम शिकायत थी कि नगरपालिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन-कार्रवाई के लिए कोई कार्यविधि नियमावली नहीं थी और इस प्रकार की नियमावली के अभाव में नगरपालिका के कर्मचारियों को अकसर असुविधा का सामना करना पड़ता था। इस शिकायत को दूर करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली नियमावली के आधार पर एक. विस्तृत नियमावली तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

पिछले कुछ समय से राज्य में रिक्शा चलाने की प्रथा समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। भारत सरकार ने यह सुझाव दिया कि इस संबंध में एक कई चरणों वाला कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए और एक निर्दिष्ट अवधि के बाद रिक्शा चलाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। रिक्शा चलाने में होने वाले क्षय को, स्वास्थ्य पर उसके कुप्रभाव को देखते हुए और मानवता के दृष्टिकोण से इस पर विचार करते हुए रिक्शा का प्रचलन जारी रखना न्याय संगत नहीं था। फलस्वरूप राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए माडल बाइलाज़ बनाये गये जिनके अनुसार उन सभी नगरपालिकाओं म, जहां उनके अपने बनाये गये बाईलाज़ के अन्तर्गत रिक्शा चलते थे, १० वर्ष की अवधि के भीतर रिक्शा का चलना समाप्त कर दिया जाना था। साथ ही इस अवधि के लिए भी जिसमें यह धीरे-धीरे समाप्त किया जाना था, उन शर्तों और दशाओं के संबंध में भी उपरोक्त बाईलाज में व्यवस्था की गयी थी।

ऋण और अनुदान आदि

अपनी वित्तीय सीमाओं की चिंता न करते हुए राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं को सुचारु रूप से अपना कार्य चलाते रहने के हेतु अनुदान, ऋण आदि के रूप में अत्यधिक सहायता दी।

सन् १९५८-५९ के राज्य सरकार के बजट में इसके लिए उचित व्यवस्था की गयी। स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों की एक रखरखाव व उनकी मरम्मत आदि के लिए ८१,३५,००० रु० की जो मूल व्यवस्था की गयी थी उसे बाद में संशोधित कर ७९,३५,००० रु० कर दिया गया। इस धनराशि में से २२,४७,००० रु० की एक धनराशि उन नगरपालिकाओं को दी गयी जिन्होंने कि पूर्वगामी वर्ष के अपने सड़क संबंधी अनुदान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार नोटीफाइड एरिया कमेटियों, अन्तरिम जिला परिषदों और टाउन एरिया कमेटियों को भी सड़कों के लिए क्रमशः १,४०,००० रु०, १०,००,००० रु० और ५,४८,००० रु० का अनुदान दिया गया। इनके अतिरिक्त नैनीताल की नगर-पालिका को ३०,००० ० का एक विशेष सड़क-अनुदान दिया गया। वाराणसी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को भी ३३,००० रु० का एक विशेष सड़क अनुदान दिया गया। चपरौली और जसराना की टाउन एरिया कमेटियों को भी क्रमशः ३,००० रु० और ५,००० रु० का विशेष सड़क अनुदान दिया गया। २५ अन्तरिम जिला परिषदों और ८४ नगरपालिकाओं तो भी क्रमशः १०,००,००० रु० के और २९,२९,००० रु० के विशेष सड़क-अनुदान दिये गये।

पुलों के निर्माण के लिए हरद्वार नगरपालिका को २,००,००० रु० की एक धनराशि दी गयी।

गाजीपुर, आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी और नवाबगंज (बाराबंकी) की नगरपालिकाओं को उनकी आय में हुए घाटे की पूर्ति के लिए ५२,२२८ रु० दिये गये। पुरानी सड़कों के रखरखाव के लिए कासगंज, सहारनपुर और नैनीताल की नगरपालिकाओं को ४,४१२ रु० की स्वीकृति दी गयी। पर्यटकों के यातायात को उत्साहित करने के लिए चित्रकूट धाम की नगरपालिका को विकास कार्यों के हेतु ५०,००० रु० का अनुदान दिया गया। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कर अधिनियम के पारित हो जाने के फलस्वरूप ५१ नगरपालिकाओं ८ कैन्टोनमेंट बोर्डों और ३ नोटीफाइड ऐरिया कमेटियों की आय में हुई क्षति की पूर्ति के लिए २,१३,७८० रु० दिये गये। कुछ नये कानूनों के बनने से, गांव पंचायतों को छोड़कर अन्य स्थानीय निकायों की आय में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए जून १९५७, सितम्बर १९५७ और दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले तिमाहियों में क्रमशः १,०३,४०७ रु०, ७५,९९९ रु० और ६६,३१४ रु० दिये गये।

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले मेहतरों की दशा सुधारने के लिए

देने की स्वीकृति दी। स्थानीय निकायों को मेहतरों के लिए हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों आदि की खरीद के लिए इस रकम की स्वीकृति दी गयी। ३४ नगरपालिकाओं, २१ टाउन एरिया कमेटियों, ११ नोटीफाइड एरिया कमेटियों और ३ अन्तरिम जिला परिषदों को क्रमशः १,११,८९० रु०, ४,३३५ रु०, ८,७२५ रु० और १,२५० रु० के आर्थिक अनुदान दिये गये।

उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अनेक नगरपालिकाओं को ऋण भी दिये।

लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में विस्थापितों के लिए दूकानें बनवाने के हेतु लखनऊ की नगरपालिका को १,७५,००० रु० का ऋण दिया गया। नखास के बाजार के निर्माण के लिए भी २,००,००० रु० का एक ऋण दिया गया।

मुरादाबाद की नगरपालिका को अपने पिछले निर्वाचित बोर्ड के पुराने दायित्वों को चुकाने के लिए १,००,००० रु० का ऋण दिया गया।

विस्थापितों के लिए दूकानों का निर्माण करने के हेतु काशीपुर की नगरपालिका को ८०,००० रु० का एक ऋण स्वीकृत किया गया।

इलाहाबाद की नगरपालिका को कमरे बनवाने के, और नियम की आवश्यकतानुसार पालिका की इमारत में परिवर्तन करने के हेतु २५,००० ० का ऋण दिया।

निगम की इमारत के निर्माण के लिए वाराणसी की नगरपालिका को २०,००,००० रु० की स्वीकृत ऋण में से ७,००,००० रु० की दूसरी किश्त दी गयी।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक, १९५७ के विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जनवरी, १९५९ में अधिनियम बन गया।

२२—टाउन एरिया कमेटियां

नयी टाउन एरिया कमेटियों की स्थापना

आलोच्य वर्ष में हमीरपुर, कानपुर, देवरिया, इलाहाबाद और मेरठ जिलों में क्रमशः सरोला, अकबरपुर, रामकोला, भरवारी और खरभंडा नामक पांच नयी टाउन एरिया कमेटियों की स्थापना की गयी। टिहरी-गढ़वाल जिला स्थित उत्तर काशी के टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया में परिवर्तित किया गया और चित्रकूट के टाउन एरिया को नगर पालिका कर दिया गया।

वर्ष के अन्त में राज्य की टाउन एरिया कमेटियों की संख्या कुल २७६ थी।

प्रशासन

लगभग सभी टाउन एरिया में अपना अपना कार्यों का निर्वाह करने के लिए समितियों की बैठकें आयोजित की गयी और इन कमेटियों द्वारा विभिन्न शाखाओं को सौंपे गये कार्यों का निरीक्षण सदस्यों ने किया। सामान्यतया इन स्थानीय निकायों का काम सुचारु रीति से चलता रहा, परन्तु कुछ टाउन एरिया में दलबन्दी के कारण कार्यों में अड़चनों का अनुभव किया गया। ऐसे भी मामले हुए जिनमें अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किये गये। फलस्वरूप इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। आलोच्य वर्ष में किसी भी टाउन एरिया का संक्रमण नहीं किया गया।

नियमों का संशोधन और विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धाराओं ५४–ए और १८०-ए की व्यवस्थाओं को टाउन एरिया में भी लागू करने सम्बन्धी विज्ञप्तियों को जारी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। आलोच्य वर्ष में टाउन एरिया समितियों के कर्मचारियों के आचरण पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित नियम बनाये गये। टाउन एरिया समितियों के कर्मचारियों के लिए दंड देने और उनके द्वारा अपील करने संबंधी संशोधित नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

वित्त

सामान्य रूप से टाउन एरिया कमेटियों की वित्तीय स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं थी। अधिकांश समितियों की आय का साधन जायदाद और हैसियत का कर था। उत्तर प्रदेश जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के पारित होने के फलस्वरूप उस तिथि से, जिससे कि उपर्युक्त संशोधन लागू किया गया, टाउन एरिया के निवासियों से यह कर वसूल करने का जिला बोर्ड के एकसां अधिकार समाप्त हो गये। अभी तक टाउन एरिया समितियां इस कर–वसूली का एक भाग जिला बोर्डों को देती थीं, वह उन्होंने इसको देना बन्द कर दिया। सरकार ने अनेक टाउन एरिया कमेटियों को टोल टैक्स (पथ-शुल्क) लगाने की अनुमति भी प्रदान की, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। सरकार ने सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए इन स्थानीय निकायों को ५,४८,००० रुपयों के सहायक अनुदान भी स्वीकृत किये। कुछ कमेटियों को मेहतरों के लिए हाथ से चलाये जाने वाली गाड़ियों की खरीद के लिए अनुदान भी स्वीकृत किये क्योंकि इस संबंध में सामान्य नीति यह है कि मेहतरों को अपने सिर पर टोकरियों में मैला–कूड़ा करकट आदि भरकर लादने न दिया जाय।

जिन अनेक टाउन एरिया में मेले लगते हैं, उनकी कमेटियों ने इनका प्रबन्ध संतोषजनक रीति से किया।

दोहरीघाट (आजमगढ़) की टाउन एरिया कमेटी ने कार्तिकी पूर्णिमा के वार्षिक मेले के अवकाश कर सफाई का प्रबन्ध किया तथा दवाइयों के लिए अन्य सुविधाएं भी सुलभ करायीं।

बड़हलगंज और गोला की टाउन एरिया समितियों ने भी पूर्व वर्षों की भांति कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर संतोषजनक प्रबन्ध किये।

शिवपुर (वाराणसी) की टाउन एरिया समिति ने पंचक्रोशी तथा अन्य मेलों के संबंध में रोशनी तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध किया। इन मेलों को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक आये। लतीफशाह के मेले के सिलसिले में चकिया की टाउन एरिया कमेटी ने रोशनी और सफाई का प्रबन्ध किया।

टनकपुर की टाउन एरिया समिति ने नैनीताल जिले में प्रतिवर्ष लगने वाले पुण्यगिरी मेले के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध किये।

२३—नोटिफाइड एरिया

संगठन

नोटीफाइड एरिया कमेटियों के सामान्य निर्वाचन १९५८ के प्रारम्भ में पूरे किये गये। इस निर्वाचन की तैयारियां १९५७ के अन्तिम चरण में प्रारम्भ की गयी थीं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष, नव-निर्वाचित समितियों के कार्य का पहला वर्ष था। चारबाग-

आलमबाग (लखनऊ), मुरादाबाद और झांसीकी रेलवे सैटिलमेंट नोटीफाइड एरिया कमेटियों के संबंध में नामांकन और निर्वाचन के बाद मुगल सराय और पिपरी में दो नयी नोटीफाइड एरिया का सृजन किया गया। ये दोनों मनोनीत समितियां थीं। पहली समिति तो रेलवे सेटिलमेंट कमेटी की थी, इसलिए इसमें सदस्यों को मनोनीत करना पड़ा। दूसरी समिति में रिहन्द बांध के कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए सदस्यों को मनोनीत करना पड़ा। इन दो नोटीफाइड एरिया के सृजन के अलावा श्रीनगर (गढ़वाल) और उत्तर काशी (टिंहरी गढ़वाल) के टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया में परिवर्तित किया गया। इन परिवर्तित नोटीफाइड एरिया में चुनाव किये गये। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में नोटीफाइड एरिया की संख्या बढ़कर २९ हो गयी। कंडला (मुजफ्फरनगर) और टिहरी, नरेन्द्रनगर और देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया का स्तर ऊंचा किया गया।

प्रशासन

आलोच्य वर्ष में कतिपय अपवादों को छोड़कर नोटीफाइड एरिया का प्रशासन सामान्यतः संतोषजनक था। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती रहीं और इन बैठकों में उपस्थित सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर संतोषजनक थी। समितियों ने आडिट रिपोर्ट के परिचालन में तत्परता दिखाई। इस संबंध में कंडला (मुजफ्फरनगर) और ककराला (बदायूं) के नोटीफाइड एरिया का विशेषरूप से उल्लेख किया जा सकता है। सामान्यतः नोटीफाइड एरिया समितियों ने अपने दायित्वों के निर्वाह में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की।

अवक्रमण

कुछ नोटीफाइड एरिया कमेटियों के लेखे संतोषजनक नहीं थे। इनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के कारण अनेक लेखों की जांच-पड़ताल की गयी। निरीक्षण से मालूम हुआ कि कुछ मामलों में नोटीफाइड एरिया की धनराशियों का दुरुपयोग किया गया। उचित निरीक्षण के उपरान्त अहरौरा (मिर्जापुर) की नोटीफाइड एरिया कमेटी के अवक्रमण में की कार्यवाही का सूत्रपात किया गया और झांसी जिले में एक दूसरी नोटीफाइड एरिया समिति के अध्यक्ष के लिए कानूनी कार्रवाई की गयी।

महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां और नियमों के संशोधन

एक विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की, जैसा कि वह नोटीफाइड एरिया कमेटियों पर लागू है, धारा ८ (१) (एम) के अधीन नोटीफाइड एरिया कोष से ५०० रुपयों तक के व्यय को उचित करार देने का अधिकार डिवीजनों के आयुक्तों को दिया गया।

एक दूसरी विज्ञप्ति द्वारा नोटीफाइड एरिया कमेटियों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गयी।

इन समितियों के कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था। सेवा को समाप्त अपील, दंड और जांच करने संबंधी नियमों को अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा था।

नोटीफाइड एरिया कमेटियों और सरकार के बीच पत्र-व्यवहार किस प्रकार किया जाय, इस बारे में भी नियमों का संशोधन किया गया।

सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की, जैसा कि वह नोटीफाइड एरिया कमेटियों पर लागू है, धारा ३३८ (१) (बी) के अधीन कंडला (मुजफ्फरनगर) नोटीफाइड एरिया के बारे में पथ-शुल्क (टाल) के नियमों के स्वीकृति प्रदान की।

सरकारी अनुदान

आलोच्य वर्ष में सरकार ने प्रत्येक नोटीफाइड एरिया को ५,००० रुपयों का सड़क अनुदान स्वीकृत किया। इसक अलावा उत्तर काशी (गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया समिति को केदारघाट में गंगा पर एक बांध बनाने क लिए ११,१०० रुपय की धनराशि स्वीकृत की गयी।

वित्त

कुछ नोटीफाइड एरिया समितियों को छोड़कर अन्य समितियों की वित्तीय स्थिति को बहुत अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं किया जा सकता। कांधला (मुजफ्फरनगर) की केवल एक नोटीफाइड एरिया में पथ शुल्क (टोल टैक्स) लगाये जाने के फलस्वरूप आय बढ़ कर १,००,००० रुपये वार्षिक तक पहुंच गयी। नोटीफाइड एरिया कमेटियों की गिरी हुई आर्थिक दशा का कारण यह था कि करों का बकाया बहुत हो गया था और उनकी वसूली भी नहीं की जा सकी थी। अनेक कमेटियों को यह हिदायत दी गयी कि वसूली में वे कड़ाई बरतें और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारें।

२४—जिला बोर्ड (अन्तरिम) जिला परिषद्

आलोच्य वर्ष में राज्य के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ जब कि जिला बोर्डों के, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों का सृजन किया गया। पिछले कुछ समय से जिला बोर्डों के पुनस्संगठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। जिला परिषदों की स्थापना के भूमिका के रूप में आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ पारित किया गया। मई सन् १९५८ में अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना अल्प अवधि के लिए की गयी। यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होती थी। भूतपूर्व जिला बोर्डों और जिला नियोजन समिति के, जिसे कि अस्थायी आधार पर नियोजन और विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, कार्यों को अपने में ही समन्वित कर अन्तरिम जिला परिषदों ने अपने अस्तित्व के अल्प अवधि में ही उत्तर प्रदेश के जिलों में आर्थिक और सामाजिक नियोजन तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित मामलों का एक समन्वित प्रशासन को कार्यान्वित किया।

प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषदों का गठन भूतपूर्व जिला नियोजन समिति के सभी सदस्यों को शामिल कर के और भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्यों और सभापति में से ५ सदस्य निर्वाचित कर के किया गया। वाराणसी जिले में भदोही के उप जिला बोर्ड के सदस्यों और सभापति में से भी २ सदस्यों को और निर्वाचित किया गया। अन्तरिम जिला परिषदों की जब स्थापना की गयी उस समय रामपुर और टिहरी-गढ़वाल में जिला बोर्ड न थे और मिर्जापुर का जिला बोर्ड अवक्रान्त था, इसलिए सरकार ने इन जिलों की परिषदों में प्रत्येक में पांच पांच व्यक्ति मनोनीत कर दिये।

वित्तीय सहायता

अपनी कठिन वित्तीय स्थिति की परवाह न करते हुए राज्य सरकार ने परिषदों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा। निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की।

सहायतार्थ-अनुदान

१—सड़कों और डाक बंगलों की सुरक्षा के लिए अलमोड़ा, नैनीताल

२—राज्य सरकार द्वारा जिला बोर्डों को पुर्नहस्तांतरित कच्ची सड़कों क रखरखाव के लिए आवर्त्तक अनुदान ..	९,७१,८०० रु०
३—कतिपय जिला परिषदों को अनुबन्धों तथा अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए आवर्त्तक अनुदान	६,५५,४०० ,,
४—कतिपय कानूनों के लागू होने पर जुर्माने की रकम में होने वाली हानि की पूर्ति के लिए अनुदान	३,५०,००० ,,
५—कांजी हाउस के जानवरों पर किये गये जुर्माने और उनकी बिक्री से होने वाली रकम में घाटे के बराबर अनुदान	२०,५०,००० ,,
६—अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा व्यवस्थित नाव-घाटों की आय के बराबर अनुदान	१४,४०,००० ,,
७—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई के भत्तों के व्यय को पूरा करने के हेतु अनुदान	९०,००,००० ,,
८—सेस और स्थानीय करों से होने वाली आय के घाटे को पूरा करने हेतु अनुदान	१,३६,००,००० ,,
९—जमींदारी विनाश के बाद अन्तरिम जिला परिषदों को अस्थायी रूप से सौंपे गये हाट, बाजार व मेलों के प्रबंध के लिए अनुदान ..	१०,००० ,,

विशेष अनुदान

१०—पहाड़ी जिला परिषदों को विशेष अनावर्तक अनुदान ..	७,५०,००० ,,
११—रामपुर और टिहरी गढ़वाल के अन्तरिम जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान	२,६५,००० ,,

अध्याय ७

सार्वजनिक राजस्व और वित्त

२५—केन्द्रीय राजस्व

सन् १९५८–५९के वर्ष में उत्तर प्रदेश में जिन व्यक्तियों पर आय कर लगाया गया उनकी कुल संख्या ८७,९०५ थी। कुल वसूली (मृत्युकर, सम्पत्ति–कर, व्यय कर और उपहार कर को छोड़कर) ६,८६,१३,२७१ रु० की हुई जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

			रु०
निगम–कर	..	..	८५,८४,७७७
आय-कर	..	..	३,८५,८४,४६४
सुपर टेक्स	..	..	९०,२०,५६३
सरचार्ज	..	..	३०,६०,२८९
अतिरिक्त आयकर (–)	..	..	६६,३९८
पूंजी लाभ-कर	..	..	२,८२,५८३
धारा १८–क के अधीन वसूली	..	..	७५,५३,०४७
विविध	..	..	१५,९३,९४६

अन्य वसूलियों का विवरण, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इस प्रकार था—

			रु०
मृत्यु-कर	..	..	९,१६,९०२
सम्पत्ति–कर	..	..	२५,५२,२०७
व्यय–कर	..	..	२,०५,९३२
उपहार–कर	..	..	३,८८,५१५

२६—राज्य का राजस्व

सन् १९५७–५८ के वास्तविक आंकड़े

मूल बजट में अनुमानित राजस्व आय और राजस्व व्यय क्रमशः ९,६६६ लाख रु० और १०,८३३ लाख रु० था। इस प्रकार बजट १,१६७ लाख रु० घाटे का था। वर्ष की वास्तविक आय ८२८ लाख रु० की वृद्धि होने के फलस्वरूप १०,४९४ लाख रु० हो गयी और व्यय में ८९१ लाख रु० की कमी होने से व्यय ९,९४२ लाख रु० रह गया। इस प्रकार बजट ५५२ लाख मुनाफे का रहा।

राजस्व प्राप्तियां—मुख्य रूप से द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप और वास्तविक वसूली के आधार पर भी मूल तखमीनों की, जो कि उस समय भारत सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किये गये थे, तुलना में केन्द्रीय करों के राज्य सरकार के अंश में ६५० लाख रु० की वृद्धि हुई। इसमें निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय–करों से २४९ लाख की और केन्द्रीय आबकारी शुल्क के अन्तर्गत ३११ लाख की वृद्धि शामिल है तथा ९० लाख रु० की वह धनराशि भी है जो सबसे पहली बार रेल भाड़ा कर में से इस राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त हुई। अन्य करों और शुल्कों की मद में १८६ लाख रु० की वृद्धि मुख्यतः गन्ना सेस के कुछ बकायों की वसूली, मनोरंजन और बाजी कर के दरों में वृद्धि और मोटर स्पिरिट की बिक्री पर कर के फलस्वरूप हुई। 'प्रकीर्ण' विभागों की प्राप्तियों में १०८ लाख की वृद्धि मुख्यतः राजकीय बस सर्विस में अधिक आय होने के फलस्वरूप हुई।

राज्य की आबकारी प्राप्तियों में भी ६५ लाख रु० का सुधार हुआ । इमारती लकड़ी और विविध वनोपज की बिक्री में ७५लाख रु० अधिक प्राप्त हुये । अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक आर्थिक सहायता मिलने के फलस्वरूप 'असाधारण प्राप्तियों' के अन्तर्गत ६८ लाख रु० की मुख्यरूप से वृद्धि हुई । विद्युत् योजनाओं पर भी ६४ लाख रुपयों की अधिक प्राप्ति हुई । बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के उपायों पर काफी व्यय होने के फलस्वरूप ५८ लाख रु० की एक धनराशि दुर्भिक्ष सहायता कोष से राजस्व लेखे में संक्रमित किया गया । मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत भी ५० लाख रु० की और प्राप्ति हुई । अदालती और गैर अदालती मुद्रांकों की बिक्री भी ३७ लाख रु० अधिक की रही और अभिलेखों के निबंधन में भी २७ लाख रु० और प्राप्त हुये । इसके विपरीत बाढ़ और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मालगुजारी में छूट दिये जाने और उसकी वसूली स्थगित किये जाने के फलस्वरूप मालगुजारी की वसूली में १६४ लाख रु० की कमी हुई । सिंचाई की शुद्ध प्राप्तियों में भी १०१ लाख की कमी हुई । विकास योजनाओं पर व्यय की प्रगति और आर्थिक सहायता की रूपरेखा के आधार पर भारत सरकार से इन योजनाओं के लिए कम आर्थिक सहायता मिलने के परिणामस्वरूप मुख्यतः शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और कृषि विभाग की प्राप्तियों में क्रमशः ८० लाख, ४३ लाख और ४० लाख की कमी हुई तथा विविध प्राप्तियों में भी ६२ लाख रु० की कमी हुई । राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में ५६ लाख रु० की धनराशि कम प्राप्त हुई । अन्य उल्लेखनीय कमियां पशु-चिकित्सा, सहकारिता और उद्योग के अन्तर्गत क्रमशः १५ लाख, २० लाख और १३ लाख रु० की हुई ।

राजस्व व्यय--नियोजन और सहकारिता के अन्तर्गत अकेले सबसे बड़ी कमी २०७ लाख रु० की हुई, जोकि मुख्यतः नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के खोलने के और उन्हें सघन विकास खंडों में परिवर्तित करने के कार्य-क्रम के, भारत सरकार के संकेत पर, एक-एक कर चालू किये जाने के फलस्वरूप और कुछ दूर न की जाने वाली कठिनाइयों के कारण प्रगति अवरुद्ध हो जाने से हुई । मूल बजट में प्रतिकर बान्डों पर ब्याज की देय खंडों और इन बांडों के मूलधन के रकम की पुनर्अदायगी के लिए जिस धनराशि की व्यवस्था की गयी थी उसमें से १६८ लाख रु० का उपभोग न किया जा सका क्योंकि एक तो प्रतिकर बाण्ड कम संख्या में जारी किये गये और दूसरे छोटी रकमों के बाण्ड होल्डरों ने वित्तीय वर्ष के भीतर ही, ब्याज की उस रकम को जोकि उसी वर्ष देय हो गयी थी नहीं लिया । इसी प्रकार पुनर्वास अनुदान बाण्ड भी केवल ४५२ लाख रु० के ही जारी किये गये जबकि मूल तखमीना २,००० लाख रु० का था और इन बाण्डों के मूलधन की पुनर्अदायगी में १२४ लाख रु० का कम उपयोग हुआ । सन् १६५६-५७ में वास्तव में जो ऋण प्राप्त हुये उनके आधार पर भारत सरकार के ऋणों पर ऋण सम्बन्धी व्ययों में ८७ लाख रु० की कमी हुई । सन् १६५७-५८ के वर्ष में कोई सार्वजनिक ऋण नहीं उगाहा गया और मूल बजट में नये ऋण पर ब्याज देने के लिए १४ लाख रु० की जो व्यवस्था की गयी थी उसका उपयोग न किया जा सका । कुछ योजनाओं के देर से आरम्भ होने से और यह तथ्य की कुछ अन्य योजनायें वर्ष के आरम्भ से ही पूरी-पूरी तौर से कार्यान्वित न की जा सकीं , शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, समाज कल्याण, उद्योग और श्रम विभागों के कुल मिलाकर व्यय में लगभग ३०८ लाख रु० की कमी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी । जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के अधीन वार्षिक वृत्तियों के सम्बन्ध में कम दावे प्रस्तुत किये जाने के कारण मालगुजारी के व्यय में ४५ लाख रु० की कमी हुई । वृद्धावस्था की पेंशन योजना की व्यवस्थाओं का पूरा-पूरा उपभोग न किया जा सका और इस प्रकार २४ लाख रु० की बचत हुई तथा 'प्रकीर्ण व्यय' मद के अन्तर्गत भी खर्च में ३१ लाख रु० की कमी हुई । दूसरी ओर बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के उपायों पर भारी खर्च होने के फलस्वरूप बाढ़ सहायता के अन्तर्गत ८६ लाख रु० अधिक खर्च हुए । परिगणित और पिछड़ी जातियों के सुधार और उत्थान पर होने वाले व्यय में २६ लाख रु० की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का कारण

धनराशि देनी पड़ी क्योंकि परिगणित जाति के छात्रों की फीस माफ होने से शिक्षा संस्थाओं को जो घाटा होता था उसकी पूर्ति सरकार करती थी। सरकारी रोडवेज की बसों का क्षेत्र बढ़ जाने से और पेट्रोल आदि के मूल्य में भी वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप यातायात विभाग के खर्च में भी ३१ लाख रु० की वृद्धि हुई।

पूंजीगत व्यय--पूंजीगत व्यय ३,३९५ रु० ही हुआ जो कि ३,८६८ लाख रु० के मूल तखमीने से ४७३ लाख रु० कम था। 'नागरिक कार्यों' के अन्तर्गत व्यय में ३२८ लाख रु० की कमी हुई क्योंकि सामानों के मिलने में कठिनाई रही और नये कार्यों की प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर करने में समय लगा। चूंकि आडिट द्वारा पूंजीगत प्राप्तियों से निक्षेप निधि के विनियोजन पर कुछ आपत्तियां की गयीं थीं अतएव केन्द्रीय ऋण की एक मुश्त भुगतान के निमित्त मूल तखमीने में निक्षेप निधि के लिए २०९ लाख रु० की जो व्यवस्था की गयी थी उसका उपयोग नहीं हो सका। विदेशी विनिमय की कठिनाई और करारों को अन्तिम रूप देने में प्रज्जनित विलम्ब ही मुख्यतः राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी के विस्तार के कार्यक्रम में प्रगति न होने के लिए उत्तरदायी थी जिसके फलस्वरूप ६५ लाख रु० की बचत हुई। साथ ही मूल तखमीने में उत्तर प्रदेश वित्त निगम की हिस्से की पूंजी में लगाने के लिए जिस २५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी उसका भी उपभोग न हो सका, क्योंकि निगम ने अपने हिस्से नहीं जारी किये और सहकारी ऋण व्यवस्था के विस्तार तथा पुनस्संगठन की योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों और संघ के हिस्सों में, कतिपय सीमाओं वश कम धन लगाया जा सका। इन सब कारणों वश औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय में कुल १४१ लाख रु० की कमी हुई। बिजली योजनाओं का 'पूंजीगत लागत' भी ५१ लाख रु० कम रहा। दूसरी ओर सिंचाई कार्यों के पूंजीगत व्यय में १०० लाख रु० अधिक व्यय हुये और कृषि सुधार एवं शोध योजनाओं पर १७४ लाख रु० अधिक खर्च हुआ।

सन् १९५८-५९ का बजट

सन् १९५८-५९ के बजट में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का तखमीना क्रमशः १०,८२३ लाख रु० और ११,२७७ लाख रु० था। इस प्रकार राजस्व में ४५४ लाख रु० का घाटा था।

राजस्व प्राप्तियां--सन् १९५७-५८ की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में (राजस्व संरक्षित कोष से संक्रमण को छोड़ कर) प्राप्तियों में ८३७ लाख की वृद्धि होने की आशा थी।

केन्द्रीय आबकारी शुल्क में इस सरकार के हिस्से के अनुदान में सूती कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री-कर के स्थान पर लगाया गया अतिरिक्त केन्द्रीय आबकारी कर का अंश भी शामिल था। मुख्यतः इससे ६८५ लाख रु० की वृद्धि हुई। आय कर की प्राप्तियों में राज्य सरकार के अंश में भी ६० लाख के वृद्धि की आशा की गयी थी, और कृषि आय कर में भी ३० लाख रु० की वृद्धि की आशा थी। रेल भाड़ा पर लगाये गये कर में राज्य सरकार के अंश में ८७ लाख की वृद्धि दिखाई दी क्योंकि यह कर सन् ५८-५९ के पूरे वर्ष में वसूल होना था। इस आशा से कि यह वर्ष अपेक्षाकृत कृषि आपदाओं से मुक्त रहेगा माल-गुजारी के अनुदान में ९८ लाख रु० अधिक रखा गया। साथ ही इस आशा में कि सिंचाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सिंचाई के शुद्ध प्राप्तियों के अनुदान में ६० लाख रु० अधिक रखा गया। नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्राप्तियों के अनुदान में १६० लाख की वृद्धि दिखाई दी। इसका मुख्य कारण संशोधित लेखा व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी 'भवन एवं सड़क परियोजनाओं' के निमित्त प्राप्त केन्द्रीय सहायता अब इसी मद में ली जायगी। प्रकीर्ण प्राप्तियों में ५२ लाख रु० की वृद्धि हुई। भारत सरकार से ५४ लाख रु० की एक निधि राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के लिए आर्थिक सहायता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में मिलने वाली थी। भारत सरकार से कतिपय बकायों की वसूली की आशा थी जिससे मुख्यतः कृषि विभाग की प्राप्तियों में २६ लाख रु० की वृद्धि हुई। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की प्राप्तियों में भी ३३ लाख रु० की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण ग्रामीण जल व्यवस्था और सप्लाई की योजनाओं के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहायता

की आशा थी। विद्युत् योजनाओं की शुद्ध प्राप्तियों में भी २० लाख रु० की वृद्धि की आशा थी। दूसरी ओर कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय आबकारी शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप 'अन्य करों और शुल्कों' से अनुमानित प्राप्तियों में ५०३ लाख रु० की कमी का अनुमान था। शिक्षा विभाग की प्राप्तियों में भी २२ लाख रु० की कमी की आशा थी।

राजस्व व्यय—सन् १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष के मूल तखमीने की तुलना में राजस्व व्यय में ४४४ लाख की वृद्धि का अनुमान था। इस वृद्धि का कारण अंशतः वर्तमान सेवाओं के व्यय में सामान्य वृद्धि और अंशतः अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते गत वर्ष के दौरान में स्वीकार किये गये जिसका भुगतान वर्ष भर चलता रहा। साथ ही वर्तमान योजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार भी इसका एक कारण था। नयी योजनाओं और व्यय की मदों, योजना सम्बन्धी और गैर योजना सम्बन्धी के लिए कुल लगभग १७५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी। इससे भी व्यय के तखमीने में वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के सम्पूर्ण तखमीने में सन् १९५८–५९ की वार्षिक योजना में शामिल की गयी विकास योजनाओं के व्यय के लिए कुल मिलाकर २,००० लाख रु० की व्यवस्था भी सम्मिलित थी।

तखमीने में सबसे बड़ी वृद्धि 'नागरिक निर्माण कार्यों' के अन्तर्गत थी। इसका कारण मुख्यतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी भवन एवं सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम को ऋण के खाते में स्थान देने के निमित्त राजस्व बजट के खर्च में एक नये उपशीर्षक का खोला जाना था। पहले यह शीर्षक ८१ में दिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण नवनिर्मित पक्की तथा कच्ची सड़कों के रखरखाव और बाढ़ द्वारा क्षति सड़कों के विशेष मरम्मत के लिए अतिरिक्त रकम की व्यवस्था थी। शिक्षा के अन्तर्गत तखमीने में ९२ लाख रु० की वृद्धि हुई जिसमें से ८२ लाख रु० की वृद्धि आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के खर्च में सामान्य वृद्धि और उन योजनाओं को जारी रखने के सम्बन्ध में थी। शेष खर्च की नयी मदों के कारण थी। संभावित आवश्यकताओं के आधार पर प्रकीर्ण व्यय का अनुमान ६२ लाख रु० अधिक रखा गया। इतनी ही वृद्धि यातायात विभाग के व्यय में होने की आशा थी जिसका मुख्य कारण कुछ नये मार्गों पर रोडवेज का प्रचलन और नयी डिजल बसों के घिस-घिसाव के लिए अधिक धन की व्यवस्था थी। स्वीकृत विकास कार्यक्रम के आधार पर जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत व्यय में लगभग ५३ लाख की वृद्धि का अनुमान था। 'परिगणित और पिछड़े वर्गों के सुधार और उत्थान' के अन्तर्गत व्यय ५१ लाख रु० अधिक रखा गया जिसका आधार अंशतः विकास योजनाओं की बढ़ी हुई आवश्यकता और अंशतः भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण की योजना के लिए स्वीकृत कार्यक्रम था। 'कृषि विकास इंजीनियरिंग और शोध' के अन्तर्गत व्यय में कमी करने वाली धनराशियों में ३३ लाख की कमी का अनुमान किया गया जिसका मुख्य कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति आदि द्वारा उन योजनाओं के लिए कम अंशदान प्राप्त होने की आशा थी जिनका व्यय भार राज्य सरकार और यह संस्थाएं संयुक्त रूप से वहन करती हैं। इसके साथ ही साथ आयोजना की योजनाओं पर अधिक व्यय के अनुमान के फलस्वरूप ४८ लाख रु० की वृद्धि हुई। पुनर्वास अनुदान बांडों के अधिक भुगतान की संभावना के कारण 'ऋण में कमी या परिसमाप्त' के अन्तर्गत व्यय में ४७ लाख रु० की वृद्धि का अनुमान था। उत्तर प्रदेश सड़क निधि में सन् १९५६–५७ और ५७–५८ के वित्तीय वर्षों में कम धन एकत्र हुआ जिसकी पूर्ति के उद्देश्य से मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत तखमीने में ३० लाख की वृद्धि हुई। स्थानीय विकास कार्यों पर अधिक धन की व्यवस्था के फलस्वरूप सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय प्रसार सेवा और स्थानीय विकास कार्य शीर्षक के अन्तर्गत २९ लाख की वृद्धि हुई। इस वर्ष के लिए स्वीकृत योजना कार्यक्रम के आधार पर इंजीनियरिंग संस्थाओं के लिए ३६ लाख कम की व्यवस्था की गयी। 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत भी तखमीने में ३४ लाख रु० कम रखा गया।

सन् १९५८-५९ का बजट

संशोधित तखमीनों में राजस्व के १०,८२३ लाख से बढ़कर ११,०३१ लाख रु० हो जाने की आशा थी और इसी प्रकार व्यय के ११,५७७ लाख से घट कर ११,०६८ लाख होने का अनुमान था। इस प्रकार राजस्व में पहले जो ४५४ लाख रु० के घाटे की अनुमान था वह घाटा केवल ३७ लाख रु० रह गया जिसे कि सुरक्षित राजस्व कोष से समान धनराशि संक्रमित कर पूर किये जाने का प्रस्ताव था।

राजस्व प्राप्तियां--केन्द्रीय आबकारी शुल्क में राज्य का संभावित अंश ७६ लाख रु० अधिक था। राज्य की आबकारी प्राप्तियां और मुद्रांक के अन्तर्गत प्राप्तियों में भी क्रमशः २७ लाख और २५ लाख रु० के वृद्धि की संभावना थी। इमारती लकड़ी ईंधन, बांस और अन्य फुटकर वनोपज की कुल मिलाकर बिक्री में ३३ लाख रु० अधिक प्राप्त होने की आशा थी क्योंकि एक तो इन वस्तुओं की सप्लाई बढ़ गयी थी और दूसरे आम नीलाम द्वारा इनके अच्छे दाम मिलते थे। मोटर गाड़ियों के करों से प्राप्तियों के संशोधित तखमीने में ३२ लाख रु० की वृद्धि का अनुमान था। इसका कारण मुख्यतः यह था कि एक तो मोटर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो गयी थी और दूसरे करों के बकाया की वसूली की जा सकती थी। अन्य करों और शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों में भी २२४ लाख की वृद्धि का अनुमान था। इसके कारण मुख्यतः यह थे कि बिक्री कर के पिछले बकायों की वसूली हो सकी, अन्तर राज्यीय बिक्री कर से अधिक प्राप्ति हुई और कर बचाने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये। प्रकीर्ण विभाग की प्राप्तियों में भी ९४ लाख रु० की वृद्धि होने की संभावना थी क्योंकि राजकीय बस सर्विस से उस के मार्गों के लम्बाई बढ़ जाने और यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिक आय की आशा थी। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्यों पर अधिक व्यय हो जाने के फलस्वरूप बाढ़ सहायता निधि से सुरक्षित कोष में ५३ लाख रु० की एक धनराशि के संक्रमित किये जाने की संभावना थी। इस लेखा में भारतसरकार से भी ३२ लाख रु० के एक अतिरिक्त अनुदान की आशा थी। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर में सन् १९५७ में जिस वृद्धि की स्वीकृति दी गयी थी उसके फलस्वरूप बढ़े रकम के दो तिहाई भाग का वर्ष के दौरान में समान आधार पर केन्द्रीय सरकार देने को तैयार हो गयी थी और इस कारण से केन्द्रीय सरकार के अनुदान के संशोधित तखमीने में ६४ लाख की वृद्धि की गयी। दूसरी ओर मालगुजारी की वसूली में २६१ लाख की कमी होने की आशा मुख्यतः इस कारण से थी कि बाढ़ और सूखा से पीड़ित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मालगुजारी में छूट दी गयी या उसकी वसूली स्थगित कर दी गयी। इस वर्ष कुछ पुराने बकायों के वसूल होने की आशा न थी और इस कारण से कृषि के अन्तर्गत प्राप्तियों में ३६ लाख रु० की कमी हुई। नागरिक प्राप्तियों के अन्तर्गत भी ८९ लाख रु० की कमी होने की संभावना थी क्योंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं पर होने वाले व्यय की प्रगति के आधार पर भारत सरकार से कम अनुदान मिलने की आशा थी। विद्युत् प्राप्तियों में भी २५ लाख रु० की कमी का संकेत था। साथ ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के लिए आर्थिक सहायता के रूप में और स्थानीय विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में भारत सरकार से ४९ लाख रु० कम प्राप्त होने की आशा थी।

राजस्व व्यय--द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपने दिये गये ऋणों के ब्याज का दरों में कमी की। इससे राज्य सरकार के देय-ब्याज के तखमीने में ६९ लाख रु० की कमी हुई। वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही कुछ विकास योजनाओं को पूरी तौर से कार्यान्वित न किया जा सका और यह तथ्य कृषि, पशुपालन, सहकारिता उद्योग और नागरिक कार्यों के अन्तर्गत के कुल मिलाकर व्ययों में १६४ लाख की संभावित कमी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। 'प्रकीर्ण व्यय' के अन्तर्गत ३२ लाख रु० कम खर्च होने का अनुमान था। आत्म सहायता योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था की गयी थी, उसमें कुछ वित्तीय अनुकूलन किये जाने से कम व्यय होने का अनुमान था और इस प्रकार यह

'प्रकीर्ण नियोजन संगठन' के अन्तर्गत अनुमानित व्यय में २० लाख रु० की कमी करने के लिए उत्तरदायी था। स्थानीय विकास कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा कम धन निर्धारण के कारण सामुदायिक योजनाओं के व्यय में ६२ लाख रु० कम रखे गये क्योंकि भारत सरकार पूरी आर्थिक सहायता दे रही थी। दूसरी ओर बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रमें सहायता कार्यों पर काफी व्यय स्वीकृत किये जाने 'दुर्भिक्ष-सहायता' के अन्तर्गत ८६ लाख रु० की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। राजकीय बस सर्विस के मार्गों के विस्तार और भारी संख्या में यात्री यातायात बढ़ जाने के फलस्वरूप राजकीय रोडवेज के कार्य संचालन का खर्च बढ़ जाने से 'प्रकीर्ण विभाग' के अन्तर्गत व्यय में ३५ लाख रु० की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

पूंजीगत व्यय---पूंजीगत व्यय के, जिसे मूल तखमीने में ३,२८५ लाख रु० रखा गया था, संशोधित तखमीनों में १२५ लाख घटकर ३,१६० लाख हो जाने की संभावना थी। मुख्य रूप से प्रारंभिक बातों को तय करने में अधिक समय लग जाने के और निर्माण सामग्रियों के मिलने में कठिनाई के कारण 'नागरिक कार्यों' के अन्तर्गत व्यय का संशोधित तख मीना ७२ लाख रु० कम आंका गया। सन् १६५८-५६ के वर्ष में सरसवां और मझोला में प्रस्तावित दो चीनी मिलों की स्थापना न हो सकने की आशा से 'औद्योगिक विकास' के अन्तर्गत ३० लाख रु० की कमी हुई। यद्यपि रिहन्द विद्युत् योजना पर मूल अनुमान की अपेक्षा अधिक व्यय होने की आशा की जाती थी, किन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण और यमुना हाइडल योजना तथा बुंदेलखंड के लिए अग्रगामी बिजलीघर योजना के स्थगित कर दिये जाने के कारण, कार्य की प्रगति का रुख देखते हुए विद्युत् योजनाओं की पूंजीगत लागत पर कुल मिलाकर ६१ लाख रु० कम खर्च होने की संभावना थी। खाद्यान्नों की खरीद पर भारी व्यय होने के बावजूद भी राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत अनुमानित व्यय में ४७ लाख की कमी का अनुमान था क्योंकि अधिक वसूली की जिनमें पिछले लेनदेन भी शामिल थे, आशा की जाती थी। दूसरी ओर सरकारी रोडवेज की आवश्यकता को देखते हुये अतिरिक्त चेसिस की खरीद और बसों की बाड़ी के निर्माण के हेतु अधिक निधि की आवश्यकता 'अन्य कार्यों के पूंजीगत लेखे' के अन्तर्गत ७७ लाख रु० की वृद्धि के लिए उत्तरदायी रही। कृषि सुधार और शोध के अनुमानित व्यय में भी ४७ लाख रु० की वृद्धि होने का अनुमान था।

इस वर्ष ७०० लाख रु० के पहले के विचार की अपेक्षा ७६५ लाख रु० का एक सार्वजनिक ऋण उगाहा गया। ५०० लाख रु० का वेज एन्ड मींस' अग्रिम धन लेने और वर्ष समाप्ति के पूर्व ही उसे अदा कर देने का विचार था।

राजकीय व्यापार योजनाएं

सरकार की व्यापार सम्बन्धी योजनाओं में गल्ला सप्लाई की योजना सब से महत्वपूर्ण बनी रही। खाद्यान्न स्थिति में गिरावट आ जाने के कारण और बाढ़ से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी लगने के फलस्वरूप सरकार को भारत सरकार, अन्य राज्यों की सरकार तथा स्थानीय बाजारों से खाद्यान्नों को खरीदने और तत्पश्चात् सस्ते गल्ले की दूकानों पर उस की बिक्री करने के अपने कार्य में तेजी ले आनी पड़ी। आलोच्य वर्ष में इस योजना पर कुल व्यय का संशोधित तखमीना २,३७६.२४ लाख रु०था जिसमें पहले के कुछ दायित्वों को समाप्त करने के लिए १६५.१७ लाख रु० की धनराशि भी सम्मिलित थी। खाद्यान्नों की बिक्री और पूर्व वर्ष के बकाया को मिला कर कुल प्राप्तियां २,५६०.३७ लाख रु० थी। इस प्रकार २११.१३ लाख रु० की शुद्ध प्राप्ति हुई।

विनियोग और वित्त लेखे

उत्तर प्रदेश सरकार के सन् १६५५-५६ और १६५६-५७ के विनियोग लेखे और उनसे संबंधित आडिट रिपोर्ट भी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार के कम्प्ट्रोलर और आडीटर जनरल से क्रमशः मार्च और अक्तूबर, १६५८ में प्राप्त हुई। प्रत्येक अनुदान के

अलग-अलग विनियोग करने के रूप में वर्ष के समस्त मतदेय और प्रभृत व्यय की मदों के परीक्षित लेखे, परीक्षा अधिकारियों की आवश्यक टिप्पणियों और उनके विचारों सहित सदैव की भांति इन रिपोर्टों में सम्मिलित थे। सरकार के वाणिज्य और अर्द्ध सरकारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों संबंधित व्यापार, उत्पादन तथा हानि व लाभ के लेखे और आय व्यय के लिए विवरण पर परीक्षण अधिकारियों द्वारा दी गयी टिप्पणियां भी इनमें सम्मिलित थीं।

सन् १९५८ की आडिट रिपोर्ट का प्रथम भाग अलग से सितम्बर, १९५८ में प्राप्त हुआ और इसमें अनियमितताओं तथा अन्य वितीय मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ के वित्त लेखे और उनसे संबंधित रिपोर्ट श्री राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल से क्रमशः अप्रैल और नवम्बर, १९५८ में प्राप्त हुई। इन संकलनों द्वारा आलोच्य वर्ष की सरकारी प्राप्तियों और व्ययों का हिसाब ज्ञात हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न लेखों तथा अन्य आंकड़ों अर्थात् राजस्व और पूंजी लेखे, सार्वजनिक ऋण के लेखे और राज्य सरकार के दायित्वों और पावनों संबंधी वित्तीय रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। यह सब (डाकूमेंट) विनियोग लेखे के पूरक के रूप में थे।

श्री राज्यपाल के आदेशानुसार सन् १९५५-५६ के विनियोग और वित्तीय लेखे तथा इनसे संबंधित आडिट रिपोर्ट २१ और २२ जुलाई को क्रमशः विधान सभा और विधान परिषद् में पेश की गयी। सद् १९५६-५७ के विनियोग और वित्तीय लेखे १३ और १५ दिसम्बर को क्रमशः दोनों सदस्यों में पेश की गयी। सन् १९५७ की आडिट रिपोर्ट के प्रथम भाग को, जिसे कि पूर्वगामी वर्ष में विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, भी १३ और १४ फरवरी को क्रमशः विधान सभा और विधान परिषद् में पेश किया गया। सन् १९५८ की आडिट रिपोर्ट के प्रथम भाग को २ दिसम्बर, १९५८ को विधान मण्डल के समक्ष पेश किया गया।

सार्वजनिक लेखा समिति

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमा वली के अधीन सार्वजनिक लेखा समिति ने अपनी जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९५८ की मीटिंगों में सन् १९५४-५५ के विनियोग लेखे, सन् १९५७ की आडिट रिपोर्ट के प्रथम भाग और सन् १९५५-५६ के विनियोग लेखे पर विचार किया। समिति ने अपनी नवम्बर, १९५८ और जनवरी तथा फरवरी, १९५९ की बैठकों में सन् १९५८ की आडिट रिपोर्ट के प्रथम भाग पर भी विचार किया। समिति की सिफारिशों को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी।

२७—मालगुजारी और आबपाशी के शुल्क की वसूली मालगुजारी

इस वर्ष कुल (सन् १९५८ के समाप्त होने वाले माल के वर्ष के लिए) २३ करोड़ रु० मालगुजारी पूरे राज्य भर में वसूल होनी थी। इसके विरुद्ध गत वर्ष की मालगुजारी का कुल मांग २२ करोड़ रु० (लगभग) थी। इस वर्ष कृषि आपदाओं के कारण मालगुजारी की वसूली का स्थगन अधिक तर्क संगत आधार पर तथा अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद किया गया। (सर्व प्रथम बार इस वर्ष ऐसा हुआ कि कमिश्नरियों के आयुक्तों को भी गंभीर एवं व्यापक कृषि आपदाओं की जांच करना पड़ा।) इस कारण से पहले के बकाया को मिलाकर कुल बकाया काफी बढ़ गया। फलस्वरूप मालगुजारी की कुल मांग में वृद्धि हुई। २२.७९ करोड़ (लगभग) की मांग तो उस क्षेत्र के लिए थी जहां जमींदारी विनाश हो चुका था और शेष राज्य के लिए २४.६९ लाख रु० (लगभग) की मांग थी।

आलोच्य वर्ष में कुल वसूली १९ करोड़ रु० (लगभग) की हुई जिसमें से १८.७७ करोड़ (लगभग) उन क्षेत्रों से वसूल हुआ जहां जमींदारी का विनाश हो चुका था और २२ लाख रु० शेष राज्य से वसूल हुआ।

गत वर्ष के ५७ की तुलना में इस वर्ष २७९ भूमि प्रबन्धक समितियों को अपने क्षेत्र विशेष की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। इन्हें २५.८० लाख (लगभग) रु० मालगुजारी वसूल करने की थी जब कि वास्तव में ७,६६,७६२ रु० वसूल हुई। भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा वसूल किये जाने की कुल मांग में से १६.२४ लाख (लगभग) रु० राज्य कर्मचारियों द्वारा वसूल की गयी और इस प्रकार १.८९ लाख रु० से कुछ अधिक ही वसूल होने को रह गया।

आलोच्य वर्ष में मालगुजारी वसूली में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई।

आबपाशी दर की वसूली

भूमि के कब्जेदारों से वसूल होने वाली आबपाशी दर ६.४७ करोड़ (लगभग) रु० से बढ़ कर ६.९७ करोड़ (लगभग) रु० हो गयी। लगभग ११.३४ लाख रु० से कुछ अधिक की बकाया सहित आबपाशी दर की आलोच्यवर्ष की मांग लगभग ७.०९ करोड़ रु० थी जब कि विगत वर्ष यह ६.४९ करोड़ (लगभग) रु० थी। इसमें से ६.९६ करोड़ की वसूली हुई और १२.५० लाख (लगभग) वसूल होने को शेष रहे जिसका ब्योरा इस प्रकार है—

नाममात्र का बकाया	..	५२,३३६ रु०
न वसूल हो सकने वाला	..	३९,१३१ ,,
वसूल करने के सिलसिले में कार्रवाई हो रही थी	..	११,५९,००६ ,,
योग	..	१२,५०,४७३

सब से बड़ी रकम जो वसूल न हो सकी वह इलाहाबाद जिले में २.९५ लाख रु० (लगभग) की थी। इलाहाबाद के बाद दूसरा नम्बर मिर्जापुर जिले का था जहां बकाया २.१० लाख रु० (लगभग) था। इलाहाबाद जिले में इतना भारी बकाया इस कारण से था कि छूट के प्रस्ताव सरकार के आदेश के लिए विचाराधीन थे। मिर्जापुर जिले में लगातार कृषि आपत्तियों के फलस्वरूप पहले की कई फसलों में काफी बड़ी रकम की वसूली स्थगित कर दी गई थी। एक ही फसल में वर्तमान मांग के साथ इन सभी रकमों को वसूल करना संभव नहीं था।

इस वर्ष भी मालिकाना दर के अधीन किसी प्रकार की वसूली न होनी थी। गत वर्ष के ६० रु० बकाया में से ५२ रु० वसूल किये गये और इस प्रकार ८ रु० का बकाया रह गया जिसके वसूल करने के सिलसिले में कार्रवाई हो रही थी।

*२८—वृहद जोत-कर

उत्तर प्रदेश कृषि आय कर, १९४८ के स्थान पर १ जुलाई, १९५७ से उत्तर प्रदेश बड़ी जोत कर अधिनियम, १९५७ लागू किया गया। सन् १९५७ के कानून के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की गयी थी कि पहले से जो मामले चल रहे थे वे बदस्तूर कायम रहेंगे और कृषि आयकर से जो आय बच गयी हो उस पर भी कर निर्धारण किया जा सकेगा।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक के ९ फसली वर्षों (१३५५–१३६३) के लिए कुल कृषि आय कर ८.९५ करोड़ निर्धारित की गयी थी जिसमें से ८.१४ करोड़ (जिसमें जायद वसूली और जुर्माने भी शामिल हैं) की वसूली हुई। सन् १३६४ के फसली वर्ष के लिए कोई कर नहीं निर्धारित किया गया क्योंकि १३६५ फसली से बड़ी जोत कर लगाया गया।

---

*सन् १९५८ के कलेण्डर वर्ष से संबंधित

३१ दिसम्बर, १९५८ तक १३६५ फसली और १३६६ फसली के एक भाग के लिए जो बड़ी जोत कर निर्धारित किया गया और उस की जो वसूली हुई वह निम्न प्रकार है --

फसली वर्ष				कर-निर्धारण	वसूली
१३६५	..	..	..	६६,७०,०३७ रु०	१३,३८,४७७ रु०
१३६६	..	..	..	९,०४,८५५ ,,	५,२१२ ,,

कृषि आय कर और बड़ी जोतकर से संबंधित कार्यों का शासकीय अधिकार लखनऊ के प्रधान कार्यालय में माल बोर्ड के पास बना रहा। बृहद् जोत कर अधिनियम के अन्तर्गत हाकिम परगना अपने तहसील का कर निर्धारण अधिकारी होता है। यह व्यवस्था की गयी कि इनके आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कमिश्नरी के आयुक्त के यहां होगी और कर निर्धारण अधिकारी तथा आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध निगरानी की सुनवाई इलाहाबाद स्थिति माल बोर्ड द्वारा की जायगी।

१ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत दायर किये गये तथा निर्णीत मामलों की संख्या और अपीलों एवं निगरानियों आदि का विवरण निम्नलिखित नक्शे से सपष्ट है--

१ जनवरी, १९५८ को अनिर्णीत मामलों की संख्या		१ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर १९५८ तक की अवधि में दायर किये गये मामलों की संख्या	निर्णय के लिए कुल मामलों की संख्या	अलोच्य अवधि में (नम्बर २ के अनुसार) निपटाये गये मामलों की संख्या	शेष कार्य
१		२	३	४	५
अपील					
कृषि आय कर---९८६	..	८५८	१,८४४	१,६०४	२४०
बृहद् जोत कर..	..	१,७१२	१,७१२	७५७	९५५
निगरानी					
कृषि आयकर---६२६	..	५०८	१,१३४	६७२	४६२
बृहद् जोतकर ..	..	१८	१८	..	१८

२९---मुद्रांक

उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ रेवेन्यू का मुद्रांक विभाग मुद्रांक एवं न्यायालय शुल्क के राजस्व की व्यवस्था तथा नियन्त्रण करता रहा।

दशमलव प्रणाली के सिक्के अपना लिये जाने के फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में संसद द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ का संशोधन किया गया। इस संशोधन अधिनियम में

तत्सम्बन्धी परिवर्तन करने के अतिरिक्त इसके द्वारा १ अक्तूबर, १९५८ से मुद्रांक शुल्क १ आना (६ नया पैसा) से बढ़ा कर १० नया पैसा कर दिया गया। दशमलव प्रणाली में परिवर्तन को अमल में ले आने के हेतु राज्य विधान मण्डल ने भी यू० पी० कोर्ट फीस (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५८ और यू० पी० स्टैम्प (एमेंटमेन्ट) ऐक्ट, १९५८ पारित किया। साथ ही मुद्रांक सुल्क और कोर्ट फीस की दरों में भी संशोधन करने के लिए यू० पी० स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ और यू० पी० कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ भी पारत किया गया। (बाद के दोनों अधिनियम १ अप्रैल, १९५९ से लागू हुए।)

सन् १९५८-५९ के वर्ष में मुद्रांक के राजस्व से ३,४४,१२,४२९ रु० की प्राप्ति हुई जब कि गत वर्ष (सन् १९५७-५८) यह प्राप्ति ३,१६,७०,५८६ रु० थी। राजस्व में २७,४१,८४३ रु० की वृद्धि मुख्यतः स्टाम्प इन्स्पेक्टरों तथा स्पेशल स्टाम्प अफसरों द्वार अदालतों के अभिलेखों की व्यापक रूप से निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप हुई। सन् १९५८-५९ के वर्ष में कुल व्यय ७,८६,५१७ रु० हुआ जब कि पूर्व गामी वर्ष में यह व्यय ६,२३,७०१ रु० था। खर्च में इस वृद्धि का कारण यह था कि स्टाम्पफरोशों को स्टाम्पों की बिक्री बढ़ जाने के फलस्वरूप कमीशन अधिक देना पड़ा और राज्य के विभिन्न खजानों में मुद्रांक नियन्त्रक द्वारा मुद्रांकों की अधिक सप्लाई की गयी।

आलोच्य वर्ष में स्टाम्प इन्स्पेक्टरों तथा स्पेशल स्टाम्प अफसरों के निरीक्षण के परिणाम स्वरूप यह पता चला कि कुल १०,३०,७५२ रु० का मुद्रांक एवं न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया जब कि गत वर्ष यह रकम ७,१५,५२० रु० थी।

आलोच्य वर्ष में एक उप-खजानों में १३.४८१ रु० का एक गबन हुआ। सरकारी कोषाध्यक्ष और पदेन आफिस वेंडर ने इस रकम की हानि की पूर्ति की। अपराधियों को दण्ड देने के लिए आगे की कारवाई की जा रही थी।

३०—आबकारी

आलोच्य वर्ष में मद्यनिषेध के क्षेत्र में कोई नया जिला या नगर शामिल नहीं किया गया। ११ जिलों और हरद्वार ऋषिकेश तथा वृन्दावन के तीन स्थानों में मद्यनिषेध चालू रहा।

उन सभी जिलों में जहां मद्यनिषेध लागू नहीं था, देशी शराब और भांग की दूकानें नीलाम प्रणाली पर स्थापित की गयीं जब कि गांजा और अफीम की दूकानें सरचार्ज प्रणाली के अन्तर्गत खुलवाई गयीं। अफीम के दूकानों की संख्या २६६ बनी रही। ताड़ी की दूकानें १९ जिलों में नीलाम प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित की गयी जब कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर के आठ पूर्वी जिलों में वृक्ष कर प्रणाली चालू रही। नीलाम एवं वृक्ष-कर प्रणाली को, जो कि गाजीपुर जिले में चालू थी १ अक्तूबर, १९५८ से निम्नलिखित जिलों के नगरपालिका तथा छावनी के क्षेत्र में लागू कर दिया गया—

१—गोरखपुर, २—देवरिया, ३—बस्ती, ४—बलिया, ५—वाराणसी, ६—आजमगढ़ और ७—मिर्जापुर।

देशी शराब के संबंध में आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये।

मेरठ जिले के मवाना कस्बे को 'ऊंचे महसूल' वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। हमीरपुर नगर को ६ रु० १ आ० के ऊंचे महसूल वाले क्षेत्र से हटाकर ६ रु० के 'कम महसूल' वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार राठ कस्बे को ६ रु० के 'कम महसूल' वाले क्षेत्र से हटा कर ६ रु० १ आना के 'ऊंचे महसूल' वाले क्षेत्र में कर दिया गया।

भांग के सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने के भाव में कोई परिवर्तन न हुआ।

अफीम के सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने के भाव में कोई परिवर्तन न हुआ। देश में ही बनी हुई विदेशी शराब के परमिट फीस की दर भी अपरिवर्तित रही।

गांजा के सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने के भाव में भी कोई परिवर्तन न हुआ।

सम्पूर्ण आबकारी राजस्व

सन् १९५८ के कलेण्डर वर्ष में आबकारी का कुल राजस्व ५ करोड़ ८४ लाख रु० था।

खपत

(क) देशी शराब---देशी शराब की खपत ८८९,९३९ एन० पी० गैलन थी। इस प्रकार खपत में ७.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) अफीम---अफीम की खपत १,४४७ सेर हुई। इसमें ४९ प्रतिशत की कमी हुई।

(ग) गांजा---आलोच्य वर्ष में गांजा की खपत २०० सेर हुई। इसमें १५.९ प्रतिशत की कमी हुई।

(घ) भांग---भांग की खपत आलोच्य वर्ष में १,४८,३५२ सेर हुई। इस प्रकार खपत में ०.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अफीम की खपत घटने का कारण यह था कि अफीम के लाइसेंसदारों का अफीम का कोटा कम कर दिया गया और अफीम की बिक्री पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह केवल अनुमति-पत्र रखने वाले व्यक्तियों के ही हाथ बेची जा सकती है। गांजा की खपत में कमी होने का कारण यह था कि उस की बिक्री के सम्बन्ध में भी प्रतिबन्ध था।

आबकारी सम्बन्धी अपराध

सन् १९५८ के कैलेण्डर वर्ष में एक्साइज़, ओपियम ऐण्ड डेंजरस ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत १७,१४९ मामलों का पता लगाया गया। इनमें से ३,०२७ गैर कानूनी ढंग से शराब बनाने के मामले थे, ६,३३० गांजा भांग के, १,९१७ अफीम के, १,१२९ मदक के और १५३ अन्य मामले थे।

गांजा और चरस के दस्तों द्वारा आलोच्य वर्ष में १,७१९ मामलों का पता लगाया गया जिसमें से १ गैर सरकारी ढंग से शराब बनाने का, ६० शराब सम्बन्धी अपराधों के, १,२२७ गांजा भांग के, ३९० अफीम के और ३५ मदक के मामले थे। ६ अन्य प्रकार के अपराध थे।

चालक मद्यसार

आलोच्य वर्ष में चालू मद्यसार की कुल बारदों और गैर चालक मद्यसार की पांचों भट्ठियां चालू रहीं। पूरे वर्ष भर इन भट्ठियों ने ७२,८०,१९२ बल्क गैलन डीहाइड्रेटेड अल्कोहल तैयार की।

चालक मद्यसार की योजना सम्पूर्ण राज्य भर में चालू रही। इस वर्ष डिपों की संख्या में कोईप रिवर्तन नहीं हुआ।

समिश्रण के लिए कुल ६८,९४९ बल्क गैलन चालक मद्यसार दिया गया। इसमें से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में समिश्रण के लिए ३४,४९,१४२ बल्क गैलन दिया गया और दिल्ली, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के डिपों के लिए ३४,५५,८०७ बल्क गैलन दिया गया।

शीरा पर नियंत्रण

शीरे के वितरण का कार्य आबकारी आयुक्त के नियन्त्रण में होता रहा। आबकारी आयुक्त शीरा के नियन्त्रण का भी कार्य करते रहे। भट्ठियों के उपभोग के लिए शीरे के लाने ले जाने पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियन्त्रण रखा गया।

३१—बिक्री-कर

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, १९४८ को भी संशोधित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत ३१ मार्च सन् १९५६ को जारी की गयीं कुछ विज्ञप्तियों को, जिन्हें हाई कोर्ट ने अनियमित करार दे दिया था, नियमित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स (वैलिडेशन) ऐक्ट, १९५८, (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम) पारित किया गया। किसी भी सामान पर बिक्री कर के स्थान पर खरीद कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को देने के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम), पारित किया कया। पर अधिनियम की इस व्यवस्था का वर्ष के अन्त तक उपयोग न किया जा सका।

आलोच्य वर्ष में संसद द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम को भी संशोधित किया गया। इस संशोधन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

(१) कुछ शर्तों के साथ यह व्यवस्था की गयी कि वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने के दौरान में स्वामित्व के अधिकार के हस्तान्तरण द्वारा की गयी बिक्री पर लगाया गया बहुस्तरीय कर एकल स्तरीय में परिवर्तित किया जा सकता है जो केवल पहली ही बिक्री पर लगाया जायगा।

(२) यह नियम बनाया गया कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान में किसी राज्य या भारत सरकार के हाथ वस्तु की बिक्री पर उसी दर से कर लगाया जा सकेगा जिसपर से रजिस्ट्री शुदा व्यापारियों को की गयी बिक्री पर लगाया जाता है। इसकी भी व्यवस्था की कि रजिस्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र दिये जायं उनपर भी फीस ली जाय और अधिनियम की धारा ८(४) के अन्तर्गत घोषणा के जारी करने पर भी फीस ली जाय।

आलोच्य वर्ष में कर की दरों में बहुत से परिवर्तन किये गये और कुछ वस्तुओं को कर से छूट द दी गयी। १ अप्रैल, १९५८ से ऐसे वस्त्रों को, जिनका चिकन का काम हो, बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया। साथ ही १ अप्रैल, १९५८ से ५ वर्ष तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के उत्पादकों द्वारा निर्मित बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया। अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान में सूत के उत्पादकों द्वारा बिक्री को उसी तिथि स केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से मुक्त कर दिया गया। १ अगस्त १९५८ से कच्चा चमड़ा और खाल पर एक नया पैसा प्रति रुपया एकल स्तरीय कर लगाया गया (प्रति १०० रुपया पर बहुस्तरीय चार आना छूट की फीस के स्थान पर किन्तु अधिक से अधिक १,००० रु० तक) और सूत पर से ६ पाई प्रति रु० की दर से कर घटा कर दो नया पैसा प्रति रूपया कर दिया गया। उसी तिथि से सरकारी विभागों द्वारा की गयी बिक्री को भी कर से मुक्त कर दिया गया। १ अक्तूबर १९५८ से १५ विशेष प्रकार की वस्तुओं पर कर १ आना प्रति रु० से बढ़ा कर सात नया पैसा प्रति रु० कर दिया गया। १ नवम्बर, १९५८ से सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की बिक्री को भी कर से मुक्त कर दिया गया। चीनी, सूती कपड़े और तम्बाकू से बनी चीजो का जिनपर बिक्री कर के बदले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया था, १ जुलाई १९५८ से बिना किसी शर्त उत्तर प्रदेश बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया।

सन् १९५८–५९ के वर्ष में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कुल ८,२६,७७,१३६ रु० प्राप्ति हुई जब कि पूर्वगामी वर्ष में यह प्राप्ति ९,९९,०८,०११ रु० की थी। प्राप्त में लगभग १ करोड़ रु० की इस कमी का कारण मुख्यतः यह था कि चीनी तम्बाकू और कपड़े पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क लिये जाने का पूरा पूरा प्रभाव इस वर्ष पड़ा। आलोच्य वर्ष में व्यय ३८,४६,५८५ रु० था जब कि गत वर्ष यह व्यय ३६,९९,५८३ रु० रहा।

३२—मनोरंजन और बाजी कर

मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम, १६३७ को, जिसे की सितम्बर १६५७ में मनोरंजन कर में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि करने के हेतु संशोधित किया गया था, पुनः दिसम्बर १६५८ में इस उद्देश्य से संशोधित किया गया कि कर खण्ड (स्लैब) प्रणाली पर न लगाया जाकर प्रतिशत प्रणाली पर लगाया जाय जैसा कि कर जांच समिति और फिलम जांच समिति ने सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश मनोरंजन और बाजी कर (संशोधन) अधिनियम, १६५८, १ फरवरी, १६५६ लागू किया गया और उसी तारीख से सरकस, ड्रामा, संगीत और खेल-कूद के समारोहों के अतिरिक्त सिनेमा प्रदशनों और अन्य मनोरंजनों पर कर के अतिरिक्त प्रदेश के प्रति टिकट पर ५० प्रतिशत की दर से कर का निर्धारण किया गया और सरकार को दिया गया। सरकस, ड्रामा, संगीत समारोहों और खेलकूद पर कर की दर केवल १२।। प्रतिशत ही रही।

आलोच्य वर्ष में मनोरंजन और बाजी कर से कुल १,३६,२७,८२१ रु० की आय हुई जबकि पूर्वगामी वर्ष में (सन १६५७–५८) यह आय १,२०,३०,०७० रु० थी। लगभग १८,६७,७५१ रु० की वृद्धि का कारण यह था कि सन् १६५८–५६ के वर्ष के अन्तिम दो महीनों को छोड़ कर शेष अवधि में ५० प्रतिशत के बढ़े हुए दर पर कर, जिसे की २३ सितम्बर, १६५७ से निर्धारित किया गया, वसूल किया गया। जहां तक १ फरवरी, १६५६ से खंड प्रणाली से प्रतिशत प्रणाली में हुए परिवर्तन से और प्रत्येक टिकट पर ५० प्रतिशत की दर से कर निर्धा-रण से पड़ने वाले प्रभाव का सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था, यद्यपि यह देखा गया कि प्रथम दो मासों में (फरवरी और मार्च १६५६) मनोरंजन कर से होने वाली आय में लगभग ३६,००० रु० की कमी हुई। दिन प्रति दिन घुड़दौड़ (रेस) भी अपनी लोकप्रियता खोते जाते थे और परिणाम स्वरूप बाजी कर में भी धीरे-धीरे कमी आ रही थी। आलोच्य वर्ष में इस मद से १,७४,३६६ रु० की आय हुई जब कि सन् १६५७–५८ के वर्ष में यह आय २,३१,७०६ रु० की थी।

इस वर्ष कुल व्यय २,८४,००० रु० का हुआ जब कि सन् १६५७–५८ के वर्ष में यह व्यय २,४६,१०० रु० था।

मनोरंजन और बाजी कर विभाग की निगरानी मनोरंजन और बाजीकर आयुक्त करते थे तथा इनकी सहायता के लिए २ सहायक मनोरंजन और बाजी कर आयुक्त और ६४ मनोरंजन कर इंस्पक्टर थे जिनमें १८ सीनियर इंस्पेक्टर भी थे।

आलोच्य वर्ष में मनोरंजन और बाजी कर विभाग ने २१३ मुकदमें चलाये जबकि गतवर्ष (१६५७–५८) ११७ मामले चलाये गये थे। कुल २३७ मामलों में से (इनमें गत वर्ष के २४ विचाराधीन मामले भी शामिल थे) १०३ मामलों का फैसला किया गया और शेष १३४ मामले विचाराधीन रहे। इन १०३ मुकदमों में से ८६ में कुल ४,७७० रु० जुर्माना हुआ और वसूल किया गया। ४ मामलों में लाइसेंस रद्द कर दिये गये। ३ मामलों में चेतावनी दी गयी और सात मामले छोड़ दिये गये।

मनोरंजन और बाजी कर की व्यवस्थाओं को अस्थायी रूप से ८७ मेलों और प्रदर्शनियों में लागू किया गया तथा उन कर न लगने वाले क्षेत्रों के सिनेमाओं और अन्य मनोरंजनों पर भी लगाया गया जहां इन्हें इजाजत दी गयी थी। इससे लगभग १,००,००० की आय हुई।

४२५ मामलों में मनोरंजन बाजी कर नहीं वसूल किया गया, क्योंकि इनमें से अधिकांश मामले ऐसे थे जिनकी आय पुण्यार्थ अथवा दानार्थ या खेलकूद और गायन–विद्या के प्रोत्साहन के लिए व्यय होनी थी।

३३—स्थानीय कोष-लेखा

परीक्षित लेखों की संख्या

आलोच्य वर्ष में स्थानीय कोष लेखा परीक्षण विभाग ने स्थानीय निकायों के तथा अन्य संस्थाओं के ३,३२५ लेखों का परीक्षण किया जब कि गत वर्ष परीक्षित लेखों की संख्या ३,३५२ थी। परीक्षण शुल्क से इस वर्ष ६,६७,७६३ रु० की प्राप्ति हुई जब कि पूर्वगामी वर्ष में ५,६६,६१८ रुपयों की प्राप्ति हुई थी।

जांच

आलोच्य वर्ष में १,३६७ जांच की गयी जबकि १,१४८ जांच गत वर्ष की गयी थी। दौरों के समय स्थानीय निकायों के कार्यकारिणी के अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाया गया और लेखा सम्बन्धी उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उन्हें सहायता दी गयी।

परीक्षित आय और व्यय

स्थानीय कोष लेखा विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में जिन स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के आय और व्यय का निरीक्षण किया गया वे क्रमशः ३४,५२,६६,५०० रु० और ३४,५०,२८,२०० रु० थे जब कि पूर्वगामी वर्ष में यह रकमें क्रमशः ३५,०७,१६,५०० रु० और ३५,०७,४६,८०० रु० थी।

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

सामान्य रूप से स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यहां तक कि ५६ नगरपालिकाओं का व्यय उनकी सामान्य प्राप्ति से अधिक रहा। बकाया की वसूली भी संतोषजनक नहीं रही।

कर-निर्धारण की सूची तैयार करने में और उसे अन्तिम रूप देने में देरी के तथा बहुत से मामलों में अपूर्ण और अशुद्ध कर-निर्धारण के कारण वसूली पर विषम प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

गबन

स्थानीय निकायों के लेखों की जांच के सिलसिले में बोर्डों को क्षति पहुचाने वाले गबन और फरेब के कई मामलों को प्रकाश में ले आया गया। स्थानीय निकायों को कड़ाई से देख भाल की और नियमों का सख्ती से पालन करने की, जिससे कि ऐसे मामलों की पुनरावृति न हो सके सलाह दी गयी।

विशेष परीक्षण

राज्य संग्रहालय, लखनऊ, गोरखपुर की नागरपालिका, शिवपुर(वाराणसी) की नोटीफाइड एरिया, मुरलीधर गजानन्द टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, हाथरस, कण्डा हायर सेकेन्डरी स्कूल, अलमोड़ा और वैदिक कन्या पाठशाला हायर सेकेन्डरी स्कूल, नगीना के लेखों का विशेष परीक्षण किया गया।

सरचार्ज

नगरपालिकाओं में सरचार्ज की वसूली का कोई भी मामला आलोच्य वर्ष में बाकी न रहा। किन्तु जिला बोर्डों के (अब अन्तरिम जिला परिषदों) सदस्यों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरचार्ज की रकम की वसूली अबतक न हो पाई थी।

एकाउण्टेन्ट परीक्षा

दिसम्बर, १९५८ में नगरपालिका और जिला बोर्ड की एकाउण्टेन्ट परीक्षा ली गयी। नगरपालिका एकाउण्टेन्ट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले २८ उम्मीदवारों में से ६ उम्मीदवार सफल हुए। जिला बोर्डों के पांच उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदावार सफल घोषित हुए।

अध्याय ८

राजनीतिक

३४—निर्वाचन

लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए द्वितीय आम निर्वाचन गत वर्ष समाप्त हो चुके थे और आलोच्य वर्ष निर्वाचनोत्तर काल की शांति के लिए उल्लेखनीय रहा।

इस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वितीय सार्वजनिक निर्वाचन के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन तैयार करने में व्यस्त रहा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्र की गयी और आयोग को प्रस्तुत की गयी। आलोच्य वर्ष में प्रतिवेदन का पहला भाग, जिसमें विवरण था, आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया।

निर्वाचन सूचियों को तैयार करने और उनके संशोधन में अधिकतम शुद्धता तथा व्यय में मितव्ययिता ले आने के उद्देश्य से तृतीय आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन सूची तैयार करने के हेतु एक नवीन योजना बनाई गयी। इस कार्य के लिए अभी तक जो प्रणाली अपनाई जाती थी उसके अनुसार ग्राम्य क्षेत्रों में निर्वाचकों की गणना का काम लेखपाल और पंचायतराज विभाग के कर्मचारी करते थे और नगर क्षेत्रों में स्थानीय निकाओं के कर्मचारी तथा इस कार्य के लिए विशेष रूप से अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी करते थे। इस प्रकार निर्वाचकों की जो सूची तैयार की जाती थी उनकी प्रतिलिपियां प्रेस के लिए जिले में कोटा के आधार पर अन्य कर्मचारियों द्वारा तैयार की जाती थीं। नयी योजना के अनुसार एक छोटे नियमित कर्मचारिमण्डल की नियुक्ति की जानी थी और यह विचार था इस कर्मचारिमण्डल को पहले गणना और तसदीक के काम पर लगाया जाय और जब वह यह कार्य पूर्ण कर चुके तब उन्हें स्टेंसिल की प्लेटों पर प्रतिलिपि तैयार करने के काम पर लगाया जाय और इन सूचियों को साइकिलोस्टाइल किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत तृतीय आम निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करने के खर्च का तखमीना २५ लाख रु० कूता गया है जब कि प्रथम और द्वितीय आम निर्वाचनों के अवसर पर क्रमशः ७० लाख और ३७ लाख रु० व्यय हुए थे। नियमित कर्मचारियों से यह भी आशा है कि वे अधिक उत्साह से कार्य करेंगे और अधिक उत्तरदायित्व का अनुभव करेंगे। आलोच्य वर्ष में इस योजना को प्रयोगात्मक आधार से आठ जिलों में चालू किया गया और यह सफल सिद्ध हुई। निर्वाचन आयुक्त ने इसे स्वीकार कर लिया और अन्य राज्यों में भी इसे अपनाने की सिफारिश की गयी।

आलोच्य वर्ष में १० उपनिर्वाचन हुए। इनमें से एक लोकसभा के लिए, दो राज्य सभा के लिए और सात राज्य विधान सभा के लिये हुए थे। इन उपनिर्वाचनों में जिन राजनीतिक दलों ने भाग लिया वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और समाजवादी पार्टी थीं। इन उपनिर्वाचनों में छः स्थान कांग्रेस ने और एक स्थान प्रजा समाजवादी, जनसंघ और समाजवादी पार्टी ने जीता। एक स्थान स्वतन्त्र उम्मीदवार को प्राप्त हुआ।

स्थानीय निकायों के चुनाव

सन् १९५८–५९ के वर्ष में राज्य में कुछ नवनिर्मित अथवा अवक्रांत स्थानीय निकायों में, जिनमें १४ नगरपालिकाएं, छः नोटीफाइड एरियाएं और पांच टाउन एरिया कमेटियां थीं, आम चुनाव हुए और इन चुनाओं के फलस्वरूप नये बोर्ड अथवा कमेटियां बनीं। पिपरी (मिर्जापुर जिले में रिहन्द बांध कालोनी) और रूद्रपुर (नैनीताल) के और झांसी तथा मुरादाबाद

की रेलवे बस्ती के नोटीफाइड एरियाओं में, जहां निर्वाचन की प्रणाली लागू नहीं थीं, सदस्यों और अध्यक्षों के स्थान नामजदगी द्वारा भरे गये, जबकि सदस्यों, अध्यक्षों और सभापतियों के ३८० स्थान, निशान लगाने की पद्धति द्वारा हुए निर्वाचनों से भरे गये। नवनिर्मित सरीला (हमीरपुर) और अकबरपुर (कानपुर) के टाउन एरियाओं में उत्तर प्रदेशी टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ की धारा ८-अ के अन्तर्गत प्रथम अध्यक्षों की नियुक्ति की गयी। इनके अतिरिक्त राज्य के सभी प्रकार के स्थानीय निकायों में एक बड़ी संख्या में उप-निर्वाचन हुए इन उप-निर्वाचनों का कारण सदस्य, अध्यक्ष अथवा सभापति का हटाया जाना, या उनका त्याग-पत्र या उनकी मृत्यु थी।

राज्य की पंच महानगरियों में नगर महापालिका के प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन के लिए भी प्रारम्भिक तैयारियां की गयीं। किन्तु फिलहाल इन निर्वाचनों को स्थगित कर दिया गया। वर्ष की समाप्ति पर विभाग नवनिर्मित चित्रकूट धाम, नगरपालिका (बांदा) और भरवारी (इलाहाबाद), राम कोला (देवरिया) और खरखौदा (मेरठ) की टाउन एरियाओं में सार्वजनिक निर्वाचन की प्रारम्भिक तैयारियों में व्यस्त रहा।

३५—राजनीतिक कार्यकलाप

राज्य की राजनीतिक संस्थाए सामान्य रूप से अपना कार्य करती रहीं। कई विरोधी दलों ने कानून तोड़ने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही का आश्रय लेना भी उचित समझा। शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकरियों द्वारा आवश्यकतानुसार उपयुक्त उपाय अपनाये गये।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा उठायी गयी समस्याओं में पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति प्रमुख थी और सितम्बर में राजनीतिक आन्दोलन का इसे आधार बनाया गया। यह आन्दोलन सामान्यतः उसी मास के अन्त तक समाप्त हो गया।

पहले प्रजा समाजवादियों ने राज्य के कई जिलों में खाद्य-स्थिति की समस्या के प्रदर्शन अयोजित किये जिनमें उन्होंने विविध मांगों पर जोर दिया। पूर्वी जिलों को अपनी कार्यवाही का विशेष केन्द्र बनाकर ५ सितम्बर से एक राज्य व्यापी आन्दोलन आरम्भ किया गया। यह सत्याग्रह २९ सितम्बर को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फरवरी, १९५९ में पार्टी ने गन्ना का मूल्य बढ़ाने की मांग के सम्बन्ध में एक 'गन्ना आन्दोलन' आयोजित करने का प्रयास किया गया।

मालगुजारी की वसूली और खाद्यान्न की स्थिति-दोनों के सम्बन्ध में सामाजवादी पार्टी के कार्य-कर्त्ताओं ने सरकार की आलोचना की और कई पूर्वी जिलों में जिलाधीश के कार्यालय एवं उनके निवास स्थानों पर धरना देकर तथा अन्य प्रदर्शन आयोजित कर एक 'घेरा डालो आन्दोलन' करने का प्रयास किया। 'सरकार हटाओ सप्ताह' में जो कि ७ से १३ सितम्बर तक मनाया गया, कुछ सभाएँ और प्रदर्शन भी आयोजित किये गये। दिसम्बर के महीने में कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी की यूनिटों द्वारा किया जाने वाला 'गन्ना आन्दोलन' का पता चला जिसमें गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों में गन्ना न ले जाने के लिए राजी करने की कोशिश की गयी।

राज्य समाजवादी पार्टी के तृतीय वार्षिक सम्मेलन में, सन् १९६० में एक देश व्यापी आन्दोलन की तैयारी के सिलसिले में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सितम्बर में अपने खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में कम्युनिस्ट कार्य-कर्त्ताओं ने कुछ जिलों और तहसीलों के सदर में 'भूखे मार्च' प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया। आलोच्य वर्ष में राज्य के कुछ जिलों में 'गन्ना आन्दोलन' के सिलसिले में गन्ना उत्पादकों का पूर्ण हड़ताल के लिए आवाह, किया गया। किन्तु इस प्रकर के किसी भी हड़ताल की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई। फरवरी १९५९ में एक राज्य चकबन्दी विरोधी सम्मेलन हुआ। कुछ जिलों में सदर पार्टी के कार्य-कर्त्ताओं ने चकबन्दी विरोधी प्रदर्शन भी अयोजित किये।

७ नवम्बर को राज्य के कई जिलों में 'अक्तूबर क्रांति दिवस' मनाया गया और इस अवसर पर भारत तथा सोवियत संघ की निरन्तर मैत्री पर बल दिया गया।

भारतीय जन संघ द्वारा चलाया गया खाद्यान्न आन्दोलन भी, जिसने सरकारी देय धन में छूट की अपनी मांग के सम्बन्ध में कई जिलों में 'वसूली रोको' आन्दोलन भी चलाया था, दूसरे दलों द्वारा आरम्भ किये गये अन्य आन्दोलनों के समान ही अल्प समय के बाद वापस ले लिया गया। मालगुजारी में ५० प्रतिशत की कमी करने के आन्दोलन को जारी रखने का प्रयत्न पार्टी करती रही और सहकारी खेती के विरुद्ध भी आवाज उठायी।

हिन्दू महासभा और मुस्लिम जमात नाम की संस्था द्वारा उठाये गये मुख्य प्रश्न, जिनकी उन्हों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार चर्चा की, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने तथा कुछ ऐसी इमारतों के दावों के सम्बन्ध में थे जिनके बारे में कहा गया है कि वे पहले मन्दिर थे पर मुगलकाल में उन्हें मस्जिद बना दिया गया। जमैयते इस्लामी ने इस्लाम के सिद्धान्तों पर आधारित सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया।

अध्याय ६

समाचार-पत्र

समाचार-पत्रों की निरीक्षा आदि

समाचार-पत्रों द्वारा व्यक्त किये गये जनमत से और उनमें प्रकाशित समाचारों से सरकार को अवगत कराये रखने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में सूचना विभाग की निरीक्षा शाखा ने कुल ३०,३०७ अखबारों की जांच की। लगभग १,२१,५६० कतरनों और १३४ रिपोर्टों को, जिनमें साधारण तथा विशेष रिपोर्टें, और समाचार-पत्रों की प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर की गयी टिप्पणियों की पाक्षिक समीक्षाएं भी सम्मिलित थीं, सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष सूचनार्थ उपस्थित किया गया। इसी प्रकार टेलीप्रिंटर द्वारा प्राप्त ८०० खबरों को भी सूचनार्थ उपस्थित किया गया।

कानून भंग करने के प्रेस सम्बन्धी नियमों के और भारत-पाक समझौते के तोड़ने के मामलों की जांच के लिए समाचार-पत्रों का निरीक्षण जारी रहा। पहले की ही भांति उत्तर प्रदेश से बाहर प्रकाशित होने वाले अखबारों की भी निरीक्षा जारी रही।

प्रेस आपत्तिजनक सामग्री अधिनियम समाप्त हो जाने के फलस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रेस समिति

सन् १९५८ के वर्ष में प्रेस समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। इस समिति की एक उप-समिति की बैठक जिलों के संवाददाताओं के सम्बन्ध में नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए हुई। नियमावली का प्रारूप उत्तर प्रदेश प्रेस समिति के समक्ष जनवरी, १९५९ में उपस्थित किया गया और कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।

समाचार-पत्रों के टिप्पणियों की समीक्षा

सदा की भांति समाचार-पत्रों ने लगभग सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर टीका-टिप्पणी की।

देश की खाद्य स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इस सुझाव का, कि राज्यों को अपने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि बाहर से खाद्यान्नों के आयात करने की आवश्यकता न रह जाय, सामान्य रूप से समर्थन किया गया, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में यह भी प्रवृत्ति रही कि कठिनाइयों के लिए प्रशासन की ढिलाई को उत्तरदायी ठहराया जाय।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर काफी चिन्ता व्यक्त की गयी। कुछ समाचार-पत्र विरोधी दलों के इस सुझाव के पक्ष में थे कि राज्य विधान मण्डल की एक सर्व-दलीय समिति प्रभाव ग्रस्त जिलों का दौरा करे, किन्तु अन्य समाचार-पत्रों का यह मत था कि विरोधी दल इस कठिनाई से अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। विरोधी दलों द्वारा चलाये गये खाद्यान्न आन्दोलन की टीका की गयी।

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार योजना का सामान्य रूप से स्वागत किया गया, और यह आशा व्यक्त की गयी कि इस योजना के कार्यान्वय से मध्यवर्तियों द्वारा मुनाफाखोरी समाप्त हो सकेगी।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के विचारों पर टीका करते हुए कुछ अखबारों ने बाढ़ की विभीषका का सामना करने के लिए श्रमदान के रूप में जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के बाढ़-नियन्त्रण उपायों के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक रूप से चर्चा किया गया।

राज्य में बाढ़ व्यापक रूप से चिन्ता का विषय बन गया और बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने में विरोधी दलों द्वारा सरकार से सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

विद्यार्थियों में फैली हुई अनुशासनहीनता और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के अवसर पर राज्य के कुछ भागों में इनविजिलेटरों पर, आक्रमण करने की घटनाओं पर व्यापक रूप से चिन्ता प्रगट की गयी और समाचार-पत्रों ने इन बुराइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने पर खेद प्रगट किया गया। विश्वविद्यालय अहाते में उप-कुलपति का प्रवेश निषेध करने के, छात्रों के व्यवहार की कड़ी टीका की गयी।

लखनऊ के छात्रों के आन्दोलन पर, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, व्यापक रूप से टीका की गयी। सामान्य रूप से समाचार-पत्रों ने इन घटनाओं पर खेद प्रगट किया और विभिन्न अखबारों ने छात्रों के ऐसे कार्यों में पड़ने की निन्दा की जो कि स्वयं उनका कोई लाभ न कर सकती थीं।

भारतीय वाणिज्य मण्डल (इन्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर) की स्वर्ण जुबली के अधिवेशन में प्रधान मंत्री के भाषण में कही गयी धन के वितरण में समानता ले आने की बात का व्यापक रूप में समर्थन किया गया और साथ ही यह भी संकेत किया गया कि इस भाषण से जन समाज के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की तात्कालिकता प्रगट होती है।

भारत की विकास योजनाओं के लिए ब्रिटेन से ऋण प्राप्ति की और अमेरिका से इस कार्य के लिए अनेक ऋण प्राप्त होने की संभावनाओं का स्वागत किया गया। समाचार-पत्रों ने यह आशा व्यक्त की कि विदेशी मुद्रा विनिमय की कठिनाई शीघ्र दूर हो जायगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूर्णरूप से सफल होगी।

भारत को अमरीका से प्राप्त हुए ऋण का व्यापक रूप से स्वागत किया गया और अपनी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत को उस देश से जो आर्थिक सहायता प्राप्त हुई उनके लिए कृतज्ञता प्रगट की गयी।

दिल्ली में हुई विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई, जबकि कुछ समाचार-पत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा राष्ट्रीय कोटा में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया। बहुत से अखबारों ने इन बैठकों के परिणामों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं दिखलाया।

रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो मत प्रगट किया उसका समाचार-पत्रों ने स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर गर्व प्रगट किया कि विदेशी बाजारों में भारतीय रुपये की स्थिति उतनी ही मजबूत है जितनी कि वह पहले थी। इससे भारतीय अर्थ व्यवस्था की वास्तविक मजबूती का पता चलता है।

भारतीय व्यवसाय मण्डल (इंडियन चैम्बर आफ कामर्स) के ३२ वें वार्षिक अधिवेशन के विचार-विमर्शों पर व्यापक रूप से विचार किये गये और इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों ने परस्पर विरोधी मत प्रगट किये। सामान्य रूप से यह अनुभव किया गया कि मण्डल के सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और भारत की कर व्यवस्था को और अधिक संतुलित बनाने के उपायों की जांच की जानी चाहिए।

लोक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय सरकार के बजट का मिला-जुला स्वागत हुआ। कुछ अखबारों ने यह मत व्यक्त किया कि यह बजट मुख्यतः गत वर्ष के बजट के समान ही था जिसे कि समयानुकूल नया बना दिया गया था तथा दृष्टिकोण और बनावट में इसमें पहले के तखमीनों के सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे जिससे कि सही दिशा का संकेत मिलता था, जब कि अन्य समाचार-पत्रों ने उपहार-कर लगाये जाने का विरोध किया और यह मत व्यक्त किया कि इस प्रकार का कर भारतीय संस्कृति की भावना के विपरीत है।

सूती कपड़ों पर लगने वाले इक्साइज़ ड्यूटी में घोषणा की गयी छूट का व्यापक रूप से स्वागत किया गया और उसे उद्योगों में छूट देने की उचित अपीलों के प्रति सरकारी रवैये का सबूत माना गया।

भारत सरकार द्वारा घोषित की गयी नयी आयात नीति के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने यह मत व्यक्त किया कि इसमें दूरन्देशी की कमी है। पर समाचार-पत्रों के दूसरे वर्ग ने यह विचार प्रकट किया कि इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनिमय पर होने वाले व्यय को कम से कम बनाये रखना है और गत वर्ष की नीति से यह अधिक उदार है।

सन् १९५८-५९ के उत्तर प्रदेश के बजट का मिला-जुला स्वागत हुआ। किन्तु सामान्य रूप से जो प्रतिक्रिया थी वह संतोष की थी। कुछ समाचार-पत्रों ने यह विचार व्यक्त किया कि करों के सम्बन्ध में कुछ राहत देने, और द्वितीय वित्त आयोग द्वारा सराहना किये जाने के अतिरिक्त इस बजट में कोई और विशेष बात नहीं थी। किन्तु कुछ समाचार-पत्रों ने यह मत व्यक्त किया कि इस बजट से यह प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है।

रेलवे के बजट पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया गया। कुछ समाचार-पत्रों ने यात्रियों के लिए तीसरे दर्जे के और डिब्बों के लिए मांग की जब कि कुछ ने यह विचार प्रकट किया कि दुर्घटनाओं और भीड़ आदि के सम्बन्ध में जो उपाय अपनाये गये हैं वे अपर्याप्त थे। कुछ अखबारों ने रेलवे बोर्ड में उचित नियोजन न होने की चर्चा की और यह कहा कि यद्यपि रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधर गयी है फिर भी जनता की कठिनाइयां बनी हुई हैं।

बरेली और इलाहाबाद में डिब्बे बनाने की फैक्टरियों के बन्द हो जाने की काफी आलोचना की गयी और यह कहा गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के इस कार्य का कोई औचित्य नहीं है।

कैम्बे में तेल मिलने की घोषणा का समस्त समाचार-पत्रों ने स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि तेल के निर्यात से भारत काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय उपार्जित कर सकेगा।

भारतीय सहकारी कांग्रेस के विचार-विमर्शों में काफी दिलचस्पी ली गयी। कुछ समाचार-पत्रों ने इस दिशा में प्रगति की गति पर असंतोष व्यक्त किया और इस आन्दोलन को जोरदार बनाने के लिए तथा उन तत्वों को दूर करने के लिए जो मार्ग में रुकावट डालते थे, कहा।

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की साधारण परिषद् (जनरल कौंसिल) के विचार-विमर्शों के संदर्भ में प्रसन्नता प्रकट की गयी और इसे भारत का सब से सुदृढ़ और सब से अच्छी प्रकार से संचालित श्रम संगठन बताया गया।

नैनीताल में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के विचार-विमर्शों का भी स्वागत किया गया।

जमशेदपुर की हड़ताल और फलस्वरूप हुल्लड़बाजी तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर खेद प्रकट किया गया तथा इन सब उपद्रवों के लिए कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया गया। यह आशा व्यक्त की गयी कि मजदूरों में सुबुद्धि का उदय होगा जिससे कि मजदूरों और प्रबन्धकों में सुन्दर सम्बन्ध, जिसके लिए जमशेदपुर सदा से प्रसिद्ध रहा है, बना रहेगा।

केरल की श्रम स्थिति पर जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी, काफी चिन्ता व्यक्त की गयी और पुलिस तथा जनता के सम्बन्धों के बारे में जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

डाक कर्मचारियों के हड़ताल पर चिन्ता प्रकट करते हुए कुछ समाचार-पत्रों ने इस स्थिति के लिए सरकार व डाक मजदूर संघ दोनों को ही दोषी ठहराया, जो कि शांति पूर्ण समझौते के मार्ग में बाधक था। धीरज और सम्बन्धित लोगों में और अधिक मानवीय रूप से सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कलकत्ता के अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के भाषण को बहुत ही खेदजनक बताया गया। फिर भी कुछ समाचार-पत्रों ने यह मत व्यक्त किया कि हिन्दी के समर्थकों को चाहिए कि विनम्र सेवकों की भांति हिन्दी का प्रचार करें और दक्षिण पर उसे लादने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश के संघीय भाषा सम्मेलन में श्री राजगोपालाचार्य के कथन की भी सामान्य रूप से सभी समाचार-पत्रों ने आलोचना की। यह कहा गया कि जब हिन्दी का प्रयोग अखिल भारतीय कार्यों के लिए किया जाने लगेगा तब हिन्दी सभी भारतीयों की भाषा हो जायगी।

राज्य विधान सभा में उपस्थित किये गये इन्टरमीडिएट शिक्षा विधेयक पर भी समाचार-पत्रों ने ध्यान दिया। जब कि कुछ समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि कम वेतन पाने वाले अध्यापकों को जो राहत दी जाती है वह अपर्याप्त है, कुछ ने यह सुझाव दिया कि इस सुविधा का विस्तार सभी श्रेणियों के अध्यापकों के लिए किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अध्यादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में मतैक्य नहीं रहा। एक विचारधारा यह थी कि यह आवश्यक था और इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना था जिसमें कि विश्वविद्यालय एक शिक्षा केन्द्र के रूप में सुगमतापूर्वक कार्य कर सके। कुछ अखबारों ने यह विचार प्रकट किया कि विश्वविद्यालय की सार्वभौमिकता से यह अध्यादेश मेल नहीं खाता।

वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय के खोले जाने पर समाचार-पत्रों ने प्रशंसात्मक टीकाएं की और इसका संकेत किया गया कि उत्तर प्रदेश जो कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी रहा है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला पहला राज्य था।

राज्य विधान सभा द्वारा पारित अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक का मिला-जुला स्वागत हुआ, जब कि समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने इस विधेयक की, विशेषरूप से जिला मैजिस्ट्रेटों को जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाने से सम्बन्धित धारा की टीका की, अन्य समाचार-पत्रों ने विरोधी दलों द्वारा इस व्यवस्था की जो टीका की उसकी आलोचना की।

राज्य विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक के सम्बन्ध में विभिन्न अखबारों ने विचार प्रकट किये। कुछ ने यह भी कहा कि इसमें सुधार की आवश्यकता थी।

उत्तर प्रदेश मितव्ययिता समिति की रिपोर्ट की भी कुछ समाचार-पत्रों ने टीका की। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ समाचार-पत्र प्रशासन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से कुछ योजनाओं को समाप्त कर देने या कुछ कार्यालयों को बन्द कर देने के पक्ष में नहीं थे। यह कहा गया कि अधिक कार्य-कुशलता का लक्ष्य होना चाहिए और बरबादी अथवा फजूल खर्ची न होनी चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन ने समाचार-पत्रों का काफी ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्षीय भाषण के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह स्फूर्तिदायक था और कांग्रेस-जनों

में एक नया विश्वास उत्पन्न करन वाला था। इस अधिवेशन में दिये गये भाषणों को सामान्य रूप से कांग्रेस नेताओं के आगे बढ़ने के संकल्प का प्रमाण माना गया।

हैदराबाद में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार-विमर्शों का सामान्य रूप से स्वागत किया गया और यह संकेत किया गया कि जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये उनमें समस्यायों के प्रति व्यवहारिक दृष्टकोण अपनाया गया था।

भूमि सुधार की योजना को आगे बढ़ाये जाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वश्री ढेबर, पंत और मोराजी देसाई की एक समिति बनाये जाने का सामान्य रूप से स्वागत किया गया और यह कहा गया। कि यह कांग्रेस के ही हित में होगा कि वह शीघ्र ही भूमि सुधार का कार्य पूरा कर ले।

कांग्रेस की विधान मण्डलीय दलों में अनुशासन बनाये रखने सम्बन्धी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। दल के नेताओं से यह कहा गया कि दल में जो खराबियां आ गयी हैं उन्हें वे दूर कर दें।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न पदों पर होने वाले निर्वाचनों का व्यापक रूप से चर्चा किया गया। 'पार्टी बाजी' के फलस्वरूप 'कांग्रेस की बुराइयों' की ओर संकेत किया गया और यह कहा गया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को सारे देश के लिए आदर्श होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा का स्वागत किया गया। यह अनुभव किया गया कि नवीन कार्यकारिणी समिति प्रतिनिध्यात्मक थी और इससे असंतोष की सम्भावनाएं कम हो गयीं।

उत्तर प्रदेशीय मन्त्रिमंण्डल के त्याग-पत्रों पर समाचार-पत्रों ने खेद प्रकट किया। यह अनुभव किया गया कि यदि इन इस्तीफों को बचाया जा सकता तो अच्छा रहता। कांग्रेस संगठन के भीतर 'दलबन्दी' की निन्दा की गयी और नेताओं से उन सब बुराइयों को दुरुस्त करने की अपील की गयी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्विदिवसीय मीटिंग के सम्बन्ध में भीतरी लड़ाई-झगड़े के बारे में फिर चर्चा की गयी। फिर भी जिस प्रकार से कमेटी की कठिनाइयां अन्त में सुलझ गयीं उन पर संतोष व्यक्त किया गया।

कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एकीकरण के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश नारायण के तथाकथित सुझाव को कोई विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ।

छागला आयोग के निष्कर्षों और केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री कृष्णमाचारी के त्याग: पत्र पर व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की गयी। समाचार-पत्रों ने आयोग की निष्पक्षता और नैतिक साहस की प्रशंसा की। वित्त मंत्री की सेवाओं के सम्बन्ध में भी अखबारों में प्रशंसात्मक रूप से चर्चा की गयी। लोक सभा छागला आयोग की रिपोर्ट पर और श्री कृष्णमाचारी के त्याग पत्र पर हुई बहस पर भी समाचार-पत्रों ने विचार प्रकट किया। यह भी विचार प्रकट किया गया कि वित्त मंत्री ने अपनी सफाई में जो बयान दिया वह सारहीन था।

भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में लोक सभा में हुई बहस की चर्चा करते हुए अनेक समाचार-पत्रों ने पाकिस्तान, पुर्तगाल और दक्षिणी अफ्रीका के प्रति कड़ी नीति बनाये रखने का सुझाव दिया। इस विषय पर लोक सभा में जो बहस हुई उस पर टिप्पणी करते हुए देश की सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

पाकिस्तान में सेना द्वारा प्रशासन पर कब्जा कर लिये जाने पर समाचार-पत्रों ने व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की। सामान्य रूप से यह मत प्रकट किया गया कि काफी लम्बे अर्से से वहां जो कुछ भी हो रहा था उस का यह स्वाभाविक परिणाम था।

पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषणों की और भारत से युद्ध होने की सम्भावनाओं की चर्चा का समस्त समाचार-पत्रों ने आलोचना की। समाचार-पत्रों ने इस पर बल दिया कि किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आसाम की सीमा पर पाकिस्तानी हमलावारों द्वारा किये गये आक्रमणों की सभी समाचार-पत्रों ने कड़ी निन्दा की।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों द्वारा किये गये सीमा सम्बन्धी समझौते पर समाचार-पत्रों ने संतोष व्यक्त किया। यह भी आशा व्यक्त की गयी कि प्रमुख मामलों में सभी भारत-पाक विवाद समझौता वार्ता द्वारा सुलझा लिये जायंगे।

कश्मीर के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् में उपस्थित की गयी ग्राहम रिपोर्ट के समाचार-पत्रों ने बड़ी टीका की और यह कहा कि ग्राहम मिशन से कोई लाभप्रद फल न होगा।

कश्मीर सरकार द्वारा शेख अब्दुल्ला को पुनःगिरफ्तार कर लिए जाने का सभी समाचार-पत्रों ने समर्थन किया। इसके पूर्व रिहा होने पर शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये भाषणों की तीव्र निन्दा की गयी थी।

कश्मीर के सम्बन्ध में लखनऊ में हुई अखिल भारतीय मुस्लिम विधायकों के सम्मेलन का समाचार पत्रों ने स्वागत किया और यह विचार व्यक्त किया कि विधायकों के मत ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर करारी चोट करने के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों को भी समय से मार्ग-प्रदर्शन किया।

राष्ट्र मण्डल व्यापार एवं आर्थिक सम्मेलन का सामान्य रूप से स्वागत किया गया। एक राष्ट्र मण्डल विकास बैंक की स्थापना के सुझाव का समर्थन किया गया और राष्ट्र मण्डलीय देशों के बीच और अधिक व्यापार बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

मलाया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की सद्भावना यात्रा का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। समाचार-पत्रों ने यह आशा व्यक्त की कि इससे भारत और इन देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जायगा।

उप-राष्ट्रपति की अमरीका की यात्रा का भी स्वागत किया गया और यह विश्वास प्रकट किया गया कि इस यात्रा से इन दोनों देशों के बीच का मैत्री सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हो जायगा।

राष्ट्रपति के जापान की और प्रधान मन्त्री के भूटान की यात्रा का भी समाचार-पत्रों ने स्वागत किया और यह आशा प्रकट की कि इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच की सद्भावना एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में और अधिक वृद्धि होगी।

घाना के प्रधान मन्त्री डाक्टर क्वामेंनक्रूमा की भारत यात्रा का स्वागत किया गया और भारत तथा घाना के बीच की मैत्रीपूर्वक सम्बन्धों पर विशेष रूप से बल दिया गया।

इस देश में कनाडा के प्रधान मन्त्री के आगमन का भी स्वागत किया गया और उनके राष्ट्र मण्डल के भीतर एक विकास निधि स्थापित किये जाने के सुझाव का समर्थन किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि भारत और कनाडा को और निकट ले आने के उद्देश्य से उन्हें अपने देश की प्रवास सम्बन्धी नीति को संशोधित करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के निधन पर अत्यधिक शोक प्रकट किया गया। सामान्य धारणा यह थी कि देश ने अपना सब से बड़ा नेता खो दिया। हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम का केन्द्रीय सरकार में मंत्री नियुक्त किये जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया।

सभी समाचार-पत्रों ने डाक्टर भगवान दास की मृत्यु पर शोक प्रकट किया और उनकी स्मृति में श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

डाक्टर खान साहब की स्मृति में भी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गयी जिनकी आलोच्य वर्ष में लाहौर में हत्या कर दी गयी थी।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१९ जनरल (पब०)—१९६०—१,२५०।